लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 14 नवम्बर, 1973/23 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 3, Wednesday, November 14, 1973/Kartika 23, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
41. नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरामद किया जाना	Recovery of Large Scale Ammunition in New Delhi	1–4
44. अखबारी कागज के कारखानों का स्थापित किया जाना	Setting up of Newsprint Mills	4–6
46. लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र	Television Station at Lucknow	6–8
49. उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि	Rise in Retail Prices of consumer Goods	8–10
50. नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों का अनुपात	Ratio among Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Minority Communities in Services ..	11–13
प्रश्नों के लिखित उतर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
42. लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Licensing Policy ..	13
43. दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार	Modification of Telephone Exchanges in Delhi	13–14
45. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप नजरबन्दों की रिहाई	Release of Detenues consequent upon decision of Supreme Court ...	14
51. दिल्ली में '58' और '56' संख्या से शुरू होने वाले एक्सचेंजों से टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections from '58' and '56' Exchanges in Delhi ..	16
52. सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Cement ...	16
53. मद्रास परमाणु बिजलीघर के लिये उपकरण	Components for Madras Atomic Power Plant	17
54. दिल्ली ग्वालियर सीधे टेलीफोन नम्बर घुमाने की व्यवस्था	Delhi Gwalior Direct Dialling	17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रश्न संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
55.	गुंडों और कुख्यात व्यक्तियों को दिल्ली से निकालना	Expulsion of Goondas and bad characters from Delhi	17
56.	पांचवीं योजना के मसौदे को अंतिम रूप देना	Finalisation of Draft Fifth Plan ..	17–18
57.	पटरातू (बिहार) में सीमेंट संयंत्र की स्थापना	Setting up of Cement Plant at Patratu Bihar	18
58.	आवश्यक वस्तुओं के लिये 'पूल' वितरण प्रणाली आरम्भ करना	Introduction of Pool Distribution System for important commodities	18
59.	जनता टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of People's T.V. Sets	18–19
60.	थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन से उपकरणों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करना	Transfer of Equipment from Thumba Rocket Launching Station to other Places	19
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
403.	सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Border Security Force	19
404.	दिल्ली तथा अन्य स्थानों में अश्लील पुस्तकों का पकड़ा जाना	Seizure of Obscene Books in Delhi and other Places	19–20
405.	तारापुर अणु बिजली घर का बंद किया जाना	Closure of Tarapur Atomic Power Station	20
406.	इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा बिजली की मोटरों का निर्माण	Manufacture of Electric Motors by Electronics Corporation of India	20
407.	नेपा मिल्स में अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint in Nepa Mills	20–21
408.	देश में पुलिस के अच्छे प्रशिक्षण का कार्यक्रम	Programme for better Police Training in the country	21–22
410.	विभिन्न राज्यों में अवैध शस्त्रास्त्र कारखानों का पता लगाया जाना	Unearthing of Illicit Arms Factories in various States	22
411.	पूर्वी मनीपुर जिले के खामासोम नामक स्थान पर विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ में आसाम राइफल्स के एक जवान की मृत्यु	Death of a Jawan of Assam Rifles in an Encounter with Rebel Nagas at Khamasom of East Manipur District	22–23
412.	बड़े उद्योगगृहों को लाइसेंस और आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences/Letters of Intent to Big Houses	23
413.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिये समिति	Committee to tackle the Problems of Entrepreneurs in Setting up Industries in Backward Areas	23
414.	देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये परमाणु शक्ति का उत्पादन	Generation of Nuclear Power to meet the country's need for Power	23–24
415.	बिजली संकट	Power Crisis ..	24

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
416.	पांचवीं योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले टेलीविजन केन्द्र	T.V. Centres proposed to be set up during Fifth Plan period ..	24–25
417.	कागज के न्याय संगत मूल्य	Rationliased prices for paper ...	25
418.	स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को पुरस्कार कहने का अनुरोध	Requests to call the Pensions to Freedom Fighters as Awards ..	25
419.	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अनुदानों का नियतन	Allocation of Grants for the Development of Backward Areas ..	25–26
420.	केरल में आदिवासियों के लिये बस्तियों तथा रिहायशी स्कूलों की स्थापना	Setting up of Colonies and Residential Schools for Tribals in Kerala	26
421.	हरियाणा हरिजन संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Haryana Harijan Sangh	26
422.	प्रधान मंत्री के कथनानुसार उड़ीसा में आदिवासियों का उत्थान	Uplift of Tribals as stated by the Prime Minister in Orissa ..	27
423.	वर्ष 1973 के दौरान बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु विशेष कार्यक्रम	Special programmes for Creating job Opportunities for unemployed during 1973-74	27–28
424.	कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई सुविधायें	Facilities provided to Minority communities in Karnatak	28
425.	उत्तर उड़ीसा में टेलैक्स सुविधा का विस्तार	Extension of Telex Facility in North Orissa	28
426.	गुजरात में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में डिग्री तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को रोजगार	Employment for Unemployment Degree and Diploma Holders in Engineering and Technology in Gujarat	28–29
427.	विभिन्न मन्दिरों से चुराई गई मूर्तियां	Idols stolen from various Temples	29
428.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा तेल खोज के लिये देशी मडथिनर की खोज	Discovery of Indigenous Mud Thinner for oil Exploration by the Central Leather Research Institute ..	29
429.	दिल्ली में चाकू मारने तथा हत्या की घटनायें	Incidents of Stabbing and Murdering in Delhi	29–30
430.	उच्च शक्ति प्राप्त प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना	Setting up of a High Powered Technology Development Board ..	30
431.	हिमाचल प्रदेश के लिये सीमेंट का कोटा	Cement Quota for Himachal Pradesh	30
432.	तमिलनाडु के लिये पांचवीं योजना का नियतन	Fifth Plan Allocations for Tamil Nadu	31
434.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या	Strength of CRP	31
435.	पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in West Bengal	32
436.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in West Bengal	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
437.	पश्चिम एशिया में बेचे जाने के लिये लड़कियां ले जाती हुई एक बस का रोका जाना	Interception of Bus carrying Girls to West Asia for Trafficking	32–33
438.	विदेशी फर्मों के विस्तार हेतु आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent for Expansion of Foreign Firms	33
440.	औद्योगिक विकास दर	Industrial Growth Rate	33
441.	लघु उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता	Assistance for Setting up of Small Scale Industries ..	34
442.	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतनमानों में पैदा होने वाली विषमतायें	Anomalies Arising out of Pay Commission Report in Pay Scales of P&T Employees	34
443.	पूना स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्था के प्रबंध के लिये स्वायत्त निकाय की स्थापना	Setting up of an autonomous Body to Manage the Affairs of Films and Television Institute in Poona ..	34
444.	आंध्र प्रदेश समस्या का समाधान	Solution of Andhra Pradesh Problem	35
445.	औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Industrial Licensing Policy	35
446.	पटना में टेलीविजन स्टेशन	Television Station at Patna ..	35
447.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार को पिछड़े क्षेत्रों के लिये निधि का आवंटन	Allocation of Funds to Bihar during Fifth Plan for Backward Areas ..	35–36
448.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये पूंजी निवेश न्यास	Investment Trust for promoting Industries in Backward Areas ..	36
449.	त्रिपुरा को आशय पत्र लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent/Licences to Tripura	36
450.	बसों तथा ट्रकों के टायरों का काला बाजार	Black Marketing in Bus and Truck Tyres	36–37
451.	आय संसाधनों के अनुपात से अधिक आस्तियां रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Inquiries against Central Government Officers possessing assets disproportionate to their Income ..	37
452.	नेता जी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Inquiry Commission	37
454.	प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूगोस्लेविया न्यूज एजेंसी के बीच समाचारों के आदान प्रदान के बारे में करार	Contract between Press Trust of India and Yugoslavia News Agency for Exchange of News	38
455.	देश में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि	Increase in Telephone Exchange capacity in the country ..	38
456.	केरल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष सहायता	Special Assistance for the Development of Backward Areas of Kerala	38–39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
457.	कायर बोर्ड की विज्ञापन परामर्शदात्री फर्म	Advertising Consultant with Coir Board 39
458.	तेलंगाना तथा पुन्ना परा-वयालार विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता संग्रामियों को पेंशन का दिया जाना	Grant of Freedom Fighters Pension to participants of Telengana up-rising and Punnapra-Vayalar Up-rising 39
459.	अनुसूचित जाति/आदिम जाति के सदस्यों पर अत्याचारों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry into Atrocities on Scheduled Castes/Tribes .. 39–40
460	दिल्ली में शस्त्रास्त्रों के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Arms Licences in Delhi 40
461.	योजना आयोग में अनुश्रवण और मूल्यांकन यूनिट की स्थापना	Monitoring and Evaluation Unit in Planning Commission 40
462.	देश में डाक तथा तार घर	P & T Offices in the country 40
463.	बाड़मेर का विकास	Development of Barmer 41
464.	खराब पड़े टेलीफोन	Telephone remaining out of order .. 41
465.	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Economically Backward Areas of Madhya Pradesh during Fifth Plan 41–42
466.	अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिये इसके मूल्य में वृधि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase the price of News print in order to augment the Production 42
467.	रोकेट विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	Special programme for development of Rockets 42
468.	इम्फाल में सेना को बुलाया जाना	Calling in the Army in Imphal .. 43
469.	सीमेंट के लिये दुहरी बिक्री व्यवस्था	Dual Marketing System for Cement 43
470.	अधिक बिजली का उत्पादन करने का दायित्व राज्यों को सौंपना	Responsibility for Generation of more Power to rest with States .. 43
472.	फिल्मों के विकास के लिये आधार-निधि का बनाया जाना	Creation of Seed Funds for Films improvement 43–44
473.	तैयार चमड़े का निर्माण करने के लिये लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाया जाना	Liberalisation of Licensing procedure for Manufacture of Finished Leather 44
474.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production 44–45
475.	पोटेशियम क्लोरेट की मांग	Requirement of Potassium Chlorate 46
476.	मैसर्स वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी, मद्रास का बंद होना	Closure of M/s Western India Match Company, Madras 46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
477.	'करुणानिधि का स्वायत्तता सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव' (करुणानिधिज मूव फार एटोनोमी कन्वेशन) शीर्षक से समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया	Government's reaction to News-item regarding Karunanidhi's move for Autonomy Convention	47
478.	तमिलनाडु में 'लिथो पेपर' की मांग	Demand for Litho Paper in Tamil Nadu	47
479.	बिहार के मंत्रियों की गतिविधियां	Activities of Bihar Ministers ..	47
480.	दिल्ली में एक पुलिस अस्पताल के मैडिकल सुपरिटेडेन्ट को चांटा मारने का कथितसमाचार	Alleged Slapping of a Medical Superintendent of a Police Hospital in Delhi	48
482.	सूरत, गुजरात में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र की स्थापना	A.I.R. Broadcasting Station at Surat Gujarat	48
483.	सौराष्ट्र (गुजरात) में परमाणु बिजली घर की स्थापना	Setting up of Atomic Power Station in Saurashtra (Gujarat) ..	48–49
484.	अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिया जाना	Priority to Space Research Programme	49
485.	दिल्ली में टेलीफोनों का दोष पूर्ण कार्यकरण	Defective working of Telephone in Delhi	49
486.	मछली के परिरक्षण के लिये भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित प्रक्रिया	Process developed in Bhabha Atomic Research Centre for Preservation of Fish	49–50
487.	शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधान मंत्री की वार्ता	Prime Minister's Meeting with Sheikh Abdullah ..	50
488.	जांच आयोग अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members of Commissions under Commission of Enquiries Act	50
489.	समाचारपत्रों के स्वामित्व के विविधीकरण पर निर्णय	Diffusion of Ownership of Newspapers	50
490.	कश्मीर के भविष्य के बारे में प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला के बीच बातचीत	Talks between Prime Minister and Sheikh Abdullah on Future of Kashmir	51
491.	आन्ध्र प्रदेश के नक्सलपंथी नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Naxalite Leaders of Andhra Pradesh	51
492.	नक्सलवादी आन्दोलन के कारण विभिन्न राज्यों में गिरफ्तारियां	Arrests in various States due to Naxalite Movement ..	51–52
493.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters	52
494.	बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar	52–53
495.	अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली में गबन	Embezzlement in Ajudhia Textile Mills Delhi	53–54
496.	1973 के दौरान हरिजनों पर किये गये अत्याचार	Atrocities on Harijans during 1973	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
497.	केरल से लाइसेंसों के लिये प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending Applications from Kerala for Licences ..	54–55
498.	केरल में यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिये अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	Location of a Research Centre for Mechanical Engineering in Kerala	55
500.	गांधी नगर गुजरात में हरिजन दम्पति को मारपीट	Harijan Couple assaulted in Gandhi Nagar, Gujarat	55
501.	पांचवीं योजना के दौरान नर्मदा परियोजना के लिये राशि का नियतन	Allocation of funds for Narmada Project during Fifth Plan ..	55–56
502.	दिल्ली की दूसरी भाषा	Second Language in Delhi	56
503.	हरिजनों द्वारा गांव के कुओं का उपयोग	Use of Village Wells by Harijans	56
504.	मीटरों, टैस्टरों और अन्य उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Meters, testers and other instruments	56
507.	चश्मा कांच का उत्पादन	Production of Opthalmic	57
508.	नये परमाणु बिजली घरों का स्थापित किया जाना	Setting up of a new Atomic Power Stations	57
509.	अखबारी कागज निगम की स्थापना	Setting of a Newsprint Corporation	57
511.	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Delhi	58
512.	भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री रांजी की स्मृति में स्मृति टिकट जारी करना	Issue of commemorative Stamp on Ranji, the famous Indian Cricketer	58
513.	आसाम के लिये कच्चे माल के कोटे की कलकत्ता में बिक्री	Sale of raw materials of Assam Quota in Calcutta	58
514.	टायरों की अधिष्टापित क्षमता	Installed capacity of tyres ..	58–59
515.	लघु उद्योग क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास के लिये राज सहायता	Subsidy to small scale sector for Research and Development	59
516.	हिन्दुस्तान लीवर द्वारा सोडियम ट्रिपोलीफासफेट बनाया जाना	Manufacture of Sodium Tripolyphosphate by Hindustan Lever ..	59–60
517.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमेन का त्याग-पत्र	Resignation of Chairman, National Textile Corporation ..	60
518.	गैर-आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये विदेशी फर्मों पर रोक लगाया जाना	Restrictions on Foreign Firms for Producing Non-Essential Items ..	60–61
519.	मदन पार्क में डाक सुविधायें	Postal facilities in Madan Park	61
520.	'कोका कोला बाटलर्स' द्वारा 'साफ्ट ड्रिंक' बनाया जाना	Production of soft Drinks by Coca Cola Bottlers	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
521.	अरब-इसराइल संघर्ष के बारे में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Statement made by Sheikh Abdullah on Arab-Israel conflict	61–62
522.	मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के परिव्यय का पुनरीक्षण	Revision in Outlay of Fifth Plan in view of increase in prices ..	62
523.	उत्तर क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले टेलीविजन केन्द्र	T.V. Centres to be set up in Northern Region	62
524.	पर्यटन केन्द्रों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और सी०ओ० का खोला जाना	Opening of P.C.Os. and C. Os. Places of Tourist interest	63
525.	छत्रपति शिवा जी के संबंध में एक डाक टिकट का जारी करना	Issue of a stamp on Chhatrapati Shivaji	63
526.	पश्चिमोत्तर राज्यों के लिये संयुक्त सलाहकार परिषद् बनाने का प्रस्ताव	Proposal for a Joint Consultative Council for North Western States	63–64
527.	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in East Nimar District of Madhya Pradesh ..	64
528.	आवंटित राशियों के उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश में विशेष रोजगार योजनाओं का कार्यान्वित न किया जाना	Non Implementation of special employment schemes in Madhya Pradesh due to non availability of allocated funds	64
529.	पूर्व निमाड़ जिले की विभिन्न तहसीलों में डाकघर	Post Offices in various Tehsils of District East Nimar ..	64–65
530.	ग्रामीण उद्योग परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को धन का नियतन	Allocation of funds to M.P. under rural industrialisation scheme ..	65
531.	एकाधिकारवादी गृहों द्वारा सीमेंट के कारखाने लगाना	Establishment of Cement plant by Monopoly Houses	65
532.	कागज उद्योग के लिये केन्द्रीय अनुसंधान यूनिट की स्थापना करना	Setting up of Central Research Unit for Paper Industry	65
533.	आंध्र प्रदेश में 'मुल्की' समस्या का समाधान	Solution of Mulki Tangle in Andhra Pradesh	66
534.	पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश के जिलों का विकास	Development of Districts in U.P. during Fifth Plan	66
535.	'नासा होल्ड्ज बैक स्काईलैब पिक्चर्ज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item entitled Nasa holds back Skylab pictures ..	66
536.	फिल्मों का आयात	Import of Films	66
537.	प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर करने के लिये श्री एन०बी० शाह के विरुद्ध जांच	Enquiry against Shri N.B. Shah for forging Prime Minister's signature	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
538.	पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पिछड़ेपन को दूर करना	Removal of Backwardness in Orissa during fifth Plan	67
539.	राज्य सेवा में भर्ती होने वालों के लिये छानबीन करने की योजना के बारे में प्रकाशित समाचार	News from regarding plan to Screen Recruits to State Service ..	67–68
540.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन	Structural and Functional changes in the Indian National Science Academy	68
541.	औद्योगिक गृहों द्वारा अर्जित लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on profits made by Industrial Houses	68
542.	उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन	Production of Consumer Goods	69
543.	कटक में आकाशवाणी केन्द्र के भवन का निर्माण	Construction of Building of A.I.R. at Cuttack	69
544.	मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद	Mysore Maharashtra Boundary Dispute	69
545.	आक्सीजन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of Oxygen Plants	69–70
546.	लाजपतनगर, नई दिल्ली में आत्म-दाह	Self Immolation in Lajpat Nagar, New Delhi	70
547.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की गतिविधियां	Activities of NSIC	70
548.	बिहार और मेघालय में यूरेनियम के भंडार	Uranium Deposits in Bihar and Meghalaya	71
549.	सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills Taken over by Government	71
550.	पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विषैली शराब के कार्य में लगे गिरोहों की गतिविधियां	Activities of gangs dealing in Spuious liquor in Punjab, Bombay, U.P. and Delhi	71
551.	नागाओं का भारत में पुनः दाखिल होना	Re-entry of Nagas into India ..	71–72
552.	आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये भारत रक्षा नियम के अधीन की गयी गिरफ्तारियां	Arrests made under D.I.R. for violating Essential Commodities Act	72
553.	आकाशवाणी के लिये पूर्णकालिक सम्वादाताओं की नियुक्ति	Appointment of Full Time A.I.R. Correspondents	72
554.	उड़ीसा में डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Orissa	72
555.	भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग	Use of DIR	73
556.	कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास	Growth of Agro based Industries	73–74
557.	एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण	Aero Magnetic Survey ..	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
558.	पांचवीं योजना आरंभ करने के लिये एक वर्ष का विराम	One year pause in launching Fifth Plan	74
559.	बिहार सरकार द्वारा श्रीमती राजेश्वरी नागमणि की हत्या की जांच सौंपने का अनुरोध	Request by Bihar Government to hand over investigation into the murder of Mrs. Rajeshwari Nagmani ..	74–75
560.	केरल में क्रासबार स्विच गियर फैक्टरी	Crossbar Switch Gear Factory in Kerala	75
561.	आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस पर आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पारित संकल्प	Resolution passed by Ex-I.N.A. personnel on Azad Hind Government foundation Day	75
562.	स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियों को टोक्यो से वापस लाना	Bringing back the Ashes of Late Rashbehari Bose from Tokyo	75
563.	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और हरियाणा को लाइसेंस/आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences/Letters of Intent to West Bengal, Maharashtra, Punjab and Haryana	76
564.	अखबारी कागज की कमी	Shortage of Newsprint ..	76–77
565.	आंतरिक सुरक्षा अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन जमाखोरों, कालाबाजार करने वालों की गिरफ्तारियां	Arrests under MISA and DIR of Hoarders, Black Marketers, etc.	77–78
566.	पुराने आशय पत्रों को पुन: मान्य करार देना	Revalidation of outdated letters of Intent	78
567.	राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रचार का कार्यक्रम	Propagation of the concept of National Integration	78
568.	क्यूबा के प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में 'डर्टीगेम आफ ए०आई०आर०' समाचार	News item Dirty Game of A.I.R. about the visit of Prime Minister of Cuba	79
569.	उद्योगों में विदेशी सहयोग तथा विदेशी निवेश के प्रति विरोध	Protest against foreign Collaboration and foreign investment in Industries	79
570.	पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिये परिव्यय	Outlay for Public Sector during Fifth Plan	79
571.	देश में रेडियो लाइसेंस	Radio Licences in the country	79
572.	1973–74 के दौरान परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के परिव्ययों में कमी	Reduction on Outlay for Family Planning Programmes during 1973-74	80
573.	पोरबंदर जिला में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Porbandar District	80
574.	पांचवीं योजना के लिये राज्य की मांगों के बारे में योजना आयोग तथा गुजरात के बीच चर्चा	Discussion between Planning Commission and Gujarat State on States Demands for Fifth Plan ..	80–81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
575.	गुजरात में एक ग्रह-शाला की स्थापना	Setting up of a Planetarium in Gujarat	81
577.	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नरोली स्थित सरदार सिंह इन्टर कालेज के अनुसूचित जातियों के तथा हरिजन छात्रों पर अत्याचार	Atrocities on Scheduled Caste and Harijan Students of Sardar Singh Inter College of Narouli, District Moradabad (U.P.)	81
578.	बिहार के पूर्णिया जिले में हरिजनों का जिंदा जलाया जाना	Burning of Harijans in Purnea District, Bihar	81–82
579.	कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र	Television Centre in Calcutta	82
580.	हाल ही में सीमेंट निर्माता कम्पनियों को जारी किये गय अप्रयुक्त लाइसेंस	Unutilised licences issued recently to cement manufacturing industry	82–83
581.	औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिये प्रक्रिया	Procedure for approval of Industrial licences	83
582.	केरल, राजस्थान उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना परिव्यय	Fifth Plan outlay for Kerala, Rajasthan and Uttar Pradesh	83
583.	आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापनों के कारण संगीत तथा गानों के प्रसारण में कमी	Curtailment of music and songs due to commercial goods advertisement from A.I.R.	84
584.	आकाशवाणी केन्द्र, कटक में स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त हुए पद	Posts of Staff Artistes fallen vacant in A.I.R. Station at Cuttack	84
585.	अमरीकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा उड़ीसा का दौरा	U.S. Consulate Officials visit to Orissa	84
586.	ओरियन्ट पेपर मिल में बांस की कमी	Shortage of bamboo in Orient Paper Mills	84–85
587.	विद्युत अनुसंधान तथा विकास के लिये परिव्यय का बढ़ाया जाना	Raising of Outlay for power Research and development	85
588.	भारतीय साम्यवादी दल की कृष्णा जिला परिषद् के सचिव की आंध्र प्रदेश के नाडा कुंडुआ में हत्या	Murder of the Secretary of the Krishna District Council of C.P.I. at Nadakuduru, Andhra Pradesh ..	85
589.	राज्यों को अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये एक समिति का गठन	Constitution of a Committee to ensure supply of essential goods to States	86
590.	भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रमों के लिये रूसी सहायता का उपलब्ध न होना	Non availability of Soviet aid for India's Atomic Power Programmes	86
591.	व्यय में मितव्ययता बरतने के लिये केन्द्रीय मंत्रियों को निदेश	Directive issued to the Central Ministers to observe austerity in expenditure	86–87
593.	महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute	87
594.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशीसाम्य पूंजी का सरकारीकरण	Taking over of foreign shares in I.T.I. Ltd. Bangalore	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
595.	योजना आयोग के परामर्शदाताओं की नियुक्ति	Appointments of Consultants in the Planning Commission	87–88
596.	'नोफण्डैस-ए पावर स्टेशन्स सफर' शीर्षक से समाचार	News item entitled 'No Funds A Power Stations suffer'	88
597.	सीमा सुरक्षा बल के एक प्रशिक्षार्थी की मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हत्या	Murder of a trainee of Border Security Force in Chhatarpur District, M.P.	88
598.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	Number of temporary employees in the Ministry of Information and Broadcasting	88
599.	अंतरिक्ष विभाग में समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime Allowance in the Department of Space ..	89
600.	संचार मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary employees in the Ministry of communications ..	89
601.	भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में कमी	Decline in Export Earnings of Indian Films	89
602.	कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण	Functioning of Calcutta Telephones	89–90
	दिनांक 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर को शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement to U.S.Q. No. 590 dated 25-7-1973.	90
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	90
इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं के अस्त व्यस्त होने के समाचार		Reported Dislocation of Indian Air Lines Services	90–95
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee.. ..	91
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur ..	92
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	95
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति		Committee on Private Members' Bills and Resolutions	97
बत्तीसवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत किया गया		Thirty second Report—presented ..	97
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक		Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill—	97
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय बढ़ाया जाना		Extension of time for Presentation of Report of Joint Committee ..	97–98
बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एंड साइंस, पिलानी में छात्रों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य		Statement Re. Student Strike in Birla Institute of Technology and Science, Pilani	98
	श्री डी० पी० यादव	Shri D.P. Yadav	98–99
नियम 377 के अधीन मामला		Matter under Rule 377 ..	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन के बारे में समयाचिका पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की टिप्पणियां	Observations by the High Court of Orissa on writ petition about President's rule in Orissa	99–101
प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक	Direct Taxes (Amendment) Bill ..	101–106
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	101
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	102
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	103
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	103
श्री एस० आर० दामानी	Shri S.R. Damani	104
श्री आर० एन० गोयन्का	Shri R.N. Goenka	104
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	104
श्री वयालार रवि	Shri Vaylar Ravi	105
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan	105
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ..	105
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	106
विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन विधेयक	Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Amendment Bill—	107–109
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Porf. D.P. Chattopadhyaya —	107
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta — —	107
श्री एस० ए० मुरूगनन्तम	Shri S.A. Muruganantham —	107
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai —	108
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder —	108
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao —	109
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai — —	109
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1 —	109

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निल्लपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (वांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तयार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (देवरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती वी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुट्टूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (वक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
	प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya ..	109
स्टेट बैंक विधि (संशोधन) विधेयक		State Bank Laws (Amendment) Bill	110
	विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
	श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	110
	श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K.M. Madhukar ..	110
	श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	111
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	111
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder ..	111
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	112
	श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	112
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	112
खंड 2 से 35 और 1		Clauses 2 to 35 and 1	113
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
	श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	113

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 14 नवम्बर, 1973/23 कार्तिक, 1895 (शक)
Wednesday, November 14, 1973/Kartika 23, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरामद किया जाना

41. **श्रीमती सावित्री श्याम**+
***श्री पी० ए० सामिनाथन**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा 19 अक्तूबर, 1973 को नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरामद किया गया था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) कोटला मुबारकपुर में 18-10-73 को छापा मारा गया था और उसमें एक बड़ी संख्या में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया था ।

(ख) भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अन्तर्गत डिफेन्स कालोनी थाने में एक मामला दर्ज किया गया था और उसकी जांच चल रही है ।

(ग) पुलिस ने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया था और बाद में उसे न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया । एक दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस ने वारन्ट प्राप्त किये थे पर गिरफ्तार करने से पूर्व उसकी न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत कर ली गई थी ।

Shrimati Savitri Shyam : Foreign and indigenous arms and ammunitions have been recovered in large quantity from Kotla. It appears from the hon. Minister's answer that this matter has not been taken up seriously. May I know whether some local or foreign gangs as also certain high police officials are involved in this type of activity ? If so, is it sufficient to state in the reply that one person was arrested and he too was released on bail ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सच है कि कुछ और व्यक्ति भी इससे संबद्ध हो सकते हैं। आगे पूछताछ के पश्चात मुख्य अभियुक्त श्री अशोक सोलोमन तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं। तस्करी के मामले में कुछ और भी व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। परन्तु यह मामला अभी जांचाधीन है।

Shrimati Savitri Shyam : Such an activicty is not confined to Kotla or Delhi only. Such activities are being noticed in the vicinity of concentration camps where prisoners of war are kept. For instance, in my district Bareily, a similar racket was found about a month or two ago; but the same was not brought to light. So, will it not be essential to have a thorough investigation by the C.B.I. as to who are the persons involved in such rackets.

श्री एफ० एच० मोहसिन : संभव है कि वह कोई इतना बड़ा गुट न हो जितना कि माननीय सदस्यों ने अनुमान लगाया है। परन्तु फिर भी नेपाल में से कुछ पड़ौसी देशों से गांजे की तस्करी की जा रही है। इस तस्करी को रोकने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हमने इस संदर्भ में नेपाल सरकार से भी बातचीत की है। वह इस मामले में पूरा सहयोग दे रही है। सीमा शुल्क विभाग के निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा तस्करी को रोकने के लिये कुछ अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न शस्त्र तथा गोला-बारूद के बारे में है गांजे के बारे में नहीं है।

श्रीमती सावित्री श्याम : मेरा प्रश्न भी शस्त्रों तथा गोला बारूद के बारे में है गांजे के बारे में नहीं है। मंत्री महोदय मुझे गांजे के बारे में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गांजा भी एक प्रकार का गोलाबारूद है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुझे खेद है। यह प्रश्न शस्त्रों तथा गोलाबारूद के बारे में है। मैं कुछ भ्रम में पड़ गया था क्योंकि एक अन्य प्रश्न गांजे के बारे में है। मैं इस बारे में क्षमा चाहता हूं। मुख्य उत्तर में मैंने बताया है कि बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद पकड़ा गया था। इसमें श्री के० के० शर्मा तथा उसके दूसरे साथियों का हाथ है। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। परन्तु उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ और आदमी भी अन्तर्ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ शस्त्र बिना लाइसेंस के पाये गये हैं तथा कुछ के लिये लाइसेंस भी दिखाये गये हैं। परन्तु कुछ लायसेंसों की दूसरी प्रति ले रखी थी। सब कुछ अभी जांचाधीन है काफी बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोलाबारूद पकड़ा गया है। आगे जांच हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का पहला अनुपूरक प्रश्न गोलाबारूद के बारे में था अथवा गांजे के बारे में ?

श्रीमती सावित्री श्याम : मैंने स्पष्ट रूप से गोला-बारूद के बारे में पूछा था गांजे के बारे में बिल्कुल नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the quantity and also the types of arms & ammunition recovered. The reply says that the arms were both of Indian anu foreign makes. As such, may I know the names of foreign countries and also whether the accused persons have got any link with certain foreign countries ? Also whether you have got the information to the effect that these persons have been supplying these arms to the bandits & decoits in Bhind, Morena etc. The decoit infested areas ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : श्री के० के० शर्मा के घर से निम्नलिखित हथियार बरामद किये गये थे

मिनियेचर राईफलें—.22 बोर	5
डबल बैरल बन्दूकें	10
टेलेस्कोप युक्त राईफलें	5
सिंगल बैरल मगल लोडिंग गन	1
अन्य राइफलें	4
रिवाल्वर	5
पिस्तौल	2
हवाई बन्दूक	2

इसके अतिरिक्त बराबर वाली दुकान से भी निम्नलिखित हथियार बरामद हुए :—

रिवाल्वर	6
पिस्तौल	2
सिंगल बैरल गन	45
डबल बैरल गन	45
ट्रिपल बैरल गन	1
एस०बी टेलेस्कोप युक्त गन	3
राईफल स्कोप	1
केवल बैरल	3
विभिन्न प्रकार का गोला-बारूद	9 बोरे

उक्त चीजें श्री छोटे लाल शर्मा जोकि श्री के०के० शर्मा का भाई है, की दुकान के बरामद किया गया ।

Shri Hukam Chand Kachwai : To which countries did these arms belong ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह भी जांचाधीन है । शायद कुछ हथियार विदेशी मार्का के होंगे । इस सारे मामले की जांच की जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Govt. has got the information to the effect that these arms were being supplied secretly into deceit infested regions ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस बारे में भी हमारे पास कुछ जानकारी है । परन्तु हम इस समय कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामले की अभी जांच की जा रही है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Would the hon. Minister see that not only in Delhi but in Banaras and many other parts of the country arms & ammunitions have been recovered in large quantities and it appears as if certain well-planned espionage activities are going on to disturb the internal order here with a view to give advantage to others ? Would the hon. Minister state whether or not such elements are involved in such activities ?

Home Minister (Shri Uma Shankar Dikshit) : This question pertains to the raid made in that area. The complex in the problem is that the brother of Shri K.K. Sharma, who was arrested in this connection, has got a regular arms & ammunition's shop in Faridabad and he deals in arms & ammunition under a regular licence. We have not yet been able to account for the ten Licences given to him and also as to which arms & ammunitions were had lawfully and which one illegally. But his brother has certainly said that they have purchased some arms from certain foreigners like hippies etc. This matter is still under investigation. The houses of all the connected people have been raided. As soon as the information was received, full investigations were made and raids were made on the houses of his brother and other related persons. Investigations are still going on but it is not possible to say at this stage whether any foreigner or foreign countries are involved in it.

Shri Ram Deo Singh : May I know in which Police Station was this big hand of arms & ammunitions registered ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह छापा 18-10-1973 को मारा गया था । उसे 19-10-73 को एक दिन के लिये रिमांड पर पुलिस की हिरासत में रखा गया था । अदालत ने उसे अदालती हिरासत में 20-10-1973 को भेजा था । बाद में 21-10-1973 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया । ये वे तिथियां हैं ।

Shri Ram Deo Singh : I had asked the name of the Police Station where on what date this case was registered.

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह मामला 18-10-1973 को रजिस्टर हुआ था ।

एक माननीय सदस्य : किस पुलिस स्टेशन पर ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने कहा है—डिफेंस कालोनी में कोटला मुबारकपुर ।

Shri Prabodh Chandra : The case which involves the recovery of 6000 catriges and dozens of weapons was registerd only on 19th, the accused was sent to judicial lock on 20th and then was released on bail on 21st itself. Why so much hurry ? Why did the police sent him to judicial custody ? Why full inquiry was not made by getting him on remand ? Don't you have any information to the effect that the high police officials connected with this case wanted that certain people should be taken out of this case so that they are not got involved in it. ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Bail was not offered by the Police nor do they do it. Executives and Judiciary are two different entities and in case the court allows bail we cannot stop that. We can only put the case.

Shri Hukam Chand Kachwai : You could ask for remand.

Shri Uma Shankar Dikshit : We can seek remand. Let me say that the case was registered on 18th and not on 19th and the arrest was made on 18th.

श्री प्रबोध चन्द्र : पुलिस ने अभियुक्त को रिमांड पर रखने का अनुरोध नहीं किया था । जमानत का विरोध किया गया था । परन्तु पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा था । कानूनी रूप से मजिस्ट्रेट मना नहीं कर सकता यदि पुलिस उसका अनुरोध करती है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं जानकारी बिना कुछ नहीं कह सकता । यदि वह मुझे सूचना दें तो मैं बता सकता हूं ।

Shri B.S. Bhaura : The hon. Minister has stated in his reply that there is a shop in Faridabad. Some arms were found there too. In the shops, the arms are kept in a definit order and a disorder of even an inch is not allowed. So these arms were found in a different area and so there was no question of asking for a licence therefor you could have straight away declared them illegal. I think certainly there is a hand of some high police authority in this case would the hon. Minister get it inquired at a higher level ?

Shri Uma Shanker Dikshit : We have approached the entire arms and ammunitions machinery of the Delhi Adminisrtation; and after inquiring we would see whether there are proper arrangements or not. Let me first answer the question put by Shri Prabodh Chander.

पुलिस ने निश्चिय ही रिमांड तथा पुलिस हिरासत के लिये कहा था परन्तु 20 तारीख को अदालत ने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया ।

Mr. Speaker : Q. No. 42. The hon. Member is not present.

Shri Madhu Limaye : May I put that Q. No. 47 is also very important ?

Mr. Speaker : You are an expert of Procedure. In case that permits you can certainly put that.

श्री विक्रम महाजन ! अनुपस्थित

श्री बी० बी० नायक ! अनुपस्थित

श्री आर० बी० स्वामीनाथन !

अखबारी कागज के कारखानों का स्थापित किया जाना

*44 **श्री आर० बी० स्वामीनाथन**
श्री पुरूषोत्तम काकोड़कर

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में दो और अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी होगी और उन्हें किस-किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) वे कब स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा केरल में अखबारी कागज का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । 80 हजार टन वार्षिक की क्षमता वाले इस संयंत्र पर लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । अखबारी कागज के कुछ और कारखानों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। इन कारखानों की क्षमता स्थापना स्थल इत्यादि के सम्बन्ध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या अखबारी कागज के ये कारखाने खोलने से देश अखबारी कागज के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेगा और अखबारी कागज की यह कमी कब दूर हो जायेगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अखबारी कागज के कोटे में कमी के कारण जो कर्मचारी तथा पत्रकार बेरोजगार हो गये हैं उनमें व्याप्त असंतोष से क्या सरकार अवगत है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अखबारी कागज की जो आज स्थिति है उसमें सप्लाई की बहुत कमी है । वस्तुतः इसका देशीय प्रतिवर्ष उत्पादन केवल 40,000 टन है जबकि देश की आवश्यकता 2,50,000 टन है । ऐसी संभावना है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यह आवश्यकता 3.5 लाख टन तक पहुंच जायेगी । यदि केरल योजना सफल होती है तो इससे 80,000 टन का उत्पादन होगा और यदि नेपा मिल्ज के उत्पादन कार्यक्रम भी यथासमय कार्यान्वित हो गये तो इससे भी 75,000 टन का उत्पादन हो सकेगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम 1,50,000 अखबारी कागज प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु फिर भी कमी ही रहेगी । इस विचार से हम इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पांचवीं योजना में कुछ अन्य परियोजनायें भी रखने का प्रयास कर रहे हैं ।

जहां तक पत्रकारों तथा समाचार पत्रों के कर्मचारियों के बेरोजगार होने का प्रश्न है, इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विचार किया जा रहा है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या यह सच है कि देश में अखबारी कागज मिलों का एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये उच्च-स्तरीय भारतीय तथा कनाडा के प्रतिनिधि मंडलों ने हाल ही में दिल्ली में एक बैठक की थी ; और यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमने केवल अखबारी कागज परियोजनाओं के संयुक्त उद्यम के बारे में ही नहीं बल्कि उस देश से अखबारी कागज के आयात के बारे में भी बात-चीत की थी ।

इसके अलावा अपने ही निजी संसाधनों से हम अखबारी कागज के कारखाने खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिये कुछ गैर-सरकारी पार्टियों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं जिन में से एक को तो कार्यान्वित किये जाने की आशा है ।

सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान कागज निगम ने ऐसे कुछ क्षेत्रों की जांच की है जहां पर अखबारी कागज परियोजना आरंभ की जा सके ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या यह सच है कि कुछ आशय-पत्र भी जारी किये गये थे ? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हिन्दुस्तान कागज निगम को एक आशय-पत्र दिया गया था । क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी पार्टियों को भी आशय-पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने पार्टियों ने इस आशय-पत्र का उपयोग किया है ? यदि उन्होंने अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वस्तुतः अखबारी कागज के उत्पादन के लिये तीन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गये थे । जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. बालारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ बोर्ड मिल्ज लिमिटेड	60,000 टन	वार्षिक
2. सूरज इण्डस्ट्रियल पैकिंग लिमिटेड, लखनऊ	60,000 टन	वार्षिक
3. शेट फारी सहकारी सकर कारखाना	44,500 टन	वार्षिक

वास्तव में, इन तीनों में से किसी भी गैर-सरकारी कंपनी ने विभिन्न कारणों से अपनी परियोजनायें शुरू नहीं की । बालारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ मिल्ज तो इसलिये अपनी परियोजना नहीं शुरू करना चाहता क्यों कि अखबारी कागज की उस समय की लागत तथा उसके मूल्य वे नहीं रहे जिनकी उन्हें आशा थी ।

सूरज इण्डस्ट्रियल पैकिंग को वित्तीय कठिनाई हो गई । महाराष्ट्र कारखाना एक सहकारी क्षेत्रीय कारखाना है । उन्होंने गैर-परम्परागत मदों, जैसे बगासे, से अखबारी कागज बनाने का प्रयास किया था जिसकी तकनीकी जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है । परन्तु ऐसा लगता है कि बालारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स अपनी योजना को चालू करने में रुचि दिखा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the machinery required for the newsprint factory which the Government propose to set up, would be prepared in the country itself or would have to be imported on large scale ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अखबारी कागज के लिये हमें कुछ मशीनों का आयात करना पड़ेगा परन्तु कुछ उपकरणों को छोड़कर अन्य के डिजाइन हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं । कागज की मशीन का जहां तक सवाल है सो उसके लिये हमारे देश में ही निर्माणक्षमता उपलब्ध है ।

Shri Ram Avtar Shastri : Are the Government aware that Bagasse and sugarcane-remain are available in plenty in Bihar? Do the Government, therefore, propose to set up a paper factory in a north or southern part of Bihar and if so, by what time and if not, why ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक गैर परम्परागत वस्तुओं का संबंध है उनसे कागज बनाने की तकनीकी जानकारी हमारे यहां उपलब्ध नहीं है । महाराष्ट्र के कारखाने ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया है ।

Shri Ram Avtar Shastri : Bihar has got plenty of sugarcane-remains and bagasse.

श्री प्रवण कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विग्ई (बगासे) जैसी गैर-परम्परागत वस्तुओं से कागज बनाने की तकनीकी जानकारी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है । हम उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Ram Avtar Shastri : I had said about the sugarcane-remains.

Mr. Speaker : Let them have some planning. They are taking about the plan only.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : हिमाचल प्रदेश में एक अखबारी कागज खोलने का प्रस्ताव था । उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वस्तुत: हिन्दुस्तान कागज निगम देश के विभिन्न भागों में जहां जहां कच्चा माल उपलब्ध है अखबारी कागज के कारखाने लगाने की संभाव्यता की जांच कर रहा है । हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । तथापि हिन्दुस्तान कागज निगम इस बारे में जांच कर रहा है ।

लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र

***46. श्री हरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में एक टेलीविजन केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी निर्माण संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त निर्माण कितने समय तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) (1) इस समय ट्रान्समीटर भवन की नींव डालने का काम चल रहा है ।

(2) स्टूडियो भवन का निर्माण कार्य अभी शुरू होना है ।

(ग) यदि स्थान उपलब्ध हो गया, तो निर्माण कार्य पूरा होने पर केन्द्र के 1975–76 के दौरान चालू होने की उम्मीद है ।

Shri Hari Singh : In reply to part (b) of the question the hon. Minister said that the foundation work in regard to the transmitter is going on, but reply to part (c) says subject to availability of land. I want to know how can the foundation be laid without the availability of land. Also I want to known how long has it been since the Government accorded sanction for the

establishment of this T.V. centre. If the land for this centre has not yet been available, what efforts have been made by the Central Government to get the land and how much cooperation has been given by the Govt. of U.P. in this matter ?

श्री धर्मवीर सिंह : जब मैंने यह कहा कि निर्माण का कार्य नींव डालने तक हो पाया है तो मेरा उद्देश्य ट्रांसमीटर ही से था। मैंने कहा था कि स्टूडियो के भवन का निर्माण आरंभ होना अभी बाकी है। माननीय सदस्य ने दोनों बातों को मिला दिया।

भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में हम उत्तर प्रदेश सरकार से निरंतर संपर्क बनाये हुए हैं। भूमि का एक भाग तो हमें दे दिया गया तथा एक भाग प्राप्त होना शेष है। तब से, हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कह रहे हैं कि भूमि भवन के लिये स्थान उपलब्ध नहीं हो सकता तो हमें अन्य कोई स्थान दे दिया जाये। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार से किसी अन्य स्थान के बारे में शीघ्र ही कोई करार कर पायेंगे जो पहले दिये गये स्थान के पास ही होगा। हमारी निर्माण योजना तैयार है प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और ज्यों ही हमें भूमि उपलब्ध होगी हम निर्माण आरंभ कर देंगे।

Shri Hari Singh : The foundation for the transmitter has been laid. I want to know how much land has been acquired and from whom.

Also I want to know the total cost on the entire project and when would the construction of the T.V. centre building actually commence ?

श्री धर्मवीर सिंह : ट्रांस्मीटर के लिये स्थान हमें मार्च 1972 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अधिग्रहीत किया था। मुझे नहीं मालूम कि अधिग्रहण से पूर्व इसका स्वामी कौन था। बिल्डिंग के प्राक्कलन नवम्बर, 1972 में स्वीकृत किये गये थे और काम तो शुरू ही हो चुका है।

Shri S.M. Banerjee : This question has been asked earlier also. The proposal was previously for setting up the T.V. centre at Kanpur and the transmission station thereof in Lucknow. This plan was changed because the people of Lucknow are more sophiscated. In case no site is available in Lucknow. We are prepared to provide the same in Kanpur. Would you start the work in Kanpur ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I .K. Gujral) : The transmitter in Lucknow is being set up at such a place so as to be easily catchable by the people in Kanpur also. It is for both. As regards the site. I am sorry to point out that entire project has been delayed for four years because of the dispute on the land. And it is happening almost everywhere. Thus our schemes which are meant for 4th Plan had to be shifted to 5th Plan. And that is all due to the fact that the State Governments are not able to settle about the land. Now we have decided to shift the project to some other State in case the State Government is not able to make the land available in time.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपसे सुरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न कानपुर में टेलीविजन केन्द्र तथा लखनऊ में ट्रांस्मीटर लगाने के प्रस्ताव के बारे में था।

The hon. Minister says that people of Kanpur would also be able to see the TV programmes of the Lucknow TV Centre. Does it mean that the college may be in Lucknow and the Hostel in Kanpur where the students of Lucknow too could go.

श्री था० किरुतिनन्न० : लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि आवंटित नहीं की है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी प्राईवेट व्यक्ति से अथवा राज्य सरकार से कुछ भूमि खरीद रही है और यदि हां, तो उसकी कीमत कितनी होगी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त भूमि दी है और यदि हां, तो मद्रास में अब तक कार्य आरंभ क्यों नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अपने उत्तर में यह संकेत पहले ही दे चुके हैं कि यदि उन्हें भूमि नहीं मिली तो वह किसी अन्य विकल्प की बात भी सोचेंगे।

श्री था० किरुतिनन्न : तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त भूमि दी है..... (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उन्होंने विशिष्ट रूप से उत्तर दे दिया है । अब मैं अगले प्रश्न पर चर्चा करने को कह रहा हूं ।

श्री था० किरुतिनन : तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त भूमि दी थी ।

उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि

***49. श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में किस दर से वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में हुई वार्षिक वृद्धि की दरें, जैसी औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अनुमानित है, इस प्रकार है :–

पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में	4..0%
दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में	10.6%
तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में	1.6%
चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में	— 2.3% (गिरी है)
1971–72 के आरंभ में	1.8%
1972–73 के आरंभ में	5.8%
1973–74 के आरंभ में	13.5%

Shri Atal Bihari Vajpayee : This question was about the retail prices but the hon. Minister's reply does not seem to pertain to retail prices. According to him, there was a rise of 13.5 per cent in 1973-74. May I know whether these figures are correct? Is it not a fact that these figures do not conform to those given by Reserve Bank of India.

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है यह आंकड़े उपभोक्ता वस्तुओं के हैं और ये उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी के आंकड़े खुदरा मूल्यों के ही होते हैं । अन्यथा थोक मूल्यों के लिये भी मूल्य सूचकांक है । क्योंकि प्रश्न उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में है, मैंने उत्तर उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में ही दिया है । ये आंकड़े श्रम और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित हैं । यदि इन आंकड़ों तथा रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों में कोई अन्तर है तो मुझे उसका पता नहीं है और नही मुझे इस अन्तर के आधार की जानकारी है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The hon Minister has said that the figures belong to the rates concerning the purchases made by the Industrial workers. Is it not true that the non-industrial workers are subjected to pay comparatively more for the commodities ? Should it be taken that there is no machinery to compile the price indent for common man ?

श्री मोहन धारिया : यदि माननीय सदस्य गैर-श्रमिक कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े चाहते हैं तो मैं वे भी दे सकता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गैर-औद्योगिक ।

श्री मोहन धारिया : मेरा आशय उन आंकड़ों से जो कि मासिक सांख्यिकी सारिणी में प्रकाशित होते हैं तथा जिनका सर्वत्र परिचालन किया जाता है । यह पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : According to the figures given by the hon. Minister, there was an increase of 10.8 per cent in the first year of the 2nd Five Year Plan. Today I read the Prime Minister's statement in the Newspapers saying that the rise in the prices was due to strike by the

workers and the famine. I want to know that since there was neither any famine nor strike during the 1st Year of the Second Five Year Plan, what were the reasons for a 10.8 per cent rise ? How did the Planning Commission reach such a conclusion

श्री मोहन धारिया : यहां सभा में कई बार कहा जा चुका है कि इसके लिये मुद्रा की सप्लाई, अभाव की स्थिति आदि अनेक कारण थे । उस दिन इस संबंध में चर्चा भी हुई थी और सरकार ने अनेक अवसरों पर इसके कारण बताये हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का वास्तविक कारण क्या था । उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : यह बातया तो है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उन्होंने तो कुछ सामान्य कारण बताये हैं ।

श्री मोहन धारिया : यहां मैंने वर्षवार आंकड़े पेश किये हैं जैसा कि प्रश्नकर्त्ता महोदय ने चाहा था । यदि प्रश्न कर्त्ता महोदय कारण भी जानना चाहते हैं तो कारण तो उस दिन वित्त मंत्री ने भी बताये थे ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : योजना मंत्री को तैयार रहना चाहिये । उन्हें इसके कारणों की व्याख्या करनी चाहिये । कि मूल्यों में 4 से 10.8 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हुई ?

श्री पीलू मोदी : परन्तु यह तो सरकार में किसी को भी नहीं मालूम है ।

श्री मोहन धारिया : इसी अवधि के दौरान तो देश में अभाव की स्थिति थी । अभाव की स्थिति मूल्यों में वृद्धि का कारण होती है । एक बात तो यह है । दूसरे . . . . . .

Shri Jagannath Rao Joshi : What sort of famine was there in 1957 the 1st year of 2nd Five Year Plan.

श्री मोहन धारिया : ये आंकड़े मैंने विभिन्न योजनाओं के संबंध में दिये हैं । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 10 प्रतिशत की वृद्धि किन कारणों से हुई , तो मैं यह कहूंगा कि दूसरी योजना के आरंभ में केवल अभाव की स्थिति ही नहीं थी बल्कि अन्य कई कारण भी थे । विस्तृत कारण बताने के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

Shri Shanker Dayal Singh : It has to be admitted that the prices are rising as we are heading on with our Five Year Plans. In this context, I would like to know whether, in view of the rise in prices the provisions of Rs. 51,000 crore for the Fifth Plan would be increased or some cut would be affected in the sources.

श्री मोहन धारिया : योजना आयोग तथा भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिये एक संसाधन-दल की नियुक्ति की थी । उसका प्रतिवेदन योजना आयोग को प्राप्त हो गया है । उस पर विचार किया जा रहा है । इस मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा जा रहा है और हम इस आशय का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पांचवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जायें । ये सभी बातें इस समय अन्तिम रूप से निर्णीत होना शेष हैं । अतः मेरे लिये इस समय इस संबंध में और कुछ कहना संभव नहीं है ।

Shri Shanker Dayal Singh : I had asked whether the amount of Rs. 51,000 crore would be increased or you would have to bear with that very amount ? He has not replied to that. My specific question is whether the amount of Rs. 51,000 crore would be enhanced or everything would have to be done within that amount ?

श्री मोहन धारिया : मैंने कहा है कि इस संबंध में अभी अध्ययन चल रहा है । परन्तु किसी सीमा तक इस परिव्यय में वृद्धि करनी ही पड़ेगी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस अवधि में ऐश्वर्य की तथा अन्य अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अपेक्षाकृत बहुत ही कम वृद्धि हुई है । इस संतुलन को बनाये रखने के लिये सरकार ऐश्वर्य की तथा अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर कुछ रोक लगाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : मैंने गत सत्र के दौरान कहा था कि हम देशीय उपयोग के लिये ऐश्वर्य की वस्तुओं के उत्पादन में कमी करना चाहगे । इसी प्रकार हम उचित संतुलन बनाना चाहेंते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़े वास्तविकता से बहुत दूर हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय उपभोक्ता परिषद जैसे संस्थानों द्वारा दिये गये वर्तमान आंकड़ों को उक्त डेटा तैयार करते समय तथा हमें देते समय ध्यान में रखा गया था । उदाहरणार्थ, गत दो या तीन महीनों में मैदा के मूल्यों में नियंत्रित मूल्यों की तुलना में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इन मुल्यों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि उपभोक्ताओं को वह नियंत्रित मूल्यों पर मिल सके ?

योजना मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद धर) : यह प्रश्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता से संबंधित है । हमने ये आंकड़े श्रम व्यूरो द्वारा किये गए अध्ययनों के आधार पर तैयार किये हैं । श्रम व्यूरो का कार्य मूल्यों संबंधी आंकड़े तैयार करने वाली अन्य एजन्सियों से कहीं अधिक ठीक होता है । हमने अपने आंकड़े श्रम व्यूरो द्वारा एकत्रित अधिक विश्वसनीय डैटा के आधार पर तैयार किये हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन् : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री पीलू मोदी : प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मूल्यों को कम करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं । उत्तर यह होगा कि हम अभी और अधिक सही आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद धर : इस प्रश्न के लिये मुझे इससे अधिक विश्वसनीय तथा सही स्रोत की जानकारी नहीं थी जो कि आज श्री पीलू मोदी ने मुझे बताई है । मैं निश्चय इस स्रोत से सम्पर्क करूंगा । मैं कहना चाहूंगा कि वस्तुतः यह प्रश्न किसी विशिष्ट मद से संबंधित नहीं है । यह प्रश्न तो उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतताओं के बारे में पूछा गया था । मुझे खेद है कि मेरे पास अलग अलग वस्तुओं के बारे में इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन् : श्रीमन्, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होना मेरा कार्य नहीं है । मैं तो यहां अगली कार्यवाही चलाने को बैठा हूं ।

श्री वसन्त साठे : क्या योजना मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश ने स्वतंत्रता के पश्चात आयोजित अर्थ-व्यवस्था को चुना है और अब हम देखते हैं कि प्रत्येक योजना के पश्चात उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहे हैं, यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व में आयोजित अर्थ-व्यवस्था के किसी भी भाग में मूल्यों को ऊंचे बढ़ने तथा सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से परे जाने दिया है ?

श्री डी० पी० धर : विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कुछ सीमा तक मूल्य वृद्धि स्वाभाविक है । ऐसी मूल्य वृद्धि उन देशों में जहां आयोजन अधिक कठोर तथा स्थिर है भी होती है । कठिनाई तब पैदा होती है जब वृद्धि योजनाओं में प्रत्याशित मूल्य वृद्धि से अधिक होती है । वस्तुओं के आयोजकों ने प्रत्येक योजना में मूल्य वृद्धि की कुछ प्रत्याशा रखी थी परन्तु जब मूल्य उस स्तर से अधिक बढ़ते हैं तब मामला हमारी गम्भीर चिन्ता का विषय बन जाता है ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर अत्यन्त टालमटोल वाला है ।

श्री जी० विश्वनाथन् : इससे श्री साठे की संतुष्टि हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : टाल मटोल का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं समझता हूं कि यही एकमात्र उत्तर है ।

Shri Sarjoe Pandey : Just now the Planning Minister has stated that the prices of consumer goods may not rise, and ban may be imposed on the production of luxury goods? I want to know what were the luxury goods that used to be manufactured in India and you have put ban on their production for the last few years ? What are these articles ?

श्री डी०पी० धर : मेरा निवेदन है कि यदि इसे अन्य रूप में रखा जाये तो अच्छा रहेगा और आपकी अनुमति से मैं ऐसा ही करता हूं । पांचवीं योजना में विलासिता की सामग्री के उपभोग पर रोक लगाई जाये और इसलिये आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाये । पांचवीं योजना का यह उद्देश्य हमारे सम्मुख है ।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों का अनुपात

*50. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का अनुपात बनाये रखने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या कोई संशोधित आदेश जारी किया गया है :

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 5687/73]

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण में हर श्रेणी के प्रतिशत दिये गये हैं । सीधी भरती के मामले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15 तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत $7\frac{1}{2}$ है । अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के तुलनात्मक आंकड़े $16\frac{2}{3}$ तथा $7\frac{1}{2}$ हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन आदेशों के जारी होने के बाद भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये श्रेणी एक तथा दो मामले में किसी भी विभाग में प्रतिशत को बनाये रखने का ध्यान नहीं रखा गया है और यदि हां, तो सरकार ने श्रेणी एक तथा दो में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार इन लोगों की भरती करने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : ये आरक्षण नई भरतियों के लिये हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ तकनीकी पदों को छोड़कर इन आरक्षणों को श्रेणी एक तथा दो के सभी पदों के मामले में कायम रखा गया है । उदाहरण के लिये.....

श्री पीलू मोदी : उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडल ।

श्री राम निवास मिर्धा : .....संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1964 से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा देश की अन्य उच्चतम सेवाओं के लिये आरक्षण का पूरा प्रतिशत कायम रखा गया है । जिसका अर्थ यह है कि 1971 को छोड़कर जब अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की कमी थी, इन उच्च सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों को पूर्ण प्रतिशत से भरा गया है । इन सभी सेवाओं के लिये निश्चित कोटा पूरी तरह से भरा गया है और इस बारे में कोई ढील नहीं की गयी; जो इस बात का परिणाम है कि उनकी भर्ती के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं । अर्थ-कालिक तथा पूर्णकालिक कक्षाओं वाली अनेक रिहायशी तथा गैर-रिहायशी शिक्षा संस्थायें स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ को विश्वविद्यालय और कुछ को राज्य सरकारें चलाती हैं । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ये आरक्षण के कोटे पूर्णत: भरे जाते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिये ऐसा आरक्षण करने हेतु संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है । पिछली बार रेलवे में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता के बारे में चर्चा हुई थी और श्री एल० एन० मिश्र ने आश्वासन दिया था कि उनकी भर्ती के लिये उचित प्रतिशत कायम रखा जायेगा यद्यपि वह आरक्षण के अनुसार भले ही न हो । मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता संबंधी चर्चा, जिसमें लगभग प्रत्येक सदस्य ने भाग लिया था, के बाद इस बात का सुनिश्चय करने के लिये क्या कदम उठाये गये कि श्रेणी तीन, दो तथा एक के पदों में भर्ती के लिये मुसलमानों को अवसर दिया जाये (**व्यवधान**) । मुख्य मंत्री का कोई प्रश्न नहीं । मैं आपको बता सकता हूं कि जब सदरे जमहूरिहया मुस्लिम थे तब भी मुसलमान लोग संतुष्ट नहीं थे । मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा तथा अन्य मंत्रालयों में श्रेणी तीन, दो तथा एक के पदों के लिये इनकी भर्ती के बारे में क्या आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि संवैधानिक स्थिति इस प्रकार की है जिसे माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे । संविधान के अनुसार हम केवल पिछड़े वर्गों के लिये ही विशष आरक्षण कर सकते हैं । सरकारी नौकरियों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में सरकार काफी समय से अनेक कदम उठाती आ रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : रेलवे बोर्ड में केवल श्री कुरेशी ही मुस्लिम हैं और कोई मुस्लिम नहीं है ।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसे कि मैं कह रहा था, जहां तक संवैधानिक स्थिति का संबंध है, उसके लिये विशेष आरक्षण नहीं हो सकता । लेकिन इस बात का ध्यान रखना सरकार की नीति है कि नौकरियों में भर्ती के लिये किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से भेदभाव न किया जाये । इस बात की चर्चा 1968 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन तथा अन्य गोष्टियों में हुई थी । इस मामले में हमने राज्य सरकारों का विश्वास प्राप्त कर लिया है । भारत सरकार के मंत्रालयों को इस बात की जानकारी है । हम इस बात के लिये बहुत सावधान है कि हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है जिसमें किसी पक्षपात का संदेह न हो अथवा माननीय सदस्य आरोप न लगायें और यह कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये तथा सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों के पूरे अवसर दिये जायें । इन वर्षों में सरकार की यही नीति रही है ।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में भी आरक्षण किये जाते हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी नीति यह है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार के आरक्षण किये जाते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी की जाये । हमने इस मामले को वित्त मंत्रालय तथा सरकारी उपक्रम ब्यूरो, जो वास्तव में इससे संबद्ध है, के साथ उठाया है । हमने उनसे विभिन्न उपक्रमों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है और ये आदेश जारी कर दिये गये हैं । हम इस मामले के बारे में उनके साथ आगे कार्यवाही कर रहे हैं और स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने की वर्तमान व्यवस्था खंडशः रिक्त स्थानों के आधार पर है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस प्रणाली में परिवर्तन किया जायेगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उस समय तक जब तक उनका अनुपात पूरा न हो जाये, रोजगार देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : खंडशः रिक्त स्थानों कि लिये भर्ती का कोई प्रश्न नहीं । मेरे विचार में अधिकांश विभाग एसी नीति का पालन कर रहे हैं कि स्थानों के रिक्त होने पर सीधी भर्ती की जाये और इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कायम रखा जाता है और भर्ती की जाती है . . . (**व्यवधान**) ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मेरा प्रश्न यह है मान लो किसी विभाग में 100 स्थान रिक्त हैं; जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वे अन्य लोगों की भर्ती क्यों करें ?

श्री राम निवास मिर्धा : जिस कल्पना पर माननीय सदस्य का प्रश्न आधारित है, मैं उसका विरोध करता हूं । स्थिति ऐसी नहीं जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं । भर्ती खंडशः नहीं की जाती । भर्ती पूरी की जाती है और आरक्षित स्थान भी पूर्णतः भरे जाते हैं । यदि माननीय सदस्य ऐसे उदाहरण दें जहां इसका ध्यान नहीं रखा जाता तो मैं मामले को व्यक्तिगत रूप से उठाऊंगा ।

श्री एस० ए० शमीम : नौकरियों के लिये समान अवसर प्रदान करने तथा सुनिश्चित करने के लिये मंत्री महोदय ने संविधान की धारा 16 का उपयोग किया है । इसके साथ ही प्रधान मंत्री से लेकर श्री कुरेशी तक सभी ने कहा है कि सरकार की विभिन्न सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है । इसका अर्थ उस संवैधानिक गारंटी का 'उल्लंघन है जिसके द्वारा हम समान अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं । इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है । क्या मुसलमानों के लिये भी हरिजनों की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता शिक्षा संस्थायें स्थापित करने के लिये प्रबंध किये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : समान अवसर प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि संविधान द्वारा यह अधिकार सभी को दिया गया है (**व्यवधान**) । लोग परीक्षा दे रहे हैं और प्रशासन की नौकरी में आ रहे हैं । उनके लिये अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षायें तथा अन्य बातों का जहां तक प्रश्न है, उसके लिये विभिन्न राज्य सरकारों, विभागों, विश्वविद्यालयों ने इन परीक्षाओं के लिये शिक्षा प्रदान करने संबंधी योजनायें निर्धारित की हैं और मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यक इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ।

श्री एस० ए० शमीम : एक भी योजना कार्यान्वित नहीं हुई है । कहीं भी, किसी एक राज्य ने भी इसे कार्यान्वित नहीं किया है ।

श्री के० नारायण राव : मन्त्री महोदय ने भर्ती संबंधी नीति पर प्रकाश डाला है । क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि आरक्षित स्थानों के संबंध में पदोन्नति के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने द्वारा दिये गये ब्योरे-वार उत्तर की ओर दिलाता हूं जिसमें मैंने पदोन्नति संबंधी विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये किये गये विभिन्न आरक्षणों का उल्लेख किया है। यह एक विस्तृत विवरण है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Are they going to frame a law under which this rule could also be applied on private industries and private firms. In 1968, Home Ministry sent a letter to State Governments and public sector industries wherein it was pointed out that these rules were not being complied with properly. Will he get it enquired properly ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I have stated the position about Government Institutes. So far as private institutes are concerned, Government is not contemplating to act officially in this behalf but we are in contact with those institutes and we have been urging upon them time and again that they should cooperate with the national policy. We will again tell them that there should be no reservation but priority should certainly be given to the persons enlarging to backward classes.

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार इस विषय पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी इसके बावजूद मैंने आपको पर्याप्त अवसर दिया है। मैं सब को अवसर नहीं दे सकता। मुझे खेद है कि समय पूरा हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लाइसेन्स देने की नीति को उदार बनाना

***42. श्री समर मुखर्जी**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाइसेंस देने की अपनी नीति को उदार बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि व्यापार उद्यमों में विदेशी पूंजी का अधिक पूंजी निवेश हो सके तथा भारत के बड़े व्यापार गृहों द्वारा अधिक पूंजी निवेश किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति 2 फरवरी, 1973 की प्रेस टिप्पणी में बता दिया गया है। उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सरकार का उद्देश्य लाइसेंस देने के लिये एक सुदृढ़ ढांचे तथा 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप संबद्ध अन्य नीतियों को बनाये रखना है। तदानुसार औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार

***43. श्री विक्रम महाजन**
श्री बी० वी० नायक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में क्रास-बार प्रणाली वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में चल रहा सुधार कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो उन दोषों को जिनके कारण काल नहीं सुनी जा सकती हैं, किस सीमा तक दूर किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या पश्चिमी देशों में क्रास-बार प्रणाली को रद्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली को हमारे देश में, विशेषतया राजधानी में अपनाने के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) करोलबाग, जोरबाग और जनपथ एक्सचेंजों में सुधार का कार्य अभी किया जा रहा है और इसके पूरा होने में अभी कुछ और समय लग जाने की संभावना है ।

(ख) जब सुधार संबंधी सारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि जिन खराबियों के कारण कालें नहीं लग पा रही थीं, उन खराबियों को किस सीमा तक दूर किया जा सका है ।

(ग) और (घ) जहां तक हमें मालूम है क्रास-बार प्रणाली का किसी भी देश ने बहिष्कार नहीं किया है । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा अन्य अनेक देशों में इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है । फिर भी, अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि यह प्रणाली अत्यन्त नाजुक और जटिल है जिसकी वजह से इस प्रणाली में शुरू में कुछ दिक्कतें सामने आई । किन्तु यह एक माना हुआ तथ्य है कि यह प्रणाली बहुमुखी है और टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिये बहुत उपयोगी है विशेष रूप से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग और बड़े टेलीफोन-जालों के संबंध में और इसमें ऐसी क्षमता है कि इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जा सकती हैं ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप नजरबन्दों की रिहाई

***45. श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम, 1971 की धारा 17 क को अवैध घोषित कर दिये जाने पर कितने नजरबन्द व्यक्तियों को मुक्त किया गया है ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को वैसे ही आरोपों या कारणों से पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है जिन पर उन्हें पहले नजरबन्द किया गया था; और

(ग) पुनः नजरबन्द किये गये ऐसे व्यक्तियों के कितने मामलों की पुष्टि संबद्धराज्य सरकारों द्वारा कर दी गई है ?

गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिसमें आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 17–क को अवैध करार दिया था, राज्य सरकारों द्वारा 1375 व्यक्ति मुक्त किये गये थे । उनमें से 990 को पुनः नजरबन्द किया गया था । राज्य सरकारों द्वारा ऐसे नजरबन्दियों के 759 आदेशों की पुष्टि की है । शेष 231 के संबंध में आदेशों की पुष्टि राज्य सरकारों द्वारा नहीं की गई है ।

निश्चित तिथि बीत जाने के बाद फर्मों से सी०ओ०बी० लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

***47. श्री के० एस० चावड़ा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ फर्मों को निर्धारित समय सीमा में सी० ओ०बी० (व्यवसाय चालू रखी) लाइसेंस प्राप्त करने थे;

(ख) क्या कुछ फर्मों ने निर्धारित अवधि के बाद सी०ओ०बी० लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र भेजे;

(ग) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र किन परिस्थितियों में स्वीकार किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अब तक उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

संशोधित औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति की 1970 में घोषणा के पश्चात कुछ प्रकार के उपक्रम जो पहले उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस उपबंधों से पहिले मुक्त थे, इस छूट के पात्र नहीं रहे। इस श्रेणी में आने वाले उपक्रम ये थे :—

(1) उन उद्योगों के उपक्रम जो कि 19 फरवरी, 1970 से पहिले लाइसेंस लेने से मुक्त थे, परंतु जिनको उक्त तिथि से लाइसेंस के अधीन लाया गया है।

(2) वे उपक्रम जो कि 25 लाख रुपये से अनधिक की अचल परिसंपत्तियों के कारण 19 फरवरी, 1970 से पूर्व लाइसेंस के उपबंधों से मुक्त थे, तथा (3) वे उपक्रम जिन्होंने दिनांक 27 अक्तूबर, 1966 के प्रेस नोट के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के बिना अपने उत्पादन में विविधता लाई थी परन्तु जो इस मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई, 1970 की अधिसूचना के अनुसार विविधीकरण से संबद्ध पुनरीक्षित छूट के अधीन नहीं आते थे। उपर्युक्त किस्म के ऐसे उपक्रम जिन्हें इस प्रकार की छूट नहीं मिली हुई थी ऐसे उपक्रमों को नई शर्तों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस से छूट के लिये संबंधित अधिसूचनाओं की प्रचालन तिथि से तीन माह की अवधि में काम जारी रखने का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था बाद में इस अवधि को सभी मामलों में दिनांक 17 मार्च, 1971 तक बढ़ा दिया गया था।

काम जारी रखने के लिये बड़े घरानों तथा अधिकांश विदेशी हिस्से वाली कंपनियों को छोड़कर अन्य पार्टियों से प्राप्त लाइसेंस के आवेदनों को, उस समय लागू अनुदेशों के अधीन, लाइसेंस समिति को भेजे बिना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निबटा दिया गया था। बड़े घरानों तथा केवल विदेशी बहुलांश वाली कंपनियों से प्राप्त आवेदनों को ही लाइसेंसिंग समिति के समक्ष रखा गया था। अतः कार्य चालू रखने के लाइसेंसों की स्वीकृति के आवेदनों के ब्योरों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा आवेदनों के निपटाने के तरीकों से संबंधित केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा दी गई सूचना निम्नलिखित है :—

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	कार्य चालू रखने के लाइसेंस के लिये प्राप्त 10 आवेदनों में से केवल 2 आवेदन 17–3–1971 के बाद प्राप्त हुए थे तथा इन्हें लाइसेंस दे दिये गये क्योंकि वे 1965 तथा 1966 में तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत हो चुके थे।
वाणिज्य मंत्रालय	कुल 84 आवेदनों में से 4 आवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त हुए थे। इनमें से ज्यादातर आवेदन उत्पादन में विविधता लाने व कपड़ा उद्योग के संबंध में चालू नीति के अनुरूप अनुमत नई चीजों के उत्पादन के लिये थे।
इस्पात विभाग	16 में से 3 आवेदन 17–3–1971 के बाद प्राप्त हुए तथा 2 को छोड़कर सभी पर कार्यवाही कर दी गई।
चीनी तथा वनस्पति निदेशालय	निर्धारित समय के पश्चात कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

थाम्पसन रोड, नई दिल्ली में एक बैंक वैन का लूटा जाना

***48. श्री डी० पी० चन्द्र गौडा**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार युवकों के सशस्त्र दल ने 27 सितम्बर, 1973 को नई दिल्ली में थाम्पसन रोड के बीचोंबीच एक बैंक वैन गार्ड को गोली मार कर हत्या कर दी, ड्राइवर को बाहर घसीटकर उसके पेट में गोली मार दी तथा लगभग 6 लाख रुपये लूट लिये।

(ख) क्या सरकार ने इस षड़यंत्र की कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान, परन्तु यह घटना 28 सितम्बर 1973 को हुई थी ।

(ख) और (ग) कमला मार्केट, दिल्ली थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है । जांच चल रही है ।

Telephone Connections from '58' and '56' Exchanges in Delhi

*51. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of pending applications for Telephone connections from 58 and 56 exchanges in Delhi;

(b) whether some of those applications are pending for ten years; and

(c) the steps being taken by Government to give telephone connections early to these persons ?

The Minister of Communications (Shri Raj Bahadur): (a) In '58' Exchange—10849 applications are pending and

In '56' exchange—8423

(b) Yes Sir, out of the above, only in general category in '58' exchange, 695 applications are pending for ten years and in OYT category no application is pending for more than two years in either of the two exchanges.

(c) In '58' exchange, the crossbar equipment is being upgraded and modified to handle more traffic. 700 new connections are likely to be provided after completion of this work by the end of 1974.

New exchange for 5000 lines is likely to be installed in this area in Rajouri Gardens in 1976-77 and further 8000 lines are likely to be added by the end of the Fifth Plan.

In '56' exchange new connections are likely to become available in 1976-77 when some working connections will be transferred on to Idgah Exchange '51' after its expansion by 10,000 lines.

More new exchanges have been planned under the expansion programme of the Sixth Plan to cater to the areas covered by these two exchanges.

सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि

*52. **श्री के० मालन्ना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्य में 10 रु० प्रति टन की वृद्धि करने की टेरिफ आयोग की सिफारिश मान ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ चुने हुए एककों की लागत को आधार मान कर प्रशुल्क आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विभिन्न निविष्टियों की लागतों में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप सीमेंट की उत्पादन लागत बढ़ी है । इस उद्योग के संबंध में जब तक अंतिम सिफारिशें विचाराधीन हैं तब तक के लिये प्रशुल्क आयोग ने उद्योग को तत्काल कुछ अंतरिम सहायता देने की जरूरत महसूस की थी । तदनुसार आयोग ने 10 रुपये प्रति मी० टन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे 15 सितम्बर, 1973 से सरकार ने मान लिया है ।

मद्रास परमाणु बिजली घर के लिए उपकरण

*53. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री वालपक्कम परमाणु बिजली के बारे में 2 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास परमाणु बिजलीघर को चालू करने के लिये कनाडा से उपकरणों का आयात करने में कोई कठिनाई हो रही है:

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) देश के अन्दर उपकरणों का निर्माण करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन उपकरणों का विकास यथासम्भव देश में ही करने की व्यवस्था की जा रही है । जिन उपकरणों का विकास अभी देश में कर सकना सम्भव नहीं है, उनकी सप्लाई के लिये विदेशों में वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) कुछ किस्मों के कच्चे माल, एकायत्त वस्तुओं एवं संघटकों को छोड़कर, बाकी सभी तरह के न्यूक्लीय एवं पारम्प रिक उपकरण अब देश में ही तैयार किये जा सकते हैं ।

Delhi-Gwalior Direct Dialling

*54. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to provide direct dialling service between Delhi and Gwalior; and

(b) If so, when ?

The Minister of Communications (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes Sir. There is a proposal to connect Delhi with Gwalior on Subscriber Trunk Dialling basis.

(b) Delhi and Gwalior are expected to be linked on Subscriber Trunk Dialling in 1977 78.

Expulsion of Goondas and Bad Characters from Delhi

*55. **Shri Chandu Lal Chandrakar**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police has recommended the expulsion of 152 goondas and notorious bad characters from Delhi;

(b) the time by which the recommendations will be implemented; and

(c) whether the citizens have set up voluntary organisations for maintaining law and order ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dikshit) : (a) In the period 1-1-1973 to 31-10-1973 the Delhi Police have instituted in courts 174 proceedings of externment.

(b) Nine of these proceedings have been decided. No time limit can be indicated as judicial proceedings are in progress.

(c) A scheme to form a Citizen Voluntary Force has been formulated to help in controlling crime. It is being implemented in two police stations of each of the four police districts.

पांचवीं योजना के मौसदे को अंतिम रूप देना

*56. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस हेतु कुल कितना नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग अभी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है। जब इस पर मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् विचार कर चुकेगा तब इसे वर्तमान सत्र के दौरान ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

पटरातु (बिहार) में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

*57. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में पटरातु में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के बारे में बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड से कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो करार की रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मे० बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० ने पतरातु बिहार में 3.5 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट किलंकर संयंत्र स्थापित करने के लिये आवेदन किया है। यह सरकार के विचाराधीन है। किन्तु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये इनके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है ।

आवश्यक वस्तुओं के लिए "पूल" वितरण प्रणाली आरम्भ करना

*58. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार आवश्यक वस्तुओं के लिये 'पूल' वितरण प्रणाली आरम्भ करने का है जैसा कि 18 सितम्बर, 1973 के यू० एन० आई० ने समाचार दिया है जो कि 19 सितम्बर, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कागज लुग्दी और संबद्ध उद्योगों की विकास परिषद की बैठक में परिषद को इस उद्योग के संपूर्ण उत्पादन को उचित और समान वितरण के लिये एक प्रणाली खोज निकालने तथा चीनी सीमेंट और कपड़े जैसी जन साधारण के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को इसमें सम्मिलित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कहा गया था ।

(ख) इस सुझाव के अनुसार परिषद ने कागज और गत्ते के संबंध में जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया है तथा इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ।

जनता टेलीविजन सैटों का निर्माण

*59. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनता टेलीविजन सैटों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने सैटों का उत्पादन करने का विचार है तथा ये सैट कब तक बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) देश में टेलीविजन के सैट सरकारी और निजी—दोनों ही सैक्टरों द्वारा बनाये जा रहे हैं । इन सैटों की लागत उत्तरोतर कम होने की आशा है जो विभिन्न निर्माताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा, सभी संघटकों, विशेषकर ठोस अवस्था वाले सैट तैयार करने हेतु, को देश के अन्दर उपलब्धता और छोटे आवरणों वाले सैटों के उत्पादन पर निर्भर करती है । यह सब होने पर भी टेलीविजन सैटों की लागत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा ऊंची होगी । टेलीविजन का लाभ व्यापक रूप से अधिकांश लोगों को सामुदायिक ढंग से देखे जाने वाले सैटों का व्यवस्था के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, इस दिशा में व्यवस्था करने हेतु गम्भीरतापूर्वक जांच की जा रही है ।

थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन से उपकरणों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तारत करना

*60. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन से कौन-कौन सी मशीनें, उपकरण तथा पुर्जे अन्य स्थानों को स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में केरल के लोगों के दिलों में अनेक प्रकार की शंकायें व्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन के भविष्य के बारे में क्या निर्णय किया है तथा इसके विस्तार की क्या संभावनायें हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री : (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा से किसी भी विद्यमान मशीन आदि को स्थानान्तरित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र ने शंकाओं का निवारण करने हेतु 17 अगस्त, 1973 को एक प्रैस नोट जारी किया था । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा के भावी कार्यक्रम संबंधी ब्योरेवार प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या

403. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या असैनिक कर्मचारियों को उनके परिवारों के साथ रहने की अनुमति है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अब तक स्वीकृत सीमा सुरक्षा बल की संख्य 84,608 है । सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों में लिखी गई सेवा की शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

Seizure of Obscene Books in Delhi and other places

404. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some obscene books and photos were seized by Government from Delhi and other parts of the country sometime back;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action being taken by Government to root out this evil ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) Yes, Sir. During the current year the Union Territory Administrations of Delhi and Chandigarh have reported seizure of 3690 books, 296 post cards,

109 films slides and 309 photographs considered obscene. 20 persons have been arrested in Delhi and one person has been arrested in Chandigarh in this regard and 2 of those arrested in Delhi have been convicted.

No such cases have been reported by the Governments of Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Punjab, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram and Union Territory Administrations of Goa Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep.

The information in respect of other States and Union Territories is being ascertained.

(c) Adequate legal provisions exist in sections 292 and 293 of the Indian Penal Code as well as in section 521 of the Code of Criminal Procedure, enabling State Governments to take necessary action against any display, sale, etc. of pornographic literature.

Closure of Tarapur Atomic Power Station

405. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether Unit-I of Tarapur Atomic Power Station was closed recently due to some internal defect :

(b) if so, the reasons of this defect; and

(c) the steps taken to avoid such recurrences in future ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) Unit-I of the Tarapur Atomic Power station was shutdown from 11th September to 20th September 1973 to carry out repairs on a broken pipe joint in the turbine steam extraction system. This pipe joint, it is felt, gave way because of frequent and severe jolts which the unit was subjected to during June-July 1973 due to trippings of the Maharashtra State Electricity Board and the Gujarat Electricity Board transmission lines. The broken pipe was rewelded and the Unit was recommissioned on September 21st. It has been in operation since then.

इंलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा बिजली की मोटरों का निर्माण

406. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निश्यच किया है कि आधुनिक बिजली की मोटरों का निर्माण इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन संबंधी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा गियरहैड से युक्त सूक्ष्म आकार की ऐसी समकालिक बिजली की मोटरों का निर्माण किया जा रहा है जो उपकरणों में काम मे आती है । कम्पनी प्रतिवर्ष 5,000 मोटरें तैयार कर सकती है किन्तु इनकी सीमति मांग के कारण इनका वास्तविक उत्पादन कम संख्या में किया जाता है ।

नेपा मिल्स में अखबारी कागज का उत्पादन

407. श्री भागीरथ भंवर

श्री धामनकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल्स की अखबारी कागज की वार्षिक उत्पादन क्षमता डेढ़ लाख टन है ;

(ख) क्या इसके बावजूद भी अखबारी कागज की कमी है ;

(ग) क्या सरकार ने समाचार पत्र संघ के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किये हैं ; और

(घ) यह कमी संभवतः कब तक दूर हो जायगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । विस्तार प्रोग्राम के पूरा होने पर 75,000 मी० टन होने की आशा है ।

(ख) देश में अखबारी कागज की कमी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पांचवीं योजना के अंत तक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कोशिश की जा रही है ।

देश में पुलिस के अच्छे प्रशिक्षण का कार्यक्रम

408. श्री वरके जार्ज
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस को अच्छे प्रशिक्षण प्रदान करने के सबध में सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

देश में पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रबन्धों में मूल कमियों का पता लगाने तथा वर्तमान पद्धति में सुधार लाने के बारे में किये जाने वाले उपायों के सुझाव देने के लिये भारत सरकार ने प्रो० एम० एस० गोरे के अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण संबंधी एक समिति गठित की थी । समिति को देश की सामाजिक-आर्थिक पृष्टभूमि तथा उसके मूल्यांकन पद्धतियों के संदर्भ में समस्या के हर पहलू की जांच करनी थी । समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह में सरकार को दी गई थी ।

2. पुलिस राज्य का विषय होने के कारण समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को राज्यों द्वारा कार्यरूप दिया जाना है । केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सिफारिशों की विस्तृत जांच हाथ में ली गई है । शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने तथा यह देखने के लिये कि सारे देश में कार्यान्वयन के लिये समन्वित कार्यक्रम समान आधार पर बनाये गये हैं राज्यों के मुख्य मंत्रियों । गृह मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में कार्य का ब्यौरा तैयार करने का प्रस्ताव है । उपरोक्त निर्णय के अनुसार राज्य इस समय सिफारिशों की जांच कर रहे हैं । कुछ निर्णय जो केवल केन्द्र से संबंधित हैं उन्हें पहले कार्यान्वित किया गया है वे इस प्रकार हैं :–

(1) पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरों के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है ।

(2) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम का विषय तथा अवधि बदल दी गई है ।

(3) वर्तमान कर्मचारियों के लिये नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ।

(4) एक तीसरा केन्द्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जा रहा है ।

(5) एक केन्द्रीय आतायात संस्थान स्थापित करने के लिये सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी गई है ।

3. प्रशिक्षण के विषय में समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(क) केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशें

(1) पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को स्थापित करना ।

(2) 6 से 8 वर्ष की सेवा के अधिकारियों के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम के पुनः वाचन समेत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिये सेवा काल में प्रशिक्षण, प्रशासनिक स्तर के उच्च अधिकारियों के लिये एक पुलिस कार्य संचालन विकास कार्य क्रम तथा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और अपराध विज्ञान संस्थान व फोरेन-सिक विज्ञान के कुछ विशिष्ठ पाठ्यक्रम ।

(3) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ।

(4) विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिये संस्थान स्थापित करना ।

(ख) राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशें

(1) पुलिस में कर्मचारी प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा नौकरी में प्रगति पर पूर्णकालिक ध्यान देने के लिये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण) के पदों का सृजन करना ।

(2) देश तथा विदेश में गैर पुलिस संस्थानों में पाठ्यक्रम के लिये पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।

(3) वर्तमान कर्मचारियों की जांच ।

(4) भर्ती प्रणाली तथा मूल प्रबोधन पाठ्यक्रम तथा पदोन्नति पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण ।

(5) प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों तथा प्रशिक्षण सहायकों और सुविधाओं में सुधार करना ।

विभिन्न राज्यों में अवैध शस्त्रास्त्र कारखानों का पता लगाया जाना

410. श्री वरके जार्ज
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने जुलाई, तथा अगस्त 1973 के दौरान देश व्यापी छापों के बाद लगभग 31 अवैध शस्त्रास्त्र कारखानों का पता लगाया है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार कितनी गिरफ्तारियां हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : संलग्न सूची में दिये गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अवैध शस्त्रास्त्र कारखानों का पता लगने की सूचना नहीं मिली है । अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण व दीव के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Death of a Jawan of Assam Rifles in an encounter with rebel Nagas at Khamasom of East Manipur District

411. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a Jawan of Assam Rifles was killed in an encounter with an armed group of rebel Nagas which took place on the 2nd October near a place called Khamasom of East Manipur District :

(b) whether the rebel Nagas had automatic weapons with them;

(c) whether such type of encounters have become very frequent; and

(d) if so, the number of jawans and rebel Nagas killed during the last four months separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) In the recent months, the Naga rebels have been responsible for a number of violent incidents.

(d) Between 1st July and 31st October 1973, 13 Naga rebels and 30 Security Forces personnel were killed.

बड़े उद्योग गृहों को लाइसेंस और आशय पत्रों का जारी किया जाना

412. श्री प्रिय सूर्जन दास मुंशी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अप्रैल, 1972 से अगस्त, 1973 के दौरान श्री आर० पी० गोयनका, श्री के० के० बिड़ला, श्री एम० पी० बिड़ला, श्री जी० डी० बिड़ला, श्री एम० आर० सिंघानी तथा उनकी संबंधित फर्मों को कितने लाइसेंस अथवा आशय पत्र नये कारखानों अथवा वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये दिये गये और उनसे संबंधित राज्यों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : 1-4-1972 से 31-8-1973 की अवधि में श्री आर० पी० गोयनका, श्री के० के० बिरला, श्री एम० पी० बिरला, श्री जी० डी० बिरला और श्री एम० आर० सिंहानियां के नाम में कोई औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र नहीं जारी किया गया है। 1-4-1972 से 31-8-1973 की अवधि में बिरला, गोयनका और जे० के० सिंहानियां समूह द्वारा नियन्त्रित अथवा इनसे संबंधित कम्पनियों को नये उपक्रम स्थापित करने तथा विद्यमान उपक्रमों का विस्तार करने के लिये (राज्यवार) जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों की संख्या संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 5688/73]

पिछड़े क्षेत्रो में उद्योग स्थापित करने में उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए समिति

413. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री कारों के उत्पादन के लिये जारी किये गये आशयपत्रों के पुनरीक्षण के लिये नियुक्त की गई समिति के अनुरूप उन उद्यमियों को अपने उद्योगों की स्थापना में हो रही कठिनाइयों की जांच करने के लिये समितियों की स्थापना की वांछनीयता पर विचार कर लिया है जिनको गत दो वर्षों में आशय पत्र दिये गए थे किन्तु देश के औद्योगिक विकास को नवजीवन देने के लिये विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं की जा सकी; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के नाम सहित इन समितियों की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार का प्रत्येक उद्योग के लिये ऐसी समितियां नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी सरकार परियोजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति का निर्धारण करने के उद्देश्य से विभिन्न उद्योगों के आशय पत्र धारियों द्वारा की गई प्रगति की समय समय पर पुनरीक्षा करती रही है। एकीकृत औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय की स्थापना होने से आशय पत्रों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और अधिक पद्धतिबद्ध आधार पर की जायेगी।

देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति का उत्पादन

414. श्री धामनकर : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मैगावाट परमाणु शक्ति की आवश्यकता है तथा इस समय चालू बिजली घर अर्थात् निर्माणाधीन बिजली घर पांचवीं योजना के अन्त तक क्या लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे; और

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त परमाणु शक्ति का उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) बीते हुए कुछ समय में ऐसे बहुत से कारण सामने आये हैं जिनके परिणामस्वरूप देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में फौरन वृद्धि करना आवश्यक प्रतीत होता है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि देश के घटते हुए प्राकृतिक ईंधन के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, देश में उत्पादित कुल बिजली की मात्रा में, परमाणु विद्युत, विशेषत: फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों से उत्पन्न विद्युत, का अनुपात निरन्तर बढ़ाना होगा । फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों में ईंधन के रूप में काम में आने वाला प्लूटोनियम वर्तमान में निर्माणाधीन तथा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले कांडू किस्म के विद्युत रिऐक्टरों से प्राप्त हो सकेगा । आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 940 मैगावाट क्षमता के कांडू किस्म के रियेक्टर बिजली पैदा करने लगेंगे । अत्यन्त परिष्कृत किस्म के उपकरणों को देश में ही तैयार करने की क्षमता के एक बार सुनिश्चित हो जाने पर तथा रिऐक्टरों का आकार 235 मैगावाट की क्षमता के स्थान पर 500 मैगावाट की क्षमता के अनुरूप बढ़ाया जाने के बाद, जब भी साधन उपलब्ध हो सकेंगे तब, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जायगा ।

बिजली संकट

415. श्री धामनकर : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार 'सेन्ट स्टीफन्स कालेज, नई दिल्ली, ' में भौतिकी के एक भूतपूर्व लेक्चरार, श्री डेविड गार्सलिंग द्वारा यह कहा गया बताया गया है कि यदि भारत के आणविक कार्यक्रम के संबंध में कुछ मुख्य नीति निर्णय न किये गये तो देश को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) 3 अक्तूबर, 1973 के इंडियन एक्सप्रैस में दिया गया श्री गार्सलिंग का मत सही सूचना पर आधारित प्रतीत नहीं होता है । यह सही नहीं है कि हमारे परमाणु विद्युत कार्यक्रम में अब फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों के स्थान पर पुराने तथा पारस्परिक किस्म के रिऐक्टरों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है । तथापि, प्रतिवर्ष व्यावसायिक किस्म के फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों के लिये आवश्यक प्लूटोनियम की पर्याप्त मात्रा तैयार करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि पारस्परिक किस्म के अनेक रिऐक्टर भी लगायें जायें । जहां तक भारतीय सामग्री को शीघ्रातिशीघ्र काम में लाने पर बल देने की बात है, आरम्भ से ही हमारा लक्ष्य भी ऐसा ही करने का रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करने के परिणामस्वरूप निर्माणाधीन परमाणु बिजली घरों को पूरा करने में कुछ देरी हुई है, किन्तु प्रत्येक देश को परमाणु ऊर्जा जैसे जटिल क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है ।

पांचवीं योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले टेलीविजन केन्द्र

416. श्री धामनकर
श्री वरके जार्ज :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्टूबर, 1973 को पूना में चालू किये गये एक टेलीविजन केन्द्र सहित अब तक भारत में कुल कितने टेलीविजन केन्द्र चालू हो गये हैं ;

(ख) पांचवीं योजना की अवधि में और कितने केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ग) किसी विशिष्ट क्षेत्र/स्थान पर टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के क्या मान दण्ड हैं; और

(घ) इस नये तथा सशक्त सार्वजनिक सूचना माध्यम को गांवों तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा ताकि ग्रामीण लोगों के शैक्षिक, कृषि, कार्मिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक जीवन में, "क्रांतिकारी परिवर्तन" आ सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क): अब तक दिल्ली, बम्बई और श्रीनगर में तीन मूल केन्द्र और अमृतसर और पूना में दो रिले केन्द्र चालू हो चुके हैं ।

(ख) और (ग): देश में टेलीविजन के विस्तार हेतु पांचवीं योजना के प्रस्ताव अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं और उन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी, मूल और रिले केन्द्र स्थापित करने हेतु प्राथमिकता दिये जाने की संभावना है ताकि उन क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा जारी रखी जा सके जिनको उपग्रह पद्धति द्वारा कवर किये जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) वित्तीय कठिनाई के कारण देश में टेलीविजन के विस्तार के बारे में क्रमिक रूप से विचार करना है । देश में टेलीविजन व्याप्ति का विस्तार साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

कागज के न्याय संगत मूल्य

417. श्री धामनकर : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने कागज के न्यायसंगत मूल्यों के लिये एक योजना बनाई है तथा क्या नई तथा पुरानी कागज मिलों के उत्पादों को सूची बद्ध मूल्यों (पूल प्राइसिज) पर बेचा जायेगा;

(ख) क्या अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अखबारों पर से स्याही मिटाने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है जिसके द्वारा अखबारों का पुनः उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) क्या देश में स्याही मिटाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध है तथा इस प्रक्रिया की लाभ हानि का पता लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने प्रीन्डिजायन लागत अनुमानों सहित तकनीकी नोट तैयार किये हैं । उद्योग को देने के लिये यह प्रक्रियान्वयन एन०आर०डी०सी० आफ इण्डिया को सौंपा गया है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को पुरस्कार कहने का अनुरोध

418. श्रीमती कृष्णा कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को पुरस्कार कहे जाने के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 'पेंशन' शब्द को बदलने के सुझाव पर सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार किया गया है । चूंकि राष्ट्र के लिये स्वतंत्रता सेनानियों की पिछली सेवाओं के सम्मान में उनको किये गये भुगतान का यह शब्द उचित रूप से उल्लेख करता है, अतः इसे रखा गया है ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अनुदानों का नियतन

419. श्रीमती कृष्णा कुमारी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अनुदानों के नियतन के बारे में कुछ संसद-सदस्यों की ओर से हाल में प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये सरकार का कितनी धनराशि नियत करने का विचार है;

(घ) इन अनुदानों के वितरण के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है; और

(ङ) राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आल इन्डिया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स सेमिनार एण्ड कान्फ्रेन्स की प्रारंभिक समिति, जिसमें संसद सदस्य शामिल हैं, ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मूलत: राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है । पांचवीं योजना के संबंध में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिये वे अधिक धनराशि सुलभ करें । आगे यह सुझाव भी दिया गया है कि राज्यों की पांचवीं योजना में प्रत्येक जिले के लिये योजना परिव्यय संबंधी सूचना यथा संभव दी जानी चाहिये । सम्पत्ति संसाधन, आधारभूत कार्यों का विस्तार और उनकी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने के पश्चात ही योजना परिव्ययों का निर्धारण किया जाना चाहिये । जनजातीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को अतिरिक्त धन सुलभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्र के विचाराधीन है तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि ऐसे क्षेत्रों के लिये उप-योजनायें तैयार करें । न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसकी परिकल्पना पांचवीं योजना में की गयी है, से भी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को काफी मदद मिलेगी ।

(ङ) राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

केरल में आदिवासियों के लिए बस्तियों तथा रिहायशी स्कूलों की स्थापना

420. श्री ए० के० गोपालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल के वाइनाड तथा अंट्टप्पडी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिये केन्द्र द्वारा आयातित योजनाओं के अन्तर्गत कुछ अन्य वस्तियां बसाने तथा रिहायशी स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) चौथी योजना में बस्तियों तथा रिहायशी स्कूलों की केन्द्र द्वारा आयातित कोई योजनायें नहीं हैं । पांचवी योजना के लिये केन्द्र द्वारा आयातित योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

हरियाणा हरिजन संघ की ओर से ज्ञापन

421. श्री झारखण्डे राय

श्री आर० के० सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा हरिजन संघ ने राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में स्थित उनकी भूमि से बेदखल किये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) क्या इस बारे में बहुत से हरिजनों ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी थी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तहसील झज्जर (हरियाणा) में सुनारवाला क्षेत्र से हरिजनों का एक प्रतिनिधि मण्डल कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री से मिला था तथा ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें ये आरोप थे कि राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया है । इस संबंध में 29-8-1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 498 के लिये इस सदन में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस विषय पर हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री चान्द राम तथा हरिजन संघर्ष समिति, नई दिल्ली की ओर से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 27-8-73 से 5-11-73 तक की अवधि के दौरान 6,988 गिरफ्तारियां की गई हैं ।

प्रधान मंत्री के कथनानुसार उड़ीसा में आदिवासियों का उत्थान

422. श्री झारखण्डे राय
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में उड़ीसा में देश के आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार के निश्चय की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो देश में आदिवासियों के लिये सरकार ने क्या कल्याण योजनायें बनाई हैं तथा अन्य उपाय किये हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों में इस संबंध में कोई संतोषजनक कार्य किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) : जी हां, श्रीमान। प्रधान मंत्री ने अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिये सरकार के वायदे को दोहराया है।

(ख) आदिवासियों के कल्याण के लिये निम्नलिखित योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है :–

केन्द्रीय क्षेत्र

(1) आदिवासी विकास खण्ड
(2) आदिवासी विकास एजेंसियां
(3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
(4) लड़कियों के छात्रावास
(5) प्रशिक्षण तथा संबद्ध योजनायें
(6) सहकारिता
(7) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

राज्य क्षेत्र

(1) शिक्षा और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां दोपहर के भोजन और आश्रम स्कूल।

(2) आर्थिक विकास के लिये योजनायें और कृषि, सिंचाई, घरेलू उद्योगों, संचार व्यवस्था, सहकारिता इत्यादि का विकास।

(3) स्वास्थ्य, आवास व अन्य योजनायें और चिकित्सा सुविधायें, पेय जल सप्लाई, मकान स्थलों व मकानों की व्यवस्था।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष परियोजनाओं को निम्नलिखित स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है :—

(1) श्री काकूलम (आन्ध्र प्रदेश)
(2) चक्रधरपुर (बिहार)
(3) दन्तवाड़ा (मध्य प्रदेश)
(4) कोटा (मध्य प्रदेश)
(5) पलाकीभेदी (उड़ीसा)
(6) गुनुप्रर (उड़ीसा)

पांचवीं योजना के दौरान आदिवासि क्षेत्रों के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

वर्ष 1973 के दौरान बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु विशेष कार्यक्रम

423. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1973–74 में कुल कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) आवंटित धनराशि में से राज्यवार, कितना व्यय किया गया; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले विशेष कार्यक्रम के लिये 1973–74 में निम्नांकित आवंटन किये गये हैं :—

	(करोड़ रुपये)
(1) ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित स्कीम	44.88
(2) शिक्षित बेरोजगारों के लिये कार्यक्रम (जारी स्कीमें)	48.26
(3) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम	23.00
(4) शिक्षित बेरोजगारों के लिये पांच लाख रोजगारों का कार्यक्रम	100.00

(ख) और (ग) ऊपर बताये गये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने जो अनेक रोजगार स्कीमें तैयार की हैं वे इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्यों को आवंटित राशियों में से कुल कितने का उपयोग किया गया तथा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 1973–74 में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कितने रोजगार का सर्जन हुआ, इसकी जानकारी केवल चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हो सकेगी ।

कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई सुविधाएं

424. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर कनारा की बेंदा, गोल्ला, लम्बानी, गोली, लोकल्लिगा जैसी जातियों तथा कर्नाटक राज्य की कुछ अन्य जातियों के उत्थान के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो अल्प संख्यक होने के नाते उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर उड़ीसा में टेलैक्स सुविधा का विस्तार

425. श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर उड़ीसा में टेलैक्स सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है जहां कोई भी दूर संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किन किन स्थानों पर दी जायेगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री(श्री राजबहादुर): (क) और (ख) जी हां । राउरकेला में टेलैक्स सुविधा देने का प्रस्ताव है ।

गुजरात में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में डिग्री तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को रोजगार

426. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूजरात सरकार ने इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विषयों में डिग्री तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये पंजाब की आदर्श योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में इस योजना की क्रियान्विति पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस योजना की क्रियान्वित के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार का ऋण पंजाब सरकार को भी दिया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान सरकार 3.94 लाख रुपये की राशि खर्च कर रही है।

(ग) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सहायता मांगी थी और उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित अपेक्षित राशि केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर दी है ।

(घ) जी, हां।

विभिन्न मन्दिरों से चुराई गई मूर्तियां

427. श्री विक्रम महाजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान अब तक देश के विभिन्न मन्दिरों तथा अन्य स्थानों से कुल कितनी मूर्तियों के चोरी हो जाने के समाचार मिले हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामलों में चोरी हुई मूर्तियां बरामद कर ली गई; और कितने मामलों में बरामद नहीं की जा सकीं, तथा इन मूर्तियों के बरामद न हो सकने के क्या कारण हैं; और

(ग) मूर्तियों की चोरी तथा तस्करी के आरोपों में गत तीन वर्षों में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) देश में विभिन्न मन्दिरों से चुराई गई मूर्तियों के निर्यात का कोई मामला गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचित नहीं किया गया है।

किन्तु इस अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में 1064 मामलों में 2648 मूर्तियां चुराये जाने की सूचना दी गई थी और 327 मामलों में इनमें से 793 मूर्तियों के बरामद किये जाने की सूचना दी गई थी । चुराई गई कुछ मूर्तियों के बरामद न होने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता । किन्तु पुलिस उन्हें बरामद करने के हर प्रयत्न कर रही है ।

कुल मिलाकर 1302 व्यक्ति इन चोरियों में अन्तर्ग्रस्त बताये जाते हैं। 1972 तथा 1973 के दौरान 240 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और 85 व्यक्तियों को सजा दी गई थी।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा तेल खोज के लिये देशी मड थिनर की खोज

428. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने देश में तेल की खोज के लिये देशी मड थिनर का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तेल की खोज के लिये तेल उद्योग के थिनर की अनुमानत: वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) इस नई खोज से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) देश में विकास और खोज संबंधी कूओं में इस्तेमाल करने के लिये मड थिनर की वार्षिक आवश्यकता 1200–1500 टन अनुमानत: आंकी गई है। (1970 के आंकड़ों के आधार पर)

(ग) उद्योग को इस उत्पाद का लाइसेंस दे दिया गया है जिसका उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

Incidents of stabbing and murdering in Delhi

429. Shri G.P. Yadav
Shri Saroj Mukherjee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the law and order situation in the capital city of Delhi is very serious and the incidents of stabbing, murdering, snatching the necklaces and purses are very common, and

(b) if so, the action being taken by Government to stop the recurrences of such incidences ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) It is not correct that the law and order situation in the capital city of Delhi is very serious. The situation is under control. A constant watch is kept over the situation and periodic reviews are made of the steps taken to deal with the situation. However, due to rapid increase in the population in Delhi and in the area under urbanization and due to some other factors, there is some increase in the incidence of stabbing, murder and snatching.

(b) The following measures have been adopted to prevent the recurrences of such incidents :—

(i) Patrolling by the police has been intensified. Assistance of the Home Guards has been taken for this purpose.

(ii) Police-men in plain clothes have been deployed to keep a watch over bad elements.

(i i) Patrolling by wireless fitted motor-cycles together with foot patrolls with wireless equipment have been introduced.

(iv) Mounted police patrol and dog patrol have been introduced in vulnerable areas from dusk to midnight.

उच्च शक्ति प्राप्त प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना

430. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कृतिक बल (टास्कफोर्स) ने एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) यह बोर्ड अनुसंधान कार्यक्रमों में किस सीमा तक सहायक होगा; और

(ग) इस कृतिक बल ने अन्य क्या सिफारिशें की तथा कौन कौन सी सिफारिश सरकार ने स्वीकार की ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के लिए सीमेंट का कोटा

431. श्री विक्रम महाजन

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की वर्तमान मांग कितनी है;

(ख) वर्तमान उत्पादन कितना है और सप्लाई में कितनी कमी है; और

(ग) वर्ष 1973–74 के लिये हिमाचल प्रदेश को कितने सीमेंट का कोटा जारी किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) करीब 190 लाख मी० टन ।

(ख) जनवरी से सितम्बर, 1973 तक 109.00 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ । 1973 के पूरे वर्ष में 40 लाख मी० टन की गिरावट को छोड़कर करीब 150 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने की आशा है ।

(ग) 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 के लिये हिमाचल प्रदेश को 80 लाख मी० टन सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया है ।

तमिलनाडु के लिए पांचवीं योजना का नियतन

432. श्री आर० बी० स्वामीनाथन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले तमिलनाडु के लिये नियतन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) पांचवीं योजना में शामिल किये जाने के लिये राज्य सरकार ने क्या विशिष्ट मांगे रखी हैं और केन्द्र सरकार उन पर कहां तक सहमत हुई है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने 1532 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव अपनी पांचवीं योजना प्रस्ताव के प्रारूप में प्रस्तुत किये हैं और इन पर योजना आयोग में विचार-विमर्श हो चुका है । तमिलनाडू सहित राज्यों की पांचवीं योजना के आकारों पर अन्तिम निर्णय छठे वित्त आयोग पर भारत सरकार के निर्णय और योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर उनके संसाधनों के पुनर्विश्लेषण करने के बाद किया जायेगा ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या

434. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय रिर्जव पुलिस पर खर्च के बारे में 8 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा वर्ष 1966–67 से 1973 तक उसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) मार्च, 1972 से पश्चिम बंगाल में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : निम्नलिखित तारीख की संख्या :–

(क)	1–1–67 (66–67)	22,626
	1–1–68	29,099
	1–1–69	56,271
	1–1–70	64,132
	1–1–71	65,785
	1–1–72	75,748
	1–1–73	75,788
(ख)	मार्च, 72	95 कम्पनी
	जून, 72	67 कम्पनी
	सितम्बर, 72	64 कम्पनी
	अक्तूबर, 72	55 कम्पनी
	नवम्बर, 72	49 कम्पनी
	फरवरी, 73	46 कम्पनी
	अप्रैल, 73	44 कम्पनी
	मई, 73	38 कम्पनी
	जुलाई, 73 से अब तक	39 कम्पनी

सहायक कर्मचारियों समेत प्रत्येक कम्पनी की स्वीकृत संख्या लगभग 140 है ।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

435. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प० बंगाल में सीमेंट की अत्यधिक कमी है जिसके कारण राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) राज्य में सीमेंट की मांग तथा उपलब्धता और उपलब्ध कराये गये सीमेंट की मात्रा में कितनी कमी हुई हैं; और

(ग) राज्य को सीमेंट का अधिक आवंटन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) देश भर में सीमेंट की कमी के परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में सीमेंट की कुछ कमी है ।

(ख) और (ग) 1.94 लाख मी० टन के आवंटन में से जुलाई-सितम्बर, 1973 की अवधि के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को 1.91 लाख मी० टन दिया गया था । उसी अवधि के लिये 20,000 मी० टन के अतिरिक्त आवंटन के लिये राज्य सरकार के अनुरोध को भी मान लिया था ।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, 1–10–73 से 30–6–74 तक की अवधि के लिये उनके कोटे को 6.45 लाख मी० टन से बढ़ाकर 7.04 लाख मी० टन कर दिया है ।

प० बंगाल में औद्योगिक उत्पादन

436. श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संकट के कारण मार्च, 1972 में प० बंगाल के औद्योगिक उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(ख) उत्पादन को पुन: पूर्वस्तर पर लाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) मार्च, 1972 से बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पादन में हुई हानि के संबंध में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, राज्य सरकार ने सूचित किया था कि बिजली की कटौती के कारण राज्य के जूट व इंजीनियरी उद्योगों को काफी नुकसान हुआ था ।

(ख) सिंचाई व विद्युत मंत्रालय ने क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलनों में इस समस्या पर विचार किया है । इन सम्मेलनों में तात्कालिक उपायों तथा पांचवीं योजना में की जाने वाली कार्यवाही के लिये सिफारिशें की गई हैं । इन सिफारिशों में सामान्य रूप से विद्युत परियोजना कार्यों को तेज करना तथा मरम्मत के अभाव में बेकार हो गये एककों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत किया जाना सम्मिलित थे । कुछ मामलों में पड़ौसी राज्यों से बिजली उधार लेकर इस कमी को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इस उद्देश्य के लिये गठित मंत्रि मंडल समिति भी इस मामले पर निरन्तर विचार कर रही है । दीर्घकालिक उपायों में राज्य की बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पांचवीं योजना की अवधि में चालू की जाने वाली नई परियोजनाओं की स्थापना करना भी सम्मिलित है ।

पश्चिम एशिया में बेचे जाने के लिए लड़कियां ले जाती हुई एक बस का रोका जाना

437. श्री हरिसिंह
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बम्बई - पूना सड़क पर लोनाविला स्थान पर केरल की 29 लड़कियों को, जिन्हें बेचे जाने के लिये पश्चिम एशिया भेजा जा रहा था, ले जाती हुई एक लग्जरी बस को रोका था; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक बस को 19-10-73 को बम्बई जाते हुए पूना जिले में खाण्डला के निकट रोका गया जिसमें 29 केरल की लड़कियां थीं। बाद में इन लड़कियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया और केरल वापस भेज दिया गया। केरल पुलिस के अनुरोध पर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बस को पकड़ा गया और यात्रियों को रोका गया था। कायम कुलम पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।

विदेशी फर्मों के विस्तार हेतु आशय पत्रों का जारी किया जाना

438. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एककों को अपनी क्षमता का विस्तार करने हेतु कोई अनुमति पत्र/अनुमति पत्र जारी किये गये हैं।

(ख) यदि हां, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के किन उपबन्धों के अधीन उक्त पत्र जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या विदेशी फर्में विशेषकर भेषज और औषध निर्माण उद्योगों ने उक्त पत्रों से अनुचित लाभ उठाया है और भारतीय क्षेत्र को हानि पहुंचाकर अपनी क्षमता बढ़ाई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) से (ग) लाइसेंसिंग समिति के निर्णयों के आधार पर भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा बाद में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने औषधि निर्माताओं को विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के उत्पादन हेतु निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकृत करते हुए अनेक अनापति/अनुमति पत्र जारी किये हैं :-

शर्तें :—

(1) इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त संयंत्र और मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी;

(2) कोई रायल्टी नहीं देनी होगी;

(3) पहले से जिन व्यापार चिन्हों का प्रयोग होता आ रहा है उत्पादों की बिक्री उन्हीं चिन्हों के अन्तर्गत की जायगी; और

(4) समय-समय पर सामान्य रूप से आयात नीति में मिलने वाली छूट के संबंध में कच्चे माल और उपकरणों के आयात के लिये कोई विशेष रियायत नहीं प्रदान की जायेगी।

(5) मिश्रणों का उत्पादन उपक्रमों को औषधि निर्माण करने के लिये स्वीकृत क्षमता के अन्तर ही किया जायेगा।

चूंकि इन अनुमतियों से उपक्रमों को लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक का उत्पादन करने का हक नहीं मिलता और ये औद्योगिक लाइसेंस की किस्म में भी नहीं आती अपितु इन्हें औषधि और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्षमता कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर उत्पाद मिश्रण तैयार करने के संबंध में स्पष्टीकरण के रूप में समझा जाना चाहिये।

औद्योगिक विकास दर

440. श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 तथा 1972-73 में देश की औद्योगिक विकास दर क्या रही ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किये औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आधार 1960=100) ने 1967-68 के वित्तीय वर्ष में विकास की दर + 0.1 दर्शायी है। जबकि 1972-73 में बढ़ोतरी का तुलनात्मक दर + 5.2 अंकित की गई है।

Assistance for Setting up of Small Scale Industries

441. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any proposal for providing assistance for the establishment, development and expansion of Small Scale Industries with capital less than Rs. one lakh is under the consideration of the Government; and

(b) if so, the broad outlines there of and the action being taken in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) (a) All small scale units irrespective of their investment in plant and machinery get assistance on a uniform pattern. As at present there is no proposal to give additional assistance to small scale units with capital investment of less than Rs. 1 lakh.

(b) Does not arise.

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतनमानों में पैदा होने वाली विषमताएं

442. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतनमानों में उत्पन्न होने वाली विषमताओं को डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श करके दूर कर लिया गया है;

(ख) क्या ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिये संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की विभागीय परिषद् की एक छोटी समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अभी हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ जिन मसलों पर बात-चीत हुई, उन में विषमताओं के मसले भी शामिल थे । इस बात-चीत के दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वे कौन से कारण हैं जिन से विषमतायें पैदा होती हैं और यह भी कि सामान्य आदेश जारी कर के इन विषमताओं को दूर करने के लिये कौन-से कदम उठाये जायेंगे । उसी आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । तथापि, यदि आयोग को किसी सिफारिश पर सरकार के फैसले के कार्यान्वयन में किसी वास्तविक विषमता का कोई खास मामला जानकारी में आयेगा तो, जहां तक व्यवहार्य होगा, उस विषमता को यथासंभव दूर करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे । इस स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, इस संबंध में अभी तक विभागीय कांउंसिल की कोई समिति नहीं बनाई गई है ।

पूना स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्था के प्रबन्ध के लिए स्वायत निकाय की स्थापना

443. श्री एस० एम० बनर्जी
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूना स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्था के प्रबंध के लिये स्वायत्त निकाय की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या होंगे और इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) पूना स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रबंध के लिये एक सोसायटी स्थापित करने का सिद्धांतत: निर्णय कर लिया गया है । ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश समस्या का समाधान

444. श्री एस० एम० बनर्जी
श्री मधु दंडवते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की समस्या का समाधान करने संबंधी केन्द्रीय सरकार का फार्मूला दोनों ग्रुपों ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश की अखण्डता के बारे में दृढ़ संकल्प है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उस राज्य के नेताओं के साथ अनेक बार विचार-विमर्श हुआ । इन विचार-विमर्शों में काफी सहमति हो गई थी । बाद में कुछ नेताओं ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि राज्य के भविष्य के बारे में शंकायें कुछ सिद्धांतों, जो सामान्यत: छ: सूत्री फार्मूला के रूप में ज्ञात हैं के अनुसार की जा रही कार्यवाही पर पूर्णरूप से दूर हो जायेगी । आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्रों के लोगों द्वारा इस फार्मूले का सामान्यत: स्वागत किया गया है ।

Liberation of Industrial Licensing Policy

445. Shri G.P. Yadav
Shri Vaylar Ravi :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government of India are contemplating to liberalise industrial licensing policy; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) The industrial licensing policy of the Government, in the context of the Fifth Five Year Plan, has been set out in the Press Note dated 2nd February 1973. It has been mentioned there that it will be Government's objective to maintain a durable framework of licensing and other connected policies consistent with the basic principles of the Industrial Policy Resolution of 1956. Accordingly, no change in the industrial licensing policy is contemplated.

Television Station at Patna

446. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate the setting up of a Television Station at Patna, and

(b) if so, the time by which this station would start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh): (a) and (b) A TV Station at Patna is included in this Ministry's proposals for the Fifth Plan, which have yet to be finalised.

Allocations of Funds to Bihar during Fifth Plan for Backward Areas

447. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allotted by the Centre to Bihar in Fifth Five Year Plan;

(b) whether the Central Government consider it necessary to pay special attention to Bihar in view of its backwardness; and

(c) if so, the schemes of the Government in this respect.

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The size of Bihar's Fifth Five Year Plan is still under consideration. It will, however, be finalised soon after a decision has been taken on the recommendations of the Sixth Finance Commission.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए पूंजी निवेश न्यास

448. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये पूंजी निवेश न्यास स्थापित करने के बारे में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी राज्यवार रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा को आशय पत्र/लाइसेंसों का जारी किया जाना

449. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को अप्रैल, 1972 से अगस्त, 1973 तक कितने लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किये गये;

(ख) उनमें से कितने कारखाने त्रिपुरा में वास्तविक रूप से चालू किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों को औद्योगिक विकास निगम धन के अभाव में कार्य करने में असमर्थ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके मूलभूत कारण क्या हैं और इन निगमों के कार्य में पुनः जान डालने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) अप्रैल 1972 से अगस्त, 1973 की अवधि में त्रिपुरा में एकंकों के लिये एक आशय पत्र तथा दो औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे । व्यावहारिक रूप से किसी भी औद्योगिक उपक्रम के स्थापित करने और उसमें उत्पादन होने लगने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कुछ राज्य सरकारें अपनी बजट संबंधी समस्याओं के कारण इस स्थिति में नहीं हैं कि अपने औद्योगिक विकास निगमों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था कर सकें । फिर भी अब राज्य औद्योगिक विकास निगम केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता पाने के हकदार हो गये हैं तथा अपने यहां उद्योगों की स्थापना हेतु उसी तरह ऋण ले सकते हैं जिस प्रकार निजी क्षेत्र वाले लेते हैं । औद्योगिक विकास निगमों के लिये इस प्रकार की सहायता लाभ प्रद सिद्ध होगी ।

बसों तथा ट्रकों के टायरों का काला बाजार

450. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बसों और ट्रकों के टायरों के बढ़ते हुए काला बाजार से अवगत हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस काला बाजार को रोकने के लिये टायरों के उचित प्रकार से वितरण के लिये क्या कदम उठा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बिजली की कटौती और श्रमिक संकटों के कारण टायरों के उत्पादन में गिरावट आई हैं। इसके फलस्वरूप टायरों की कमी के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आटोमोबाइल टायरों को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी सीमा के भीतर टायरों का वितरण करने पर नियंत्रण आदेश लागू कर दिया है। राज्य सरकारों से रजिस्टर में बिक्री दर्ज करके टायरों की बिक्री केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही करने के लिये कहा गया है। सरकार ने खास करके ट्रक और बस टायर उत्पादकों से अतिरिक्त पाली में काम करके तथा छुट्टियों और रविवारों को भी कार्य करने को कहा है ताकि टायर का अधिकतम उत्पादन किया जा सके ।

बिजली की कटौती समाप्त हो जाने तथा श्रमिक संबंधों के सुधर जाने पर संभरण स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है ।

आय संसाधनों के अनुपात से अधिक आस्तियां रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

451. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे केन्द्रीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच करवाई गई है जिनकी आस्तियां उनके आय संसाधनों के अनुपात से अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अगर किसी अधिकारी के पास उसकी आय के ज्ञात संसाधनों के अनुपात से अधिक आस्तियां होने के बारे में विश्वसनीय सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो के ध्यान म लाई जाती है तो ऐसे मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिये रजिस्टर कर लिया जाता है ।

(ख) 1-1-1971 से 31-10-1973 की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 217 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी आय के ज्ञात संसाधनों के अनुपात से अधिक आस्तियां होने के आरोपों के बारे में जांच की थी। जांच पूरी होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये थे । 107 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी और 27 अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश की थी। 20 अधिकारियों के विरुद्ध मामले समाप्त कर दिये गये थे और 50 अधिकारियों के मामलों में अभी जांच-पडताल चल रही है ।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

452. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री बेकारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में नियुक्त नेताजी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) (क): जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) आयोग ने अभी अपनी जांच पूरी नहीं की है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूगोस्लेविया न्यूज एजेंसी के बीच समाचारों के आदान प्रदान के बारे में करार

454. श्री एम एस० संजीवी राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूगोस्लेविया न्यूज एजेंसी के बीच समाचारों के आदान-प्रदान और सूचना देने के क्षेत्र में सहयोग देने के बारे में करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूगोस्लाविया न्यूज एजेंसी (तानजुग) ने समाचारों के आदान-प्रदान और सूचना के क्षेत्र में सहयोग देने के बारे में 1 अक्तूबर, 1973 को एक करार किया ।

(ख) करार की मुख्य बातें ये हैं :–

(1) पी०टी०आई० को 'तानजुग' द्वारा रेडियों के माध्यम से प्रेषित समाचारों को सुन कर उन्हें वितरित करने का अधिकार होगा । इसी प्रकार, 'तानजुग' को रेडियो के माध्यम से पी०टी०आई० द्वारा प्रेषित समाचारों को सुन कर उन्हें वितरित करने का अधिकार होगा ।

(2) दोनों एजन्सियां विशेष घटनाओं के अधिक विस्तृत समाचार देने के विशेष अनुरोधों की यथासंभव पूर्ति करेंगी ।

(3) दोनों एजन्सियां पत्रकारिता, संचार, इंजीनियरिंग और संगठन के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करेंगी । इस सहयोग के स्पष्ट रूप और विषय-वस्तु पर विशेष कार्यवाहक करार किये जायेंगे ।

(4) करार एक वर्ष के लिये वैध है और इसका बिना किसी सूचना के एक और वर्ष के लिये स्वत: पुर्ननवीकरण हो जायगा । किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से तीन महीने की पूर्व सूचना के पश्चात यह करार समाप्त किया जा सकता है ।

देश में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि

455 श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान देश में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में कुल कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पांचवीं योजना के मसौदे के अनुसार देश के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता 15.37 लाख लाइनों से बढ़कर 23.69 लाख लाइनें हो जाने की संभावना है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की कुल एक्सचेंज क्षमता में लगभग 50,000 लाइनों की वृद्धि होने की संभावना है ।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता

456. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री वयालार रवि :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य को पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल करने और उसके विकास के लिये विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार ने इसके लिये क्या कारण दिये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि केरल राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े अभिनिर्धित किये गये राज्यों की सूची में सम्मिलित किया जाये ।

(ख) संक्षेप में, राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण कारण बताये उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के अभिनिर्धारण के लिये सड़कों और रेलों के संबंध में अपनाये गये सिद्धांतों के आंकड़ों से केरल राज्य की समग्र स्थिति सुदृढ़ होती है; जनसंख्या के अनुपात में अवस्थापना संबंधी सुविधायें राष्ट्रीय औसत से कम हैं; राज्य में जिलों की संख्या काफी हैं; आदि ।

(ग) राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिये सिद्धांत का सुझाव देने के लिये गठित एक कार्यकारी दल ने औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का अभिनिर्धारण कर लिया है तथा काफी विचार-विमर्श के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की राज्य मुख्य मंत्री समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

कायर बोर्ड की विज्ञापन परामर्शदात्री फर्म

457. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉयर बोर्ड की परामर्शदात्री फर्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग-करार वाली एक ऐसी फर्म है, जिसके विरुद्ध कई बार शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या वर्ष 1972 में बोर्ड के कलैण्डर और डायरी की प्रकाशित करने और एशिया 1972 में कॉयर बोर्ड के स्टाल की बिक्री करने के बारे में इस विज्ञापन फर्म और बोर्ड के प्रबन्धकों के बीच जालसाजीपूर्ण लेनदेन के बारे में सरकार को और शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिमाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं । एस०आई०एस०टी० ए०एस० (सिस्टाज) को, जो पूर्णरूपेण भारतीय स्वामित्व वाले प्रचार परामर्शदाता हैं, वर्ष 1973–74 के लिये नियुक्त किया गया है ।

(ख) इस मंत्रालय में सरकार को कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेलंगाना तथा पुन्नापरा-वयालार विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता संग्रामियों की पेंशन का दिया जाना

458. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रजाकार तथा हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध तेलंगाना विद्रोह तथा त्रावनकोर के राजा और त्रावनकोर को स्वतंत्र रखने की उसकी योजना के विरुद्ध विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है तथा निर्णय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति के सदस्यों पर अत्याचारों की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

459. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों पर किये गये अत्याचारों की कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रन नहीं उठता ।

दिल्ली में शस्त्रास्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करना

460. श्री सतपाल कपूर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए पिस्तौल और रिवाल्वर के लिये जारी सभी लाइसेंसों की जांच करने का निर्णय किया था; और

(ख) क्या यह जांच इस बीच कर ली गई है; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क): दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिस्तौलों व रिवाल्वरों के वर्तमान लाइसेंसों की किसी प्रकार की जांच उनके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग में अनुश्रवण और मूल्यांकन यूनिट की स्थापना

461. श्री सतपाल कपूर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच अनुश्रवण और मूल्यांकन यूनिट की स्थापना की है; यदि हां, तो कब की है ;

(ख) क्या उक्त यूनिट ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्देश पद क्या हैं और यह यूनिट सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अगस्त, 1973 में योजना आयोग में प्रबोधन और मूल्यांकन एकक की स्थापना की गयी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रबोधन और मूल्यांकन एकक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे इस्पात, तेल और उर्वरकों की प्रगति का बराबर प्रबोधन करेगा । यह एकक प्रधानमंत्री को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें इन क्षेत्रों में भौतिक उपलब्धि और नयी परियोजनाओं के निर्माण में प्रगति का उल्लेख किया जाएगा । यह एकक, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेगा और उनके कार्यकलाप में सुधार के लिये समुचित उपाय भी सुझायेगा ।

P. & T. Officers in the Country

462. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post and Telegraph Offices in different States of the Country; and

(b) the number of new Post and Telegraph Offices proposed to be opened in the States during the financial year 1973-74 ?

The Minister of Communications (Shri Raj Bahadur) (a) *Post Offices* : The information is being obtained and the same will be placed on the Table of the Lok Sabha.

Telegraph Offices : The information is furnished in Col. 2 of the Annexure. **[Placed in Library See No. L.T. 5689/73].**

(b) *Post Offices* : The information is being obtained and the same will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Telegraph Offices : The information is furnished in Col. 3 of the Annexure. **[Placed in Library See No. L.T. 5689/73].**

Development of Barmer

463. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has sanctioned a scheme worth rupees seven crores for the development of Barmer in Rajasthan; and

(b) if so, the broad outlines thereof and when it will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir. No specific scheme involving Rs. 7 crores for development of Barmer district has been sanctioned by the Planning Commission. However, the Planning Commission has generally approved a programme for development of identified drought prone districts in the country including Barmer district in Rajasthan in the Fifth Plan.

(b) The exact pattern of financing is still to be firmly settled. However, it is contemplated that an integrated development of animal husbandry, crop husbandry, afforestation will be taken up under the auspices of an area development organisation. Nucleus funds will be made available to the area development organisation both from the Central Plan as well as from the State Plan. Tentatively, the Central assistance for Barmer is estimated at Rs. 3 crores.

Telephones remaining out of order

464. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of General Telephones which remained out of order continuously in the various parts of the country during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the number of new General Telephones proposed to be sanctioned during the next two years upto 1974-75 ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) No telephones remained out of order continuously in the various parts of the country during 1971-72 and 1972-73. Telephones did get out of order from time to time but they were attended to promptly.

(b) The proposed targets for providing new telephones in the country are as follows :—

Year	No. of new telephones
1973-74	1.65 lakhs
1974-75	1.78 lakhs

Development of Economically backward areas of Madhya Pradesh during Fifth Plan

465. Shri Shrikrishna Agrawal
Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh is far behind other States in the field of economic development and removal of regional imbalances and poverty;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the special efforts being made for the development of these areas during the Fifth Five Year Plan and the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) According to per capita income as compared to the national average, Madhya Pradesh is one of the economically backward States. The main reasons for comparatively low per capita income of Madhya Pradesh are historical and geographical besides inadequate economic infra-structure, predominance of tribal population, under-utilisation of natural resources etc.

(c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. Launching of the National Programme of Minimum Needs in the Fifth Plan for enabling disadvantaged areas and sections of population to come at par in the matter of the basic items of social consumption and to participate effectively in the process of their development.

2. Continuation and re-inforcement of the special assistance to drought prone, tribal and hilly areas in the State.

3. Preparation of special plans for geographically and administratively viable areas of tribal concentration with the objective of (a) narrowing down the gap between tribal and the other areas; (b) improving the quality of life of the tribal community; and (c) achieving social and cultural integration of tribals with the rest of the society.

4. Allocation of Central funds as supplemental to the funds set apart by the State for the execution of integrated area development programme for the speedier development of hilly and tribal areas.

5. Continuation and extension of special programme for small and marginal farmers and agricultural labour.

6. Continuation and re-inforcement of the measures already introduced regarding the reorientation of financial institutions to give special attention to backward areas, the preference accorded to such areas in the matter of licencing investment the concession allowed by way of capital and transport subsidy and the setting up of special mechanism for identifying investment opportunities.

7. Local planning will continue to be one of the main elements of the strategy for the accelerated development of backward areas in Fifth Plan.

Proposal to increase the Price of Newsprint in order to augment the Production

466. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the price of newsprint produced in the country for encouraging producers to increase production so that shortage of newsprint is removed; and

(b) if so, the success achieved so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) Some paper mills have shown their interest for diversification of part of their existing production and in setting up new units, for the manufacture of newsprint.

Special Programme for Development of Rockets

467. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) whether Government have given their approval to a special programme for development of space rockets; and

(b) if so, the main features of the programme ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) Government had approved a 10 year programme for development of Space Research in 1970. Details are available in the paper "Atomic Energy & Space Research : A profile for the decade 1970-80", copies of which are available in the Parliament Library. As a part of the Space Programme, an indigenous Satellite Launch Vehicle was to be developed in order to achieve the capability of placing Satellites in low earth orbit. The design phase of this project has been under way for approximately the last three years. The Launch Vehicle-designated SLV-3—has now entered the development phase. SLV-3 will have four propulsive stages, will weigh approx. 17.4 tonnes, and will be capable of placing a 40 Kg. Satellite in a 400 Km near circular orbit. The first launch is expected to take place in 1978.

इम्फाल में सेना को बुलाया जाना

468. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में इम्फाल सिटी में सेना को बलाना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) मनीपुर में कानून और व्यवस्था बनाऐ रखने के लिये सेना को कितने दिन इम्फाल में ठहरना पड़ा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) इस आरोप पर कि एक दुकानदार ने एक महिला के साथ छेड़खानी की है, 13 सितम्बर, 1973 को इम्फाल में दंगे हुए थे। कथित छेड़खानी के बारे में अफवाह से छात्र और नवयुवक जो घटनास्थल के पास फुटबाल का मैच देख रहे थे, भड़क उठे और उन्होंने कुछ आवेश में आकर बाजार में दुकानों को लूटा, पथराव और आगजनी इत्यादि की। शान्ति बनाए रखने के लिये नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सैनिक टुकड़ियां बुलाई गई। सैनिक कर्मचारी 13 सितम्बर से 21 सितम्बर, 1973 तक इम्फाल में तैनात रहे।

सीमेंट के लिए दूहरी बिक्री व्यवस्था

469. श्री नरेन्द्र सिंह
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमेंट की दूहरी बिक्री व्यवस्था के बारे में अक्टूबर 1973 के प्रथम सप्ताह में बम्बई में भारत के सीमेंट निर्माताओं के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इस बारे में निर्माताओं के क्या विचार हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक बिजली का उत्पादन करने का दायित्व राज्यों को सौंपना

470. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक बिजली का उत्पादन करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार के बजाय राज्यों को सौंपने सम्बन्धी योजना आयोग का सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों ने क्या टिप्पणियां की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस संबंध में योजना आयोग ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों के विकास के लिए आधार-निधि का बनाया जाना

472. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
श्री के० लकप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगर भारतीय फिल्मों को बेहतर सामाजिक अर्थ दिया जाए, तो क्या उन्हें धनाभाव के कारण नहीं सुधारा जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्मों में सुधार के लिये 'आधार निधि' बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिनेमा टिकटों पर थोड़ी मात्रा में उप-कर लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार भारतीय फिल्मों में सुधार की राह में वित्तीय दबावों से उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत है और उसने एक फिल्म विकास कोष स्थापित करने का निर्णय किया है ।

(ग) जी, हां । सरकार फिल्म विकास कोष बनाने के लिये हर सिनेमा टिकट पर पांच पैसे का उप-कर लगाने के बारे में विचार कर रही है ।

तैयार चमड़े का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाया जाना

473. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
श्री के० लकप्पा :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तैयार चमड़े के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये लाइसेंस प्रणाली को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उदार बनाने की इस प्रक्रिया में अर्ध तैयार चमड़े का उत्पादन करने की क्षमता को तैयार चमड़े का उत्पादन करने की क्षमता में बदलने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) यह तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिये किया गया है ।

औद्योगिक उत्पादन

474. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

श्री पी० गंगादेव :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष के पूर्वार्द्ध में आई कठिनाइयों से वर्ष 1973 में औद्योगिक उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1973 के शुरु के पांच महीनों (जनवरी से मई) में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 0.3 प्र०श० की केवल मामूली वृद्धि हुई है जबकि 1972 के इन्हीं महीनों में 7.3 प्र०श० की वृद्धि हुई थी ।

औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक में मई 1973 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं जबकि कुछ चुने हुए उद्योगों के जुलाई 1973 तक के अनन्तिम उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हैं । जिनसे निम्नलिखित उद्योगों का पता चलता है जिनके उत्पादन में गिरावट आई है ।

(क) वे उद्योग जिनके उत्पादन में अधिक (20 प्र०श० से अधिक) गिरावट आई है :

लुगदी और कागज मशीनें अलूमीनियम कण्डकटर आधा तैयार इस्पात बाइसायकिल के टायर और ट्यूबें एल० टी०, इन्सूलेटर, रेडियो रिसीवर, टाइप राइटर, कमरा वातानुकूलित करने की मशीनें, घर में लगाये जाने वाले मीटर, प्लाईवुड, रबड़ के जूते, वेजिटेबल से कमाये हुए चमड़े, वनस्पति और साबुन ।

(ख) जिन उद्योगों के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट (10 और 20 प्र०श० की बीच) आई है

चीनी मिल मशीनें, हैवी स्ट्रकचरल्स, वैद्युत इस्पाती चादरें, अल्मीनियम इनगाट्स, कागज और कागज के गत्ते, रिफ्रैक्टरीज, कैल्शियम कार्बाइड, फ्लोर मिलिंग और जूट उत्पादन ।

(ग) जिन उद्योगों के उत्पादन स्पष्ट गिरावट (5 से 10 प्र०श० के बीच) आई है

सीमेंट, सोडा ऐश, कास्टिक, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर लिक्विड क्लोरीन, न्यूजप्रिन्ट, आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें बिजली के पंखे, सिगरेट और चमड़े के जूते ।

(घ) जिन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट (2 से लेकर 5 प्र०श०तक) आई है अथवा सापेक्षिक रूप से उत्पादन स्थिर रहा है ?

सूती धागे और सूती कपड़े, पिग आइरन, तैयार इस्पात,इस्पात की ढलाई वेहिक्यलर डीजल इन्जिन, रेलवे वैगन, ट्रैक्टर टायर, ब्लीचिंग पाउडर रेजर ब्लेड तथा सिलाई मशीनें । विविध उद्योगों के उत्पादन में गिरावट होने के कारण अवश्य ही भिन्न भिन्न होते हैं और उनमें ये शामिल हैं :–

राज्यों में बिजली में की गई कटौतियां जिसके कारण बहुत से एकक बन्द हो गये हैं और इसके फलस्वरूप अन्य राज्यों के एककों पर जो खरीद कर हिस्से पुर्जे प्रयोग करते हैं । (जैसे मोटर गाड़ी उद्योग जिस पर कास्टिंग की कमी का प्रभाव पड़ा था) प्रभाव पड़ा था ।

कच्चे माल की कमी (साबुन और वनस्पति पर जो तिलहन की फसलों पर आधारित हैं, और चिकनाई तथा तेलों की ऊंची कीमतों का तथा संसार भर की कमी का प्रभाव पड़ा है इसका बहुत से अन्य उद्योगों पर भी जो आयातित कच्चे माल पर आधारित है) प्रभाव पड़ा है ।

क्रयादेशों में गिरावट (जैसे लुगदी और कागज की मशीनरी एल० टी इन्सुलेटर्स घरेलू सामान) कागज निर्माण के औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र धारियों ने लुग्दी और कागज मशीनरी के लिये स्वदेशी निर्माताओं के उपकरणों के लिये क्रयादेश देने की अनुचित अनिच्छा दिखाई है ।

अधिक लाभ वाली वस्तुओं का उत्पादन जैसे बाइसिकल टायर और ट्यूबों पर प्रभाव पड़ा जबकि बिजली में कटौती के कारण कुल टायर क्षमता की सीमा निर्धारित कर दी गई है । श्रमिक अशान्ति के कारण भी संयंत्र बन्द हो गये हैं– बाइसिकल टायर तथा ट्यूब बनाने वाली मुख्य एककों में ठीक प्रबन्धकीय संबंध न होना । अस्तव्यस्त औद्योगिक संबंध स्थिति (जिसका कुछ उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था) ।

परिवहन की अड़चनें और सामान्यत: रेल वैगनों का काम आना जाना (जैसे किसी उद्योग के लिये कोयले का लाना ले जाना) और संयंत्र तथा उपस्कर के अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण हुए क्षमता संबंधी अवरोधों जिनसे अनेक उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिनमें बिजली जनित्रण सम्मिलित है और जिसका सामान्य रूप से औद्योगिक उत्पादन के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

सरकार के द्वारा किये गये समायोजित उपायों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने की आशा है । इन उपायों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :–

(क) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रविधि को सुप्रवाही बनाना जिनमें औद्योगिक स्वीकृतियों के लिये सचिवालय की स्थापना उत्पादन में विविधता लाने तथा लाइसेंसिंग के लिये निर्धारित न्यूनतम निवेश की शर्तों को ढीला करने, तथा पूंजीगत माल के लिये आयात लाइसेंसों की स्वीकृति की प्रक्रिया में ढील देना ।

(ख) लघु उद्योगों के विकास के लिये विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान करना;

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में नये औद्योगिक कारखाने लगाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना;

(घ) प्रारंभिक मूल्यह्रास भत्ता प्रदान करके चुने हुए उद्योगों में नये निवेशों को प्रोत्साहित करना;

(ङ) देश में दुर्लभ पूंजीगत माल के आयात के लिये अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान; तथा

(च) उद्योगों के, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग तथा इंजीनियरी-उद्योगों के पुनर्नवीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा अधिकाधिक रूप से अच्छे अनुरक्षण पर जोर देना ।

पोटेशियम क्लोरेट की मांग

475. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोटेशियम क्लोरेट की वर्तमान मांग कितनी है ;

(ख) निम्नलिखित निर्माताओं अर्थात् (क) मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई (ख) मैसर्स ट्रावनकोर कैमिकल्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० अल्वाई (केरल) और (ग) मैसर्स माथूर कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन; मैत्तूर डान, जिला सेलम (तमिलनाडू) में से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) वर्ष 1973 में अगस्त के महीने तक उनका अलग अलग उत्पादन कितना रहा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) पोटेशियम क्लोरेट की वर्तमान मांग प्रतिवर्ष 5000 मी० टन है ।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियों की उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :–

एकक का नाम	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
(i) मै० वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लि०	4200 मी० टन
(ii) मै० ट्रावनकोर कैमीकल्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० अल्वाय (केरल)	750 मी० टन
(iii) मै० मैत्तूर कैमीकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन मैत्तूर डैम (तमिलनाडु)	624 मी० टन

(ग) इनका उत्पादन (1973 से अगस्त, 1973 तक की अवधि में अलग अलग) निम्न प्रकार है :–

(i) मै० वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लि०	2748 मी टन
(ii) मै० ट्रावनकोर कैमीकल्स एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० अलवाय (केरल)	478 मी० टन
(iii) मै० मैत्तूर कैमीकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन मैत्तूर डैम (तमिलनाडु)	89 मी० टन

मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी, मद्रास का बन्द होना

476. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड (सैफ्टी मैच की निर्माती कम्पनी) की मद्रास यूनिट 7 महीने तक बन्द रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी के पास जो पोटेशियम क्लोरेट अधिक मात्रा में था, उसे शिवकाही कोविलपट्टी और सत्तूर क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों को उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सप्लाई किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी का मद्रास एकक अक्तूबर, 1972 से जून, 1973 तक बन्द रहा ।

(ख) मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड में फैक्टरी बन्द होने की अवधि में लघु उद्योगों के पोटेशियम क्लोरेट का अतिरिक्त संभरण किया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'करुणानिधि का स्वायतता सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव' (करुणानिधिज मूव फार एटोनोमी कन्वेन्शन) शीर्षक से समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया

477. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में (करुणानिधि का स्वायत्तता सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव' (करुणानिधिज मूव फार एटोनोमी कन्वेन्शन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने संबद्ध समाचार देखा है। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा उसके द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र/राज्य संबंधों से संबंधित प्रश्नों पर गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 'केन्द्र-राज्य संबंधों को नियमित करने वाले संविधान के उपबन्ध किसी भी स्थिति का सामना करने अथवा इस क्षेत्र में उपस्थित किसी भी समस्या का समाधान करने के प्रयोजन के लिये पर्याप्त हैं'। प्रशासनिक सुधार आयोग की केन्द्र-राज्य संबंधों की सिफारिशें विचाराधीन हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार तथा उनकी प्रतिक्रियायें भी मांगी गई हैं। अब तक मैसूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा तमिल नाडु के विचार प्राप्त हुए हैं।

तमिलनाडु में "लिथो पेपर" की मांग

478. श्री एस०ए० मुरुगनन्तम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु बिड़ला एजेन्सी लिथो पेपर का उत्पादन कर रही है;

(ख) क्या तमिलनाडु में लिथो पेपर की अधिक मांग है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु के अन्य निर्माताओं और कागज मिलों को सरकार द्वारा लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) लिथो पेपर के लाइसेंस के लिये तमिलनाडु से सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) लिथो पेपर के लाइसेंस के लिये जिन निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है, उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय म उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मांग का आकलन सारे देश के लिये किया जाता है न कि राज्य वार।

(ग) से (ङ) लिथो कागज सहित कागज के उत्पादन के आवेदनपत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। तमिलनाडु के किसी आवेदनपत्र को हाल ही में अस्वीकृत नहीं किया गया है।

बिहार के मंत्रियों की गतिविधियां

479. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
श्री एम० एस० पुरती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1973 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों के, अनैतिक गतिविधियों में अन्तर्गस्त होने के बारे में कुछ ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में पहले ही जानकारी दे दी है; और

(ग) क्या बिहार के मुख्य मंत्री ने इस मामले के साथ निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार से पथ प्रदर्शन मांगा है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने संबंधित समाचार देखा है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली में एक पुलिस अस्पताल के मैडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को चांटा मारने का कथित समाचार

480. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
श्री सेझियान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक पुलिस अस्पताल के डिप्टी मैडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को ड्यूटी पर तैनात एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अस्पताल में घसीटा तथा उसे चांटा मारा था, और उसे आठ घंटे तक अवैध रूप से बन्दी बना कर रखा था ;

(ख) क्या एक पुलिस इंस्पेक्टर ने भी रिवाल्वर दिखा कर मैडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को माफी मांगने पर बाध्य किया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में पूरी जांच किये जाने तक एक सरकारी अधिकारी को ड्यूटी पर पीटने के विरुद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और दोषी पुलिस अधिकारी को मुअत्तिल करने के लिये कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस मामले में जांच की गई है और जांच के परिणाम कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) 24 सितम्बर, 1973 को रात्रि के लगभग 11 बजे चिकित्सा अधिकारी और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बीच पुलिस अस्पताल में कहा सुनी हो गई थी । बाद में दोनों ने एक दूसरे पर बल प्रयोग का आरोप लगाया ।

इसके बाद अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस डाक्टर को पुलिस थाने ले जाया गया । पुलिस सर्जन तुरन्त बाद में पुलिस थाने पहुंचे । यह सही नहीं है कि चिकित्सा अधिकारी को आठ घन्टे अवैध रूप से नजरबन्द रखा गया था ।

(ख) पुलिस सर्जन की उपस्थिति में सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले का समाधान किया गया और चिकित्सा अधिकारी ने लिखित में क्षमा याचना की । यह सही नहीं है कि पुलिस इन्सपेक्टर ने रिवाल्वर के जोर से क्षमा याचना के लिये बाध्य किया था ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, श्रीमन् । अगले दिन अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने भी लिखित में क्षमा याचना दी और संबंधित दोनों अधिकारियों ने दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मामले को समाप्त करने का फैसला किया । 18 अक्टूबर, 1973 को दिल्ली के उप-राज्यपाल के समक्ष दोनों अधिकारियों द्वारा मामला समाप्त करने के लिये पुनः ऐसा कहा गया ।

सूरत, गुजरात में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र की स्थापना

482. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण गुजरात में सूरत में शीघ्र ही आकाशवाणी का प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) गुजरात के दक्षिणी जिलों में विशेषकर इनके आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारण व्यवस्था करने के प्रस्ताव आकाशवाणी की पांचवीं योजना के प्रस्तावों में शामिल कर लिये गये हैं जो अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होने हैं ।

सौराष्ट्र (गुजरात) में परमाणु बिजली घर की स्थापना

483. श्री पी० डी० मावलंकर : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक नया परमाणु बिजली घर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने पश्चिमी विद्युत क्षेत्र (जिसमें सौराष्ट्र भी शामिल है) से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिया जाना

484. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भावी विकास के लिये अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के लिये कितना अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अन्तरिक्ष कार्य-कलापों के भावी कार्यक्रम का ब्योरा विचाराधीन है।

दिल्ली में टेलीफोनों का दोषपूर्ण कार्यकरण

485. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी दिल्ली और विशेषकर कनाट प्लेस (नई दिल्ली) क्षेत्र में अनेक टेलीफोन बहुधा खराब रहते हैं जिससे टेलीफोन मालिकों और अन्य प्रयोक्ताओं को काफी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) दिल्ली और खास तौर से कनाट प्लेस एक्सचेंज की टेलीफोन-सेवा के बारे में हर रोज अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों पर बराबर ध्यान दिया जाता है और जहां तक संभव होता है, खराबियों को तुरंत ठीक करने के लिये हर प्रकार की कोशिश की जाती है। कनाट प्लेस एक्सचेंज का उपस्कर बहुत पुराना है और इसे धीरे धीरे बदला जा रहा है। खास तौर से दिल्ली की टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिये लगातार विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके लिये जीर्ण-शीर्ण और दोषपूर्ण पुर्जों को बदला जा रहा है, टेलीफोन की ऊपरी लाइनों की जगह जमींदोज केबुल बिछाये जा रहे हैं और भारी ट्राफिक की मांगों आदि को पूरा करने के लिये अतिरिक्त उपस्कर लगाये जा रहे हैं।

मछली के परिरक्षण के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित प्रक्रिया

486. श्री के० लकप्पा
श्री पी० गंगादेव :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री मछली परिरक्षण के लिये मार्गदर्शी किरणीयन संयंत्र के बारे में 28 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में मछलियों के परिरक्षण के लिये विकसित प्रक्रिया के अनुसार 'माइल्ड क्युरिंग' और 'लो डोज इरेडियेशन' को मिला कर प्रयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इससे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उक्त परियोजना की स्वीकृति दे दी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मिश्रित प्रक्रिया के दो लाभ हैं :

माइल्ड कुकिंग विधि झींगा मछली (शंख मीन) को काला नहीं पड़ने देती तथा पोलीथीन की थैलियों में बंद विवर्ण झींगा मछलियां किरणन करने पर जीवाण्विक प्रभाव से खराब नहीं होती । यदि झींगा मछलियां केवल एक ही प्रक्रिया से संसाधित की जायें तो वे जल्दी ही खराब हो जाती हैं, किन्तु मिश्रित प्रक्रिया के बाद बर्फ के तापमान पर उन्हें 120 दिन तक ताजा रखा जा सकता है । क्योंकि अन्य किस्मों की मछलियों का रंग नहीं बिगड़ता इसलिये उन पर इस मिश्रित प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

शेख अब्दुला के साथ प्रधान मंत्री की वार्ता

487. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी हाल की कश्मीर घाटी की यात्रा के दौरान उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ कई बार वार्ता की; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चाओं के विषय क्या थे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) दो सामाजिक समारोहों को छोड़कर, जहां कोई विचार विमर्श नहीं हुए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहलगांव में प्रधान मंत्री जी से मिले, जबकि शेख साहब ने एक मेडिकल रिसर्च सेन्टर के बारे में, जिसे श्रीनगर के निकट खोलने का प्रस्ताव है, उनसे बातचीत की और इस सेन्टर के संबंध में उन्हें योजनायें दिखाईं । सामान्य प्रकार की कुछ बातचीत भी हुई ।

जांच आयोग अधिनियम के अधीन बनायें जाने वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति

488 श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच आयोग अधिनियम के अधीन आवश्यकतानुसार नियुक्त किये जाने वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति के लिये कोई तालिका बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार पत्रों के स्वामित्व के विविधीकरण पर निर्णय

489. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री डी० के० पंडा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाचारपत्रों के स्वामित्व के विविधीकरण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

Talks between Trime Minister and Sheikh Abdullah on future of Kashmir

490. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether talks between the Prime Minister and Sheikh Abdullah have been held many times ;

(b) if so, whether the subject matter of the talks had any relevance to the future of Kashmir;

(c) the suggestions put forward by Sheikh Abdullah with which Government did not agree and the suggestions with which Government was in agreement; and

(d) the number of phases in which these talks are likely to be concluded ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) to (d) Sheikh Abdullah met the Prime Minister on a few occasions and matters of a general nature were discussed.

Arrest of Naxalite Leaders of Andhra Pradesh

491. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether three Naxalite leaders of Andhra Pradesh have been arrested;

(b) if so, the facts thereof;

(c) the number of cases in which they were wanted and the allegations levelled against them; and

(d) the action proposed to be taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (d) Facts are being ascertained from the Government of Andhra Pradesh.

Arrests in various States due to Naxalite Movement

492. Shri Ramavatar Shastri
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number and State-wise number of persons arrested in connection with the Naxalite movement ;

(b) whether Government have laid down a new policy in regard to the Naxalite prisoners and, if so, the main feature thereof;

(c) whether all party committees have been constituted in Delhi and other parts of the country for their release; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) According to the information received from the State Governments/Union Territory Administrations, no person was arrested in connection with Naxalite movement in Andaman & Nicobar, Chandigarh, Lakshadweep, Pondicherry Mizoram and Arunachal Pradesh. Facts are being ascertained from the remaining States/union Territory Admns.

(b) The Prime Minister had on the 1st May, 1972, written to the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Assam, West Bengal, Bihar, Orissa, Punjab and Kerala that only imaginative and humane treatment of persons suspected of involvement in Naxalite activities can help to end the recrudescence of extremism. Certain concrete steps for the long term rehabilitation of these persons were also suggested.

(c) Government have seen reports about the constitution of such Committees.

(d) Government welcome all constructive efforts to wean away misguided persons from the politics of violence and murder.

Grant of Pension to Freedom Fighters

493. **Shri Ramavatar Shastr :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of freedom fighters who have applied for pension upto Ocober, 1973 and the number of those who started getting pension, Statewise;

(b) the State-wise number of those freedom fighters whose applications are under consideration and the reasons for which their applications are still pending and of those whose applications have been rejected Statewise; and

(c) the time by which Government propose to complete the work relating to the grant of pension ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) (a) & (b) : A statement indicating disposal of applications of freedom fighters is attached. **[Placed in Library See No. L.T. 5690/73].**

The precise information regarding the number of freedom fighters who have started getting pension is not available because it generally takes four to six weeks after issue of sanction order for a freedom fighter to draw pension.

Applications are pending for want of clarification either from the State Governments or from the individuals concerned.

(c) It is not possible to indicate when the work relating to the grant of pensions will be completed as it will depend on how soon the State Governments or the freedom fighters furnish the information asked for.

Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar

494. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters from Bihar who have applied for freedom fighters pension, district-wise, and the number of such freedom fighters as have been sanctioned the pension, district-wise;

(b) the number of applications under consideration, district-wise and the number of those rejected, District-wise; and

(c) the names of freedom fighters from Patna, who have been sanctioned the pension and also of those whose applications have been rejected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) A statement giving the information is attached.

(c) 1286 freedom fighters from Patna District have been sanctioned pension and applications of 372 persons have been rejected. It is not possible to give the names of all these persons. However, wide publicity is given about those who are granted pension under the Central Schemes through local newspapers.

Statement

Sl. No.	Name of District [Since applications were received according to old districts, their names are indicated]	No. of freedom fighters who have applied for pension	No. of freedom fighters who have been sanctioned pension	No. of applications under consideration	No. of applications rejected
1	2	3	4	5	6
1.	Patna	3280	1286	1622	372
2.	Darbhanga	2700	1146	1073	481
3.	Palaman	291	140	83	68
4.	Monghyr	1694	802	748	144
5.	Champaran	1059	637	289	133
6.	Saran	1548	605	700	243
7.	Gaya	1217	575	474	168
8.	Saharsa	392	246	124	22
9.	Hazaribagh	310	123	114	73
10.	Dhanbad	86	44	26	16
11.	Purnea	986	274	463	249
12.	Shababad	2116	844	1063	209
13.	Muzaffarpur	2253	799	1354	100
14.	Bhagalpur	1760	748	878	134
15.	Santhal Parganas	857	284	343	230
16.	Ranchi	586	91	196	299
17.	Singh-Bhum	135	21	62	52
18.	Siwan	33	2	31	Nil

अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली में गबन

495. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली को अपने नियंत्रन में लिये जाने के तुरन्त बाद मिल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कामकारों के सहयोग से उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रबन्ध संभालने के बाद मिल को काफी घाटा हुआ था और मिल में लगभग 20 लाख रुपये का गोलमाल किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवायी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अयुध्या टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का प्रबन्ध सरकार द्वारा 7 जून, 1971 को (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने अधिकार में लिया गया था और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को इसका अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था। इसके अधिकार में लिये जाने के पश्चात मिल के कार्य में कुछ सुधार हुआ है और उत्पादन में भी मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) इसके अधिकार में लिये जाने के समय से ही इसे घाटा हो रहा है और इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 20 लाख रूपये की राशि के दुर्विनियोग के बारे में आरोप लगाया गया था। इसके अलावा मिल के प्रबन्ध के बारे में भी कुछ अन्य आरोप लगाये गये थे।

(ग) तथा (घ) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने आरोपों की जांच करने के लिये मई, 1972 में एक समिति नियुक्त की। समिति के निष्कर्षों के अनुसार कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका। किन्तु एक आरोप के बारे में कुछ संदेहजनक बातें थी, जिसने, समिति की राय में आरोप को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया। अन्य चार आरोपों के संबंध में विवेक, निर्णय, जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण का उचित प्रयोग न करने के प्रमाण पाये गये थे। समिति ने अनुभव किया कि पर्यवेक्षण और प्रबंध संबंधी कार्य और जिम्मेदारियां अधिक प्रभावी ढंग से निभायी जा सकती थी ताकि ऐसी शिकायतें न हों। मिल के कार्यकरण को सुधारने के लिये प्रबन्ध और पद्धति संबंधी मामलों में उपयुक्त परिवर्तन किये गये हैं।

1973 के दौरान हरिजनों पर किये गये अत्याचार

496. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन
श्री एम० एस० पुरती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे हरिजनों की राज्यवार संख्या क्या है जिनकी चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में हत्या की गयी, जिन्हें जिन्दा जलाया गया, यातना पहुंचायी गयी, बेदखल किया गया और जिनके झोंपड़े जलाये गये;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) दोषी ठहराये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) राज्य सरकारें विशिष्ट मामलों में कानून के अंतर्गत कार्यवाही करती हैं। केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा के उपयुक्त उपायों की आवश्यकता पर समय-समय पर बल देती रही है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों की तुरन्त तथा प्रभावकारी जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये सभी संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा करने में किसी प्रकार की विफलता संबंधित अधिकारियों की गंभीर कर्त्तव्य अवहेलना समझी जायेगी। राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित शिकायतों की तुरन्त जांच-पड़ताल के लिये राज्य व जिला स्तर पर विशेष प्रबंध किये जाने चाहिये।

24 अगस्त, 1973 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की संचालन समिति की बैठक में विचार-विमर्श किये गये मदों में एक मद अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाली घटनाओं से उत्पन्न स्थिति से संबंधित थी। यह तय किया गया कि प्रत्येक राज्य को अपनी समस्याओं का पता लगाना चाहिये और उस कार्यवाही का रूप बताना चाहिये जो इस संबंध में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अपनाई जाये। तदनुसार राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना व सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि संचालन समिति की अगली बैटक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा सके।

केरल से लाइसेन्सों के लिये प्राप्त विचाराधीन आवेदन पत्र

497. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन अक्तूबर, 1973 तक औद्योगिक लाइसेंसों के ऐसे कितने आवेदन-पत्र थे जिनकी सिफारिश केरल सरकार ने की है; और

(ख) आवश्यक लाइसेंसों के कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केरल से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये 31 अक्तूबर, 1973 तक आये आवेदन पत्रों में से 1 नवम्बर, 1973 तक 47 आवेदन पत्र निलम्बित थे।

(ख) इन आवेदन पत्रों के निपटाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

केरल में यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिये अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

498. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशक डा० ए० के० दे० से कोई पत्र प्राप्त किया है जिसमें केरल में यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) नवीन प्रयोगशालाओं/संस्थानों/विस्तार केन्द्रों को स्थापित करने संबंधी विषय पर विचार करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) द्वारा गठित समिति प्रस्ताव की छानबीन करेगी।

गांधी नगर गुजरात में हरिजन दम्पत्ति की मारपीट

500. श्री सोमचन्द सोलंकी
श्री झारखण्डे राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवरात्रि त्योहार के दौरान गांधीनगर सरकारी कर्मचारी क्वार्टर्स, गुजरात में स्वर्ण हिन्दू सरकारी कर्मचारियों ने एक स्वर्ण हिन्दू महिला, जिसने अनुसूचित जाति के कर्मचारी से विवाह किया, पर अत्याचार किये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सैक्टर 29, गांधीनगर में 3 अक्तूबर, 1973 को नवरात्रि का त्योहार मनाते समय एक ब्राह्मण महिला श्रीमती कुसुमबेन शकालिया जो अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से विवाहित थी की अन्य महिला से कहा-सुनी हुई। कहा-सुनी होते होते हाथापाई हो गई। श्रीमती शकालिया तथा उनके पति के नजदीक के अनुसूचित जाति के एक सरकारी कर्मचारी के मकान में शरण ली। 40–50 व्यक्तियों की एक भीड़ ने उनका पीछा किया, उन पर पथराव किया तथा मकान में घुस गये और मकान के अन्दर 5 व्यक्तियों के साथ मारपीट की। घटना के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस शीघ्र घटना स्थल पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/452/323 और 426 तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक शिकायत दर्ज की गई। 15 व्यक्ति जिनमें 10 सरकारी कर्मचारी थे तुरन्त गिरफ्तार किये गये और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है। श्रीमती शकालिया के विरुद्ध भी पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई। राज्य सरकार के अनुसार राज्य की राजधानी में यह एक एकाकी घटना थी, अन्यथा, वहां विभिन्न जातियों तथा समुदायों से संबंधित सरकारी कर्मचारी पूरी तरह मेल मिलाप से रहते हैं।

पांचवीं योजना के दौरान नर्मदा परियोजना के लिए राशि का नियतन

501. श्री सोमजन्द सोलंकी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नर्मदा परियोजना शुरू करने के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ख) नर्मदा परियोजना और अन्य परियोजनाओं हेतु गुजरात के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना में नर्मदा परियोजना तथा नर्मदा पर चार अन्य परियोजनाओं के लिये अस्थाई तौर से स्वीकृत किया गया परिव्यय 40 करोड़ रुपये है, बशर्ते कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हो जाय ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में गुजरात राज्य में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिसमें नर्मदा परियोजना के 40 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, के लिये आवंटित धनराशि 218 करोड़ रुपये है । पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और प्रस्तावित परिव्यय अस्थाई है ।

दिल्ली की दूसरी भाषा

502. श्री रण बहादुर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू को दिल्ली के न्यायालयों की दूसरी भाषा घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सन् 1906 से अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू दिल्ली में न्यायालयों की भाषा रही है । 1 नवम्बर, 1949 से हिन्दी को दिल्ली के लिये एक अतिरिक्त न्यायालय भाषा के रूप में घोषित किया गया था । दिल्ली न्यायालयों में उर्दू के प्रयोग के लिये कोई नये आदेश जारी नहीं किये गये हैं किन्तु पुराने आदेश लागू रहेंगे ।

हरिजनों द्वारा गांव के कुओं का उपयोग

503. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे गांव हैं जहां हरिजनों को गांव के कुओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रकार के गांवों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) : सार्वजनिक कुओं पर हरिजनों को जाने की अनुमति न देने के विशिष्ट मामलों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना से संकेत मिलता है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध ध्यान में आये हैं और राज्य सरकारों ने इन मामलों में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की है । अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिक कठोर बनाने के उपाय भी विचाराधीन है ।

मीटरों, टेस्टरों और अन्य उपकरणों का निर्माण

504. डा० ए० के० एम० इसहाक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक, तार तथा टेलीफान विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक मीटरों, टेस्टरों तथा अन्य उपकरणों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है ;

(ख) क्या इन उपकरणों का निर्माण स्वदेशी सामग्री से किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं , तो क्या सभी उपकरणों को स्वदेशी सामग्री से बनाने की कोई योजना है और इस मामले में देश के आत्मनिर्भर होने की कब तक आशा है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) डाकतार विभाग में अनेक प्रकार के सोफिस्टीकेटिड मीटर टेस्टर और दूसरे यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है,। एक बहुत बड़ी संख्या में इन यंत्रों का उत्पादन हमारे देश में हो सरकारी और निजी क्षेत्रों में होता है । तथापि, कोएक्सियल, माइक्रोवेव तथा दूसरी ट्रांसमिशन प्रणालियों की स्थापना और उनके रख रखाव के लिये उपयोग में आने वाले उच्चवर्ती यंत्रों और उच्च स्तरीय परीक्षण यंत्रों का आयात भी किया जा रहा है ।

इन यंत्रों का उत्पादन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० हैदराबाद में ही कराने के लिये पहले ही प्रयत्न किये जा रहे हैं

चश्मा कांच का उत्पादन

507. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों में चश्मा कांच के उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 24 मई, 1973 को 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड', में प्रकाशित समाचार के अनुसार चश्में का कांच बनाने वाले कामगारों द्वारा प्रबंधकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है और यदि हां, तो कब और जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम) : (क) कच्चे कांच की कमी, विद्युत कटौती तथा निम्नकोटि की देशी घरियाओं के थर्मल आघात से तड़कने के कारण विगत छः महीनों में भारत आप्टिक ग्लास लिमिटेड में हुए उत्पादन में गिरावट आई है। अक्तूबर में अब घरिया का कार्य सुधर गया है तथा नवम्बर 1973 में उत्पादन में सुधार होने की आशा है।

(ख) और (ग) समाचार में समाविष्ट आरोपों के विषय में आवश्यक जांच की गई है : जांच के परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। तो भी, उपक्रम के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे परियोजना की उत्पादकता तथा किस्म नियंत्रण के संबंध में किसी विशेषज्ञ फर्म से अध्ययन करायें जो उसके कार्य में सुधार लाने हेतु उपायों का सुझाव दें।

नये परमाणु बिजलीघरों का स्थापित किया जाना

508. श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कोई नया परमाणु बिजली घर बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) फिलहाल ऐसा विचार है कि जिन परमाणु बिजलीघरों का आजकल निर्माण किया जा रहा है, उनके अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केवल एक और परमाणु बिजलीघर अर्थात् पश्चिमी उत्तरप्रदेश में नरौरा परमाणु, परमाणु बिजलीघर पर काम शुरु किया जाये। इस परमाणु बिजलीघर में दो यूनिट होंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मैगावाट होगी। इस बिजलीघर पर, भविष्य में हो सकने वाली वृद्धि को छोड़कर, 180.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अखबारी कागज निगम की स्थापना

509. श्री पी० गंगादेव
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये एक पृथक अखबारी कागज निगम की स्थापना पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां, एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

511. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1972–73 में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन लगाये गये; और

(ख) (एक) ओ०वाई०टी०, (दो) व्यापार गृहों और (तीन) विशेष वर्ग को कितने कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 6120

(ख) (1) ओ०वाई०टी० 3968

(2) व्यापार गृह—व्यापार गृहों के लिये कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(3) विशेष श्रेणी—679

(4) सामान्य श्रेणी 1473

योग 6120

भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री रणजी की स्मृति में स्मृति टिकट जारी करना

512. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के दौरान प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री रणजी की स्मृति में स्मृति टिकट जारी करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्मृति टिकट जारी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) श्री के० एस० रणजीत सिंह जी के सम्मान में एक डाक टिकट 27–9–73 को जारी किया जा चुका है।

आसाम के लिये कच्चे माल के कोटे की कलकत्ता में बिक्री

513. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में आसाम के कोटे में से जी० एस० चादरें तथा बकरे की चर्बी जैसे कच्चे माल को स्वीकार किये जाने और उन्हें कलकत्ता में ऊंचे मूल्यों पर बेचे जाने संबंधी गोलमाल का पता चला है;

(ख) क्या इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जांच के लिये इस मामले को पुलिस के पास भेजा गया है। केन्द्र सरकार को जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

टायरों की अधिष्ठापित क्षमता

514. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के टायर बनाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ख) वर्ष 1960, 1971 और 1972 में कितना वास्तविक उत्पादन हुआ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) विशेष रूप से हर किस्म के टायर बनाने की क्षमता नियत नहीं की गई है । गाड़ियों के टायर शब्द से साधारणतया सभी किस्म के टायरों का बोध होता है । 1 अगस्त, 1973 को सभी श्रेणियों के टायर बनाने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 54.55 लाख टायर थी ।

(ख) वर्ष 1960, 1971 तथा 1972 की अवधि में विभिन्न प्रकार के टायरों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हुआ है :–

	1960	1971	1972
जाइन्ट	9,89,470	23,63,783	23,91,758
कार	4,79,977	11,48,292,	12,96,198
मोटर साइकिल	1,10,005	1,86,141	1,62,268
स्कूटर		4,91,833	5,46,089
ए०डी०वी०	72,418	2,11,727	2,69,379
ट्रेक्टर	48,781	2,28,579	2,79,810
ओ०टी०आर०	6,174	1,14,903	16,177
ऐरो	2,651	13,871	16,539
योग	17,09,476	46,59,129	49,78,218

(ग) गाड़ियों के 74.20 लाख टायर बनाने की अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति भी दे दी गयी है ।

लघु उद्योग क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास के लिए राज सहायता

515. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति ने सिफारिश की है कि लघु उद्योग क्षेत्र को नई वस्तुओं के निर्यात के लिये राज सहायता दी जाये और अनुसंधान तथा विकास प्रयोजनों के लिये काम में लाये जाने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क संबंधी रियायतें दी जायें ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का सार क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के अनुसंधान और विकास संबंधी एक पैनल ने, जिसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने जून, 1973 में की थी , कुछ अंतरिम सिफारिशें की हैं जिनमें प्रश्न में उल्लिखित बातें भी सम्मिलित हैं । तथापि, पैनल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा सोडियम ट्रिपोली फासफेट बनाया जाना

516. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर के सोडियम ट्रिपोली फासफेट बनाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इस वस्तु को बनाने का प्रस्ताव किसी अन्य फर्म से भी प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सोडियम ट्रिपोली फासफेट, सलफ्यूरिक एसिड और फासफोरिक एसिड बनाने के लिये मै० हिन्दुस्तान लीवर द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर लाइसेंसिंग समिति ने विचार किया है । इस आवेदन पत्र पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) फर्म की अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार होगी :—

सोडियम ट्रिपोली फासफेट	30,000 मी० टन प्रतिवर्ष
सलफ्यूरिक एसिड	54,000 मी० टन प्रतिवर्ष
फासफोरिक एसिड	19,500 मी० टन प्रतिवर्ष

(ग) और (घ) 3,16,000 मी० टन प्रति वर्ष कुल क्षमता के लिये अन्य पार्टियों से 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और अभी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन का त्यागपत्र

517. श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री एम० सुदर्शनम् ।

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के भूतपूर्व चेयरमैन का त्यागपत्र एक महीने से अधिक अवधि तक अनिर्णीत पड़ा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मामले पर सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया जाना था ।

गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए विदेशी फर्मों पर रोक लगाया जाना

518. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रही विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई हुई है, उन वस्तुओं की संख्या कितनी है जिनके लिये वे विदेशी 'ट्रेड मार्क' का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन फर्मों द्वारा कुछ गैर आवश्यक वस्तुयें बनाये जाने पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 31 मार्च 1970 को भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की संख्या 561 थी । इनमें से 123 शाखायें नीचे दिये गये विभिन्न किस्मों के उत्पादन तथा प्रक्रियान्वयन कार्य में रत थीं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

1. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन खाद्य सामग्री, वस्त्र, चमड़े तथा उसके उत्पाद	20
2. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन धातु और रसायन एवं उनके उत्पाद	76
3. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन विविध	27

31 मार्च 1971 को भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों की संख्या 217 थी । इनमें से 159 कम्पनियां विभिन्न किस्मों के उत्पादन तथा प्रक्रियान्वयन कार्यों में निम्न प्रकार रत थीं :—

1. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन खाद्य सामग्री, वस्त्र, चमड़ा और उसके उत्पाद	20
2. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन धातु और रसायन एवं उनके उत्पाद	116
3. प्रक्रियान्वयन और उत्पादन विविध	23

ऊपर बताई गई विदेशी कम्पनियों को 159 भारतीय सहायक कम्पनियों में से 49 पूर्ण रूप से विदेशी थीं और 110 विदेशी बहुलांश वाली थीं इन शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों में से कुछ अपने उत्पादों पर विदेशी व्यापार चिन्हों का प्रयोग करती हैं।

(ख) और (ग) संशोधित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली सभी कम्पनियों को अपने कार्य कलाप को चालू रखने के लिये सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। इससे विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियां जो आर्थिक रूप से आवश्यक न समझी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, के कार्यों की संवीक्षा करने का अवसर मिल सकेगा और उनके आगामी कार्यकलापों को चलाने के लिये उपयुक्त शर्तें भी लगाई जा सकेंगी।

मदन पार्क में डाक सुविधाएं

519. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **संचार** मंत्री मदन पार्क, रोहतक रोड दिल्ली में डाक सुविधाओं के बारे में 20-12-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5077 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस क्षेत्र में एक डाकघर खोलने के प्रस्ताव को, जो कि विचाराधीन था, अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस कार्य को कब तक करने का विचार है ?

संचार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। डाकघर खोलना निर्धारित मानदंड पूरे उतरने और उस इलाके में डाकघर के लिये कोई उपयुक्त इमारत उपलब्ध होने पर निर्भर है। इस मामले की जांच हो रही है। जैसा कि पहले वायदा किया था, मदन पार्क और चुनामल पार्क में 22-12-72 को दो लेटर वक्स स्थापित कर दिये गये हैं।

'कोका कोला बाटलर्स' द्वारा 'साफट ड्रिंक'

520. श्री शशि भूषण : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस विषय पर विचार किया है कि क्या 'कोका कोला बाटलर्स' भारतीय नाम का प्रयोग करके अपना भारतीय 'साफ्ट ड्रिंक' बना सकते हैं,

(ख) क्या किसी 'कोका कोला बाटलर' ने पहले कोका कोला निर्यात निगम पर निर्भर किये बिना कोई 'साफ्ट ड्रिंक' बनाया था या उसका विकास किया था; और

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों और उनके उत्पाद क नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कोका कोला बाटलर्स का जो मद्यरहित पेयों का निर्माण कर रहे हैं, नाम बदल कर भारतीय नाम दिये जाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ख और ग) कोका कोला बाटलर्स में से एक अर्थात् मै० प्योर ड्रिंक्स ने सूचित किया था कि उन्होंने पहले कोका कोला के साथ संतरे के स्वाद पर आधारित 'औरेंज स्पेशल' नाम से एक मद्यरहित पेय का निर्माण किया था।

अरब-इसराइल संघर्ष के बारे में शेख अब्दुला का वक्तव्य

521. श्री शशि भुषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने अरब इजरायल संघर्ष के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हुए जो वक्तव्य दिया था कि इस प्रकार की स्थिति जम्मू तथा कश्मीर में भी पैदा हो सकती है, सरकार ने उसका अध्ययन किया है; और

(ख) क्या इस रवैये को देखते हुए सरकार उसके साथ और कोई बातचीत न करने का विचार करेगी ?

गृहमंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमन् । सरकार ने 10 नवम्बर, 1973 को जम्मू में दिये गये शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य की प्रैस रिपोर्ट भी देखी है कि जम्मू और कश्मीर का भारत संघ में संविलियन दस्तावेज जिस पर अक्तूबर, 1947 में महाराजा ने हस्ताक्षर किये थे के द्वारा विलय हो गया था तथा कश्मीरियों ने ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात निर्णय किया था ।

(ख) जबकि सरकार मानती है कि पश्चिम एशिया तथा कश्मीर की हालातों के बीच कोई तुलना करना बिल्कुल असंगत है, वह नहीं समझती कि ऐसा वक्तव्य शेख अब्दुल्ला के साथ किसी विचार विमर्श जिससे संबंध बेहतर हो सकते, हैं, बाधा बनेगा ।

मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के परिव्यय का पुनरीक्षण

522. श्री नारायण चन्द पाराशर
श्री ईरा सेझियान :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का पुनरीक्षण किया जायगा

(ख) यदि हां, तो योजना का आकार कितना होगा; और

(ग) क्या इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के लिये योजना परिव्यय में भी वृद्धि की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) योजना आयोग इस समय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है । अन्य सभी संबद्ध घटकों सहित मूल्यों की वृद्धि के घटक पर भी योजना प्रारूप में विचार किया जायेगा । यह प्रारूप बाद में सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

उत्तर क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले टेलीविजन केन्द्र

523. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्तर क्षेत्र में राज्यवार कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहां टेलीविजन केन्द्रों/स्टेशनों के स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस उत्तर क्षेत्र में शामिल प्रत्येक राज्य में कम से कम एक टेलीविजन केन्द्र/स्टेशन स्थापित किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) :(क) तथा (ख) देश में टेलीविजन के विस्तार के लिये पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

पर्यटन केन्द्रों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और सी०ओ० का खोला जाना

524. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्रों और तीर्थ स्थानों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और सी० ओ० की मंजूरी देने में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब सर्किल में ऐसे स्थानों पर गत तीन वर्षों में कितने केन्द्रों की मंजूरी दी गई है और वे कौन-कौन से जिलों में हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थानों पर घाटा उठाकर भी सार्वजिनक टेलीफोन घर और डाकतारघर खोलने की मंजूरी दी जाती है। इन स्थानों पर डाक-तार घर खोलने के प्रस्तावों पर 2000 रूपये तक प्रति वर्ष घाटा उठाने की अनुमति है ।

(ख) पंजाब सर्किल में पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थानों में पिछले तीन वर्षों में नीचे लि खेसार्वजनिक टेलीफोनघर और डाक-तारघर खोलने की मंजूरी दी गई है :-

सार्वजनिक टेलीफोनघर	6
डाक-तारघर	6

(ii) इन सार्वजनिक टेलीफोनघरों/डाक-तारघरों की जिलेवार सूचना नीचे दी गई है :

(क) अमृतसर जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तारघर	1

(ख) हमीरपुर जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तारघर	1

(ग) होशियारपुर जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तारघर	1

(घ) बिलासपुर जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तारघर	1

(ङ) मंडी जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तारघर	1

(च) सिरमौर जिला

सार्वजनिक टेलीफोनघर	1
डाक-तार घर	1

छत्रपति शिवाजी के संबंध में एक डाक टिकट का जारी करना

525. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर छत्रपति शिवाजी के संबंध में एक विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस डाक टिकट के जारी करने की संभावित तिथि क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) छत्रपति शिवाजी पर एक विशेष डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ।

पश्चिमोत्तर राज्यों के लिए संयुक्त सलाहकार परिषद् बनाने का प्रस्ताव

526. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पश्चिमोत्तर राज्यों के लिये संयुक्त सलाहकार परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद् किस तारीख तक बन जायेगी; और

(ग) इसके सदस्य आदि कौन-कौन होंगे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ग) हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आपसी हित के मामलों में संयुक्त विचार-विमर्श करने तथा अपनी अंतर्राज्यीय समस्यायों के समाधान के लिये एक संयुक्त सलाहकार परिषद् गठित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें मुख्य मंत्री तथा पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा मनोनीत एक और मंत्री तथा चंडीगढ़ का आयुक्त होगा ।

(ख) इस मामले का निर्णय संबंधित राज्यों ने करना है ।

Telephone Connections in East Nimar District of Madhya Pradesh

527. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending at present for Telephone connections in East Nimar district of Madhya Pradesh; and

(b) the number among them of those coming in the category of General Telephones and of those coming under 'Own Your Telephone' and when the requirements of Telephone connections of the aforesaid District are likely to be met in full ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) :

(a)	51
(b) (i) General	51
(ii) OYT	Nil

The requirements of telephone connections in the district are likely to be met in full early in 1974.

Non-Implementation of special Employment schemes in Madhya Pradesh due to Non-Availability of allocated Funds

528. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether special employment scheme has not been implemented in any District in Madhya Pradesh, as the State did not get the allocated amount; and

(b) if so, the reasons for delay in supplying the allocated amount to the State ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir. This is not a fact.

(b) Does not arise.

Post Offices in various Tehsils of District East Nimar

529. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in the three Tehsils of District East Nimar (M.P.) Tehsil-wise.

(b) the outlines of the programme prepared for the development of Postal facilities in this area during the ensuing five years; and

(c) the main points of schemes formulated for the setting up of Public Telephone Offices and Telegraph Offices in this area ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The information is furnished below :—

Tehsil	No. of Post Offices
Burhanpur	49
Harsud	31
Khandwa	76

(b) It is proposed to open about 31,000 new post offices (29,000 in Gram Panchayat villages and 2000 in other villages) in the country during the 5th Five Year Plan. State-wise or District-wise programme has not yet been finalised. Post Offices will, however, be opened where the prescribed conditions are satisfied.

(c) It is proposed to open 5,000 Public Call Offices and 7,000 Telegraph Offices in the country during the 5th Five Year Plan. State-wise or Districtwise programme has yet to be finalised. Telecommunication facilities will be provided where the prescribed conditions are satisfied.

Allocation of funds to M.P. under rural industrialisation scheme

530. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to the allocation of funds to Madhya Pradesh under the rural industrialisation scheme for 1973-74;

(b) the number of units likely to be benefited during this period; and

(c) the number of employment opportunities likely to be created as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Under the Centrally sponsored Scheme of Rural Industries Project Programme, Madhya Pradesh State has been allocated Rs. 11.75 lakhs comprising Rs. 5.75 lakhs as Grant and Rs. 6.00 lakhs as loan for the year 1973-74.

(b) and (c) Upto March, 1972 for which information is available, 2,583 industrial units have been assisted to come up in the 4 existing Rural Industries Project in the State. During the year 1972-73, the detailed progress report for which is awaited from the State Government, it is estimated that about 260 new units would be established under this programme. For the year 1973-74 no targets have been fixed and as such it is difficult to indicate how many new units are likely to be set up during 1973-74. However, considering the past trends and taking a normal growth rate of 10—15% per year, about 300 new units can be expected to come up providing employment to about 1500 persons.

एकाधिकारवादी गृहों द्वारा सीमेंट के कारखाने लगाना

531. श्री के० एम० मधुकर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकारवादी गृहों को सीमेंट के कारखाने लगाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इनके नाम तथा क्षमता क्या होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बृहत्तर गृहों को दी गई स्वीकृति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5691/73]** ।

कागज़ उद्योग के लिए केन्द्रीय अनुसंधान यूनिट की स्थापना करना

532. श्री के० एम० मधुकर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कागज उद्योग के लिये केन्द्रीय अनुसंधान यूनिट की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कागज़ उद्योगों के लिये अनुसंधान व विकास एकक की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में 'मुल्की' समस्या का समाधान

533. **श्री के० एम० मधुकर**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक तेलंगाना की मांग करने वाले कांग्रेसी नेताओं की 'मुल्की' समस्या का हल निकालने के लिये केन्द्रीय नेताओं, के साथ दिल्ली में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से पृथक तेलंगाना कांग्रेस मंच के नेताओं तथा उस राज्य के नेताओं के साथ अनेक बार विचार-विमर्श हुआ। इन विचार-विमर्शों में काफी सहमति हो गई। बाद में कुछ नेताओं ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि राज्य के भविष्य के बारे में शंकायें कुछ सिद्धांतों जो सामान्यतः छः सूत्री फार्मूला के रूप में जाना जाता है के अनुसार की जा रही कार्यवाही पर पूर्ण रूप से दूर हो जायेगी

Development of Districts in U.P. during Fifth Plan

534. **Shri Sarjoo Pandey** :Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether only eight Districts of Uttar Pradesh have been included in the Fifth Five Year Plan for development;

(b) if so, the names thereof; and

(c) the criteria for selecting them ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The Fifth Five Year Plan of Uttar Pradesh contains proposals for the development of the whole State. Particular attention is, however, proposed to be given to all the backward areas including the Hill districts, Eastern U.P. and the Bundelkhand region.

"नासा होल्ड्ज बैंक स्काईलैब पिक्चर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

535. **श्री सरजू पांडे** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स शीर्षक से 'नासा होल्ड बैक स्काईलैब' पिक्चर्ज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां। "भूमि संसाधन प्रौद्योगिकी उपग्रह एवं स्काईलैब" द्वारा लिये गये चित्र 'नासा' द्वारा, उनके साथ विभिन्न सरकारों द्वारा किये गये करारों के आधार पर सप्लाई किये जाते हैं।

फिल्मों का आयात

536. **श्री सरजू पांडे**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी फिल्मों को आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी फिल्मों का आयात किया जायेगा और इनका आयात किन-किन देशों से किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर करने के लिए श्री एन०बी० शाह के विरुद्ध जांच

537. **श्री सरजू पांडे :** क्या **प्रधान** मंत्री उन के जाली हस्ताक्षर करने के लिये बम्बई में एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने के बारे में 22 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर करने के लिये श्री एन० बी० शाह के विरुद्ध मुकदमें किस अवस्था में है;

(ख) क्या श्री शाह की व्यापारिक गतिविधियों की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिनांक 22 अगस्त, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 के उत्तर में जैसा उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भा०दं० सं० की धारा 465 के साथ पठित भा०दं०सं० की धारा तथा 471 के अन्तर्गत, उक्त श्री एन० बी० शाह के विरुद्ध बम्बई की एक अदालत में एक आरोप-पत्र दायर किया गया था। अतिरिक्त चीफ प्रजिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा श्री शाह को दिनांक 31-7-1973 को बम्बई की सैशन कोर्ट में सुपुर्द किया गया है और उक्त अदालत में शीघ्र ही कार्यवाही किये जाने की संभावना है ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री एन० बी० शाह की व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में कोई भी जांच नहीं की गई है ।

पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पिछड़ेपन को दूर करना

538. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार, जो मुख्यत: पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र गति से विकास के लिये उत्तरदायी है, ने अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप प्रस्तावों में यह उल्लेख किया है कि विशेषीकृत कृषि, कृषि विस्तार और विशेष समाज सेवा कार्यक्रमों को अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा । जहां तक केन्द्रीय सरकार का स्वाल है, वह राज्य सरकार के पिछड़े क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास करने के प्रयासों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक तथा सीमान्त कृषक परियोजनाओं और विकास योग्य जनजाति क्षेत्रों से संबंधित एकीकृत उप-योजनाओं के आधार पर पूरक निधियों के आवंटन के माध्यम से सहयोग देती रहेगी ।

(ख) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आकार और विभिन्न क्षेत्रों में इस के वितरण के स्वरूप को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

राज्य सेवा में भर्ती होने वालों के लिए छानबीन करने की योजना के बारे में प्रकाशित समाचार

539. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1973 के 'स्टेट्समैन' में "प्लान टू स्क्रीन रिक्रुटस टु स्टेट सर्विस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां । श्रीमान् ।

(ख) जैसा कि 3 मई, 1972 को दिये गये लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 4870 के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी सेवारत व्यक्ति वफादार, नेक और निष्पक्ष हैं, सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह नियुक्ति के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करें जिससे कि ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवाओं में नियुक्त न कर दिये जायें जिनसे यह आशंका हो कि वे उन पर किये गये विश्वास का दुरुपयोग करेंगे । नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात के लिये भी स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि उम्मीदवार हर दृष्टि से प्रश्नाधीन पद या सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त है । किसी भी व्यक्ति को केवल उसके राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण ही नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं समझा जाता । नियुक्ति के लिये वही व्यक्ति अनुपयुक्त होंगे जो नैतिक चरित्रहीनता संबंधी दंडित अपराधों में दोषी सिद्ध हो चुके हों और जो लोक सेवा आयोगों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में कदाचार करते पाये गये हों और रोजगार के लिये विचार किये जाने से पारित कर दिये गये हों ।

सरकारी नौकरी के लिये उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के मानदंडों का 1967 में विस्तार किया गया था, जिससे कि नियुक्त प्राधिकारियों और राज्य सरकारों को (जिनके प्राधिकार से इस प्रकार की जांच की जाती है), यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति को किन्हीं आपत्तिजनक गतिविधियों या कार्यक्रमों में वास्तविक भागीदारी या सहयोग के आधार पर सरकारी नौकरी के लिये अनुपयुक्त समझा जा सकता है । विशेष रूप में निम्नलिखित बातें केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों में रोजगार के संबंध में अवांछनीय समझी जाती है :–

(क) वे व्यक्ति, जो किसी गैरकानूनी घोषित किये गये किसी निकाय या संघ के, उसे इस प्रकार का घोषित किये जाने के बाद, सदस्य हों या रहे हों या उससे सहयोग करते हों , या,

(ख) वे व्यक्ति, जिन्होंने किसी ऐसी गतिविधि या कार्यक्रम में भाग लिया हो या सहयोग दिया हो–

(i) जिसका लक्ष्य संविधान को उलटना हो;

(ii) जिसका लक्ष्य हिंसा के द्वारा विधि को संगठित रूप में भंग करना या उस की अवज्ञा करना हो ;

(iii) जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के हितों या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हो; अथवा

(iv) जो धर्म, वंश, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर जनता के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो ।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान आकदमी संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन

540. श्री डी० के० पंडा : क्या **विज्ञान और औद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष द्वारा अकादमी में कुछ संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है ।

औद्योगिक गृहों द्वारा अर्जित लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

541. श्री बनमाली पटनायक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक गृहों द्वारा अर्जित लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और उससे क्या परिणाम निकलने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उपभोक्ता समाग्री का उत्पादन

542. श्री अर्जुन सेठी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विशिष्ट उद्योग कौन कौन से हैं जिनमें व्यापक उपभोग की वस्तुओं और सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है ताकि हाल ही में उत्पन्न कमी को दूर किया जा सके; और

(ख) इस संबंध में क्या विशिष्ट परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकारी क्षेत्र में, कुछ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे बिजली के लैम्प, टायर तथा ट्यूब जिनके उत्पादन में पर्याप्त अन्तर होने की संभावना है, के उत्पादन करने के प्रस्ताव विचाराधीन है और इन वस्तुओं में से कुछ के बारे में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं अथवा तैयार की जा रही है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का अन्तिम चयन करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ।

कटक में आकाशवाणी केन्द्र के भवन का निर्माण

543. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र के भवन का निर्माण करने संबंधी हुई प्रगति क्या है;

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां प्रस्तावित उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह): (क) तथा (ख) हाई पावर ट्रांसमीटर के भवन का निर्माण काफी हद तक हो चुका है और ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुकम्मल हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद

544. श्री मधु दंडवते : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि या तो नवम्बर, 1973 तक लम्बे समय से अनिर्णीत मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद का निपटारा कर देना चाहिये या फिर व्यापक आन्दोलन का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : महाराष्ट्र एकीकरण समिति से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु सरकार इस विवाद का मित्रवत हल ढूंढने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है और उसका इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखने का विचार है ।

आक्सीजन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

545. श्री मधु दंडवते : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के लिये आक्सीजन की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) दश म वतमान आक्सीजन संयंत्रों की वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार न आक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विचार स लघु उद्योग क्षेत्र म आक्सीजन संयत्रों की मंजरी देने क प्रस्तावों पर गंभीरता स विचार किया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र म आक्सीजन की उत्पादन लागत कम आये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 750 लाख वर्ग मीटर ।

(ख) 790.3 वर्ग मीटर प्रति वर्ष ।

(ग) और (घ) संगठित क्षेत्र में आक्सीजन संयंत्र के न्यूनतम लाभप्रद एकक की प्रतिघंटा क्षमता 60 वर्ग मीटर है जो प्रतिवर्ष करीब 4.5 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन करेगा । इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक निवेश तथा संयंत्र और मशीनों की कीमत लघु उद्योग क्षेत्र में आक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की संभावना समाप्त कर देता है । किन्तु आक्सीजन गैस के एक या अधिक बड़े उपभोक्ताओं के क्षेत्रों के निकट कम क्षमता वाले कुछ एकक लघु उद्योग क्षेत्र में भी हैं जो अच्छी प्रकार चल रहे हैं । किन्तु चूंकि सामान्यतया लघु उद्योग क्षेत्र के एकक नियमानुसार केवल निकटवर्ती क्षेत्रों में ही भली प्रकार कार्य कर सकते हैं तथा चूंकि देश में कम क्षमता क संयंत्रों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः लघु उद्योग क्षत्रों म आक्सीजन एककों की स्थापना को प्रोत्सहित नहीं किया जा रहा है ।

लाजपतनगर, नई दिल्ली में आत्मा-दाह

546. श्री मधु दण्डवते
श्री नवलकिशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री सचिवालय के एक भूतपूर्व कर्मचारी ने 22 सितम्बर, 1973 को लाजपतनगर, नई दिल्ली के एक पार्क में आत्म-दाह कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या उक्त आबादी के निवासियों ने इस घटना की जांच कराये जाने और उक्त पार्क जनता को क प्रयोग की अनुमति दिये जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांगों पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 22 सितम्बर, 1973 को कृष्णा मार्केट, लाजपत नगर के एक पार्क में श्री मिलखी राम सारस्वत ने आत्म दाह किया । किन्तु वह प्रधान मंत्री सचिवालय का कर्मचारी कभी नहीं रहा ।

(ख) से (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की गतिविधियां

547. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने, प्रशिक्षित व्यक्तियों, तकनीकी जानकारी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी द्वारा अपनी गतिविधियों में बहुमुखी विस्तार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उद्यमकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा लघु उद्योगों के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को एक अंश के रूप में प्रशिक्षण देने तथा आद्य रूप का विकास करने हेतु मशीनी उद्योग के तीन आद्यरूप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये थे । अब तक 7038 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 52 आद्यरूपों का विकास किया जा चुका है । पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जाने के लिये कुछ और आद्यरूप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित करने की बात विचाराधीन है । इन केन्द्रों द्वारा दिये जाने के लिये पहले से विकसित जानकारी की उपलब्धता तथा लघु उद्यमियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के बारे में प्राप्त जानकारी हाल ही में विज्ञप्ति कर दी गई है । आशा है कि उद्यमी इसका स्वागत करेंगे ।

बिहार और मेघालय में यूरेनियम के भंडार

548. श्री राजदेव सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल हीं में बिहार और मेघालय में अनेक स्थानों पर यूरेनियम के छिपे निक्षेपों का पता चला है;

(ख) क्या इन निक्षेपों का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनका अनुमान कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । किन्तु, इन दो राज्यों में रेडियोसक्रियता के कुछ संकेत मिले हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जहां मिले संकेतों के आधार पर यूरेनियम के विद्यमान होने की संभावना है, सर्वेक्षण एवं भू-छेदन की सहायता से जांच की जा रही है । जांच के पूरा होने तक इन क्षेत्रों में विद्यमान यूरेनियम की मात्रा का अनुमान लगा सकना संभव नहीं है ।

सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

549. श्री राजदेव सिंह : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने हाथ में ली गई 103 कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये 100 करोड़ रुपये की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कितने समय में पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या आधुनिकीकरण पर खर्च होने वाली धनराशि से काफी लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं । 2.016 करोड़ रुपये की लागत वाला आधुनिकीकरण कार्यक्रम केवल 50 मिलों के लिये स्वीकृत किया गया है । शेष मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कार्य हो रहा है । मंजूरशुदा कार्यक्रम के लगभग तीन वर्षों में क्रियान्वित होने की आशा है। कुल 7 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा है ।

पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विषैली शराब के कार्य में लगे गिरोहों की गतिविधियां

550. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शराब के बड़े ठेकेदारों के कुछ गिरोह बम्बई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विषैली शराब संबंधी अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं;

(ख) क्या पुलिस उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों का पता लगाने में सफल हुई है और इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने लोग लगे हुए हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार तथा दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में ऐसी कोई गतिविधि नहीं आई है । उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सरकार के संबंध में सूचना आनी है । प्राप्त होने पर उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

नागाओं का भारत में पुनः दाखिल होना

551. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सैंकड़ों नागा भारत में पुनः दाखिल हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 50–60 नागाओं के एक गिरोह ने चीन से प्रशिक्षण तथा कुछ हथियार प्राप्त करने के बाद अप्रैल, 1973 में बर्मा-नागालैण्ड सीमा के रास्ते भारत में पुनः प्रवेश किया। उक्त गिरोह से संबद्ध व्यक्तियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरों को पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। नागालैण्ड व मणिपुर की सरकारें और सुरक्षा बल भूमिगत नागाओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अपनी गश्त कड़ी कर दी है और वे आने जाने के सभी संभावित मार्गों पर निगरानी रख रहे हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन करने के लिये भारत रक्षा नियम के अधीन की गयी गिरफ्तारियां

552. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत रक्षा नियम बनाये जाने से लेकर इन नियमों के अधीन आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन करने पर भारत रक्षा नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

आकाशवाणी के लिए पूर्णकालिक सम्वाददाताओं की नियुक्ति

553. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं पर विचार किया जा रहा है;

(ख) आकाशवाणी के ऐसे कितने संवाददाता है जिनकी अर्हतायें मैट्रिक या स्कूल फाइनल से भी कम हैं; और

(ग) क्या आकाशवाणी की कोई योजना पूर्णकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति करने की भी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह): (क) जी, हां। यद्यपि अंशकालिक संवाददाता का चयन करते समय उम्मीदवारों का पत्रकारित संबंधी अनुभव और निष्पक्ष रिपोर्टिग की क्षमता ध्यान में रखे जाते हैं, तथापि कोई न्यूनतम अर्हतायें अभी तक निर्धारित नहीं की गई।

(ख): ग्यारह। तथापि, वर्तमान अंशकालिक संवाददाताओं की अर्हताओं और कर्त्तव्यों की समीक्षा हाथ में ली जा रही है।

(ग) फिलहाल कोई नहीं।

उड़ीसा में डाकघरों का खोला जाना

554. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ग्राम डाकघरों की संख्या कितनी है और इस समय जनसंख्या के हिसाब से उनका अनुपात क्या है; और

(ख) आगामी योजना की अवधि में डाकघरों के खोलने संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) उड़ीसा जिले में इस समय 5534 ग्रामीण डाकघर हैं जो राज्य के गांवों की सेवा कर रहे हैं। देहाती इलाके का एक डाकघर औसतन 3636 लोगों की सेवा करता है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ग्राम पंचायतों वाले ऐसे गांवों में 29,000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है जो अपने नजदीक के डाकघर से 2 मील से ज्यादा दूरी पर हों। इनके अतिरिक्त देश के उन गांवों में भी 2000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, जहां मौजूदा मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य सिद्ध होगा। यह निश्चित नहीं किया गया है कि राज्यवार कितने डाकघर खोले जायेंगे।

भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग

555. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस प्रकार के अपराधों के लिये भारत रक्षा नियमों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या ऐसे बहुत से अपराधों के लिये देश के साधारण कानूनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि उप धारा (1) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था है कि ऐसे नियमों के किन्हीं उपबन्धों अथवा ऐसे उपबन्ध के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के उल्लंघन करने अथवा उल्लंघन करने के प्रयत्न अथवा दुष्प्रेरण अथवा उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरण का प्रयत्न करने पर 7 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा कारावास और जुर्माना दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। भारत सुरक्षा नियम नियमों के उल्लंघन इत्यादि के लिये तद्नुसार दंड की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत सुरक्षा नियमों का भाग–II निषिद्ध क्षेत्रों अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश [नियम 7(5) तथा 9(5)], रक्षक के साथ बल प्रयोग अथवा उपेक्षा (नियम–10) कुछ भवनों में अतिक्रमण करने, कुछ भवनों के समीप घूमने, निषिद्ध मार्गों, जल मार्गों में प्रवेश इत्यादि (नियम 12, 13 व 14) के लिये दंड की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार भाग–III सिगनल, तार, डाक व्यवस्था को नियमित करने तथा उसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करता है। भाग IV में शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश के बारे में विनियम, भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना देने, कुछ गैर-कानुनी संगठनों के नियंत्रण तथा उन्हें बन्द करना इत्यादि समाहित है। भाग V का संबंध नियम 36 के उप-नियम (6) में पूर्ण रूप से स्पष्ट किये गये प्रतिकूल कार्यों, तोड़ फोड़, शत्रु से पत्र-व्यवहार इत्यादि को रोकने से है। इसी प्रकार प्रत्येक भाग में विनियम विषयक उपबन्ध और ऐसे उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दंड की व्यवस्था समाहित है। भाग XII जिसका संबंध आवश्यक वस्तु संभरण तथा कारखाने इत्यादि के सामान्य नियंत्रण संबंधी कार्य नियम 114, हड़ताल तथा तालाबंदी न करने संबंधी नियम 118 तथा आवश्यक सेवा संबंधी नियम 119 का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 में भारत के विरूद्ध युद्ध करने अथवा किसी देश को भारत के विरुद्ध बाहर से हमला करने में सहायता करने के आशय से बनाये गये भारत रक्षा नियमों के उल्लंघन के लिये कठोर दंड की सामान्य व्यवस्था है। इसी प्रकार सरकारी रहस्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दंड की व्यवस्था को भी भारत रक्षा अधिनियम की धारा 6 (1) तथा 6 (5) द्वारा कठोर बनाया गया है।

इस प्रकार बनाये गये भारत रक्षा अधिनियम तथा नियम स्वत: पूर्ण संहिता हैं जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, नागरिक सुरक्षा, लोक सुरक्षा तथा उनके हितों को बनाये रखने और तत्संबंधी अपराधों के विचारण के लिये विशिष्ट उपायों की व्यवस्था करती है। जबकि यह संभावित है कि देश के सामान्य कानूनों में भारत रक्षा नियमों के समान उपबन्ध हैं तथा भारत रक्षा नियमों में ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनके अनुसार न तो सभी राज्यों के सामान्य कानूनों द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, न उनके सामान्य कानूनों में उनके समान कठोर दंड देने की व्यवस्था ही है। अत: भारत रक्षा नियमों के प्रयोग के संबंध में सामान्य नीति यह है कि भारत रक्षा नियमों का प्रयोग केवल वहीं होना चाहिये जहां समर्थ बनाने वाली अन्य कानूनी शक्तियां सरलता से उपलब्ध न हों अथवा जहां भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई दंड की व्यवस्था अधिकाधिक लोक हित में हो।

कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास

556. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की दर क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में इस उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) पिछले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र के कृषि पर आधारित विभिन्न उद्योगों में हुए उत्पादन का एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5592/73**] ।

(ख) संगठित क्षेत्र के बाहर कृषि पर आधारित उद्योगों में लगे कारखानों की संख्या काफी है । इन बहुसंख्यक कृषि उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । अतः देश भर के इन उद्योगों के निवेशों से संबंधित आंकड़े समग्र रूप से केन्द्र के द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण

557. श्री आर० एन० वर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूरे देश का एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है ;

(ख) इस सर्वेक्षण पर कुल कितनी धन राशि व्यय होने की आशा है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सारे देश में "एयरो-मैगनेटिक" (वायु–चुम्बकीय) सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा इस समय जांच की जा रही है ।

(ख) चूंकि इस प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है अतः इस पर होने वाले व्यय की राशि का ब्यौरा अभी तैयार करना है ।

ग) सर्वेक्षण करने के लिये समय का भी निर्धारण करना है ।

पांचवीं योजना आरम्भ करने के लिए एक वर्ष का विराम

558. श्री आर० एन० वर्मन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अर्धवार्षिक समीक्षा में पांचवीं योजना आरम्भ करने के लिये एक वर्ष के विराम का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह सुझाव विदेशी सहायता में कटौती हो जाने के कारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । स्थगन प्रस्ताव मुख्य रूप से इस विचार से दिया गया है कि योजना को राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा समर्थित रूपरेखा के अनुसार पुनर्निर्मित करने के लिये समय मिल सके और मूल्य स्थिरता तथा सामान्य साधनों की पुनस्थापना, नीति संबंधी दस्तावेजों का पुनरावलोकन तथा तैयारी की अवस्था को घटाने के लिये क्रांतिकारी उपाय अपनाने जैसे प्रारम्भिक कदम उठाये जा सकें ।

(ग) सरकार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के विचारों से सहमत नहीं है । सरकार का यह निश्चित विचार और विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियों में तो नियोजित अर्थव्यवस्था और भी आवश्यक होती है और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार किसी भी रूप में योजना अवकाश करना काफी हानि प्रद होगा । अतः पांचवीं योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है । योजना को समय रहते ही तैयार कर लिया जायेगा और यह पहली अप्रैल 1974 की निर्धारित तिथि से अमल में आ जायेगी ।

बिहार सरकार द्वारा श्रीमती राजेश्वरी नागमणि की हत्या की जांच सौंपने का अनुरोध

559. श्री एम० एस० पुरती : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा भूतपूर्व तिरहुत आयुक्त श्री एन० नागमणि की पत्नी श्रीमती राजेश्वरी नागमणि की हत्या की जांच को सौंपने की प्रार्थना की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा):(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि इस मामले पर राज्य सी०आई०डी० द्वारा जांच की जा रही थी तथा जांच कार्य काफी आगे बढ़ गया था और इसका कोई अन्तर्राज्यीय फैलाव नहीं था, अतः जांच ब्यूरो के लिये इस मामले को हाथ में लेना आवश्यक नहीं समझा गया था। राज्य सरकार को इस संबंध में तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

केरल में क्रासबार स्विच गियर फैक्टरी

560. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में क्रासबार स्विच गियर फैक्टरी को स्थापित करने संबंधी केरल सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है कि इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) केरल में टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर बनाने के लिये कारखाना लगाने और इसके लिये स्थान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस पर आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पारित संकल्प

561. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस' पर 21 अक्तूबर, 1973 को आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से राष्ट्रीय सम्मान के साथ क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय श्री राश बिहारी बोस की "शव धूलि" टोक्यो से भारत लाने तथा (ii) चांदनी चौक दिल्ली में उस मकान को जहां से भूतपूर्व ब्रिटिश वायसराय लार्ड हार्डिग पर बम फैंका गया था; अधिगृहीत करके उसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) मामला विचाराधीन है।

स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियों को टोक्यो से वापस लाना

562. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारांकित प्रश्न संख्या 405 दिनांक 23 अगस्त, 1973 के उत्तर में विदेश मंत्री ने स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियों को टोक्यो से वापस लाने के बारे में यह उल्लेख किया था कि यह मामला गृह मंत्रालय के लिये विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में गृह मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा को लाईसेंस/आशय पत्रों का जारी किया जाना

563. श्री समर गुह
डा० रानेन सेन:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा को नये उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किये गये;

(ख) ये परमिट किन उद्योगों के लिये जारी किये गये;

(ग) इन लाइसेंसों के आधार पर कितने नये उद्योग स्थापित हुए अथवा स्थापित हो रहे हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में नये उद्योगों के लिये कितने आशय पत्रों का प्रयोग किया गया और (2) कितने अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ङ) इस के कारण क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों को नये उद्योग स्थापित करने हेतु निम्नलिखित आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

राज्य का नाम	नये उपक्रम के किस्म के जारी किये गये आशयपत्रों की कुल सं०		नये उपक्रम के किस्म के जारी किये गये औद्योगिक लाइसैंसों की संख्या	
	1971	1972	1971	1972
प० बंगाल	8	23	5	10
महाराष्ट्र	90	75	18	30
पंजाब	13	8	4	7
हरियाणा	78	55	10	12

उपर्युक्त आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस धातुकार्मिक उद्योग, विद्युत उपकरण, दूर संचार, परिवहन, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, कृषीय मशीनें, भूमि उखानन, मशीनें, विविध यांत्रिकीय तथा इंजीनियरिंग उद्योग, वाणिज्य, कार्यालय तथा घरेलू कार्य के सामान, चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा औजार, औद्योगिक औजार, रसायन, दवाइयां तथा प्रसाधन सामग्री, वस्त्र, कागज के उत्पादों सहित कागज तथा गूदा उद्योग, चीनी, खाद्य परिष्करण उद्योग, वनस्पति तेल तथा वनस्पति फारमेंटेशन उद्योग, साबुन, प्रसाधन के साज सामान, रबड़ का माल, चमड़ा, चमड़े का माल तथा पिकरस्, कांच, मृत्तिका, सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद, इमारती लकड़ी के उत्पादन, इंधन तथा खाद व विविध प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिये दिये गये हैं ।

(ग) से (ङ) चूंकि औद्योगिक लाइसेंस जारी होने के पश्चात किसी भी नये उपक्रम की स्थापना में लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं , अतएव उन नये उपक्रमों से दो वर्षों में ही उत्पादन करने लगने की आशा करना समयपूर्व होगा । अतएव यह आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

अखबारी कागज की कमी

564. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज की सप्लाई तथा विदेशों से उसके आयात संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अखबारी कागज के अभाव के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकर द्वारा अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं और अखबारी कागज की कमी के कारण कितने दैनिकों तथा पत्रिकाओं को बन्द करना पड़ा है ;

(ग) क्या समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में और अधिक कटौती होने का खतरा है; और

(घ) क्या अखबारी कागज की कमी संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये विभिन्न समाचार पत्र संगठनों के प्रतिनिधियों से कोई विचार विमर्श किया गया था; और यदि हां, तो किस प्रकार का विचार विमर्श किया गया था तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) नवीनतम स्थिति यह है कि 1973-74 के दौरान अखबारी कागज की 2,45,000 टन की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में देशी अखबारी कागज (नेपा का अंश) 36,400 टन है। शेष 2,08,600 टन अखबारी कागज आयात किया जाना है। विभिन्न स्रोतों से 1,48,700 टन अखबारी कागज के लिये अनुबन्ध किये जा चुके हैं और शेष 59,900 टन अखबारी कागज प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं, 1,48,700 टन अनुबंधित अखबारी कागज में से 9,197 टन अखबारी कागज पहुंच चुका है, 16,644 टन अखबारी कागज समद्री रास्ते में है, 16,890 टन नवम्बर-दिसम्बर, 1973 में तथा शेष की दिसम्बर, 1973 के पश्चात जहाज में लदान हो जाने की उम्मीद है।

अखबारी कागज विक्रेताओं की मार्किट में एक दुष्प्राप्य वस्तु होने और अखबारी कागज की अत्यधिक विश्व-व्यापी कमी होने के कारण, सप्लाई करने वालों पर यह जोर डाला जा रहा है कि वे अखबारी कागज शीघ्र भेजें।

अखबारी कागज की कमी के कारण अल्प अवधि के लिये चार समाचारपत्र अर्थात् 'नूतल सौराष्ट्र', राजकोट; 'राजस्थान पत्रिका', जयपुर; 'नवभारत', भोपाल; और 'मध्य प्रदेश क्रानिकल' भोपाल बंद हो गये बताये गये थे। बहुत से मामलों में अखबारी कागज की कमी का कारण अखबारी कागज की 1972-73 के लिये अखबारी कागज संबंधी नीति के अधीन आवंटित अखबारी कागज की तुलना में अधिक खपत है।

(ग) जहां तक देशी अखबारी कागज का संबंध है, नेपा मिलों द्वारा अपने वचन निभाये जाने की संभावना है। सोवियत संघ से सप्लाई नियमित है, किन्तु दूसरे देशों से ऐसा नहीं है। फिर भी इस अवस्था पर यह कहना संभव नहीं है कि चालू लाइसेंसिंग अवधि में अखबारी कागज की सप्लाई में कमी होगी या नहीं। यदि अखबारी कागज उन आवश्यकताओं से कम प्राप्त हुआ जिनके आधार पर अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति चालू की गई है, तो समाचार-पत्रों की अखबारी कागज की हकदारी में और कटौती करने पर विचार करना पड़ेगा।

(घ) अखबारी कागज की विश्वव्यापी कमी के परिणामस्वरूप विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज नहीं मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 8 मई, 1973 को और बाद में 4 जुलाई, 1973 को अखबारी कागज सलाहकार समिति की आपत्तकालीन बैठक बुलाई। इस समिति में समाचार उद्योग को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है; इसमें इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी के तीन सदस्य और इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज पेपर्ज एसोसिएशन के दो सदस्य हैं। समिति की सिफारिश के आधार पर, 1973-74 की लाइसेंसिंग अवधि के लिये, अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति बनाई गई थी।

एक अखबारी कागज क्रय समिति भी है जिसमें इन दोनों संगठनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जुलाई, 1973 में, आई०एण्ड०ई०एन०एस० के एक शिष्टमण्डल ने अखबारी कागज की कमी को पूरा करने के लिये कनाडा से अखबारी कागज की प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिये कनाडा और अमरीका की यात्रा की। शिष्ट मंडल को वर्ष 1973-74 और आगामी 2-3 वर्षों के लिये अखबारी कागज की प्राप्ति की संभावनाओं का स्थान पर अध्ययन करना था। शिष्टमण्डल ने विदेशी सप्लायरों से उपयोगी संबंध स्थापित किये और उच्च अधिकार प्राप्त एक सरकारी शिष्टमंडल की अखबारी कागज क्रय संबंधी बातचीत करने हेतु यात्रा का पथ प्रशस्त किया। उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमंडल ने हाल में कनाडा और अमरीका की यात्रा की। सप्लायरों से प्राप्त पेशकशों के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि लगभग 59,000 टन अखबारी कागज 1974 के दौरान कनाडा से प्राप्त हो जायेगा।

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन जमाखोरों, काला बाजार करने वालों की गिरफ्तारियां

565. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे जमाखोरों, काला बजार करने वालों, तस्करों तथा व्यापार व वाणिज्य में अन्य कदाचार करने वालों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या क्या है जिनको (i) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा (ii) भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है जो कि (i) अभी तक नजरबन्द हैं; (ii) जिस पर मुकदमें चलाये गये हैं, (iii) जिन्हें सजा दी जा चुकी है तथा (iv) जो गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ दिये गये हैं; और

(ग) ऐसे जमाखोरी तथा कालाबाजार करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के लिये सरकार ने अन्य क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एव० मोहसिन) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत हरियाणा में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । नागालैण्ड तथा त्रिपुरा सरकारों तथा अन्डमान व निकोबार, गोवा दमणव दीव, लक्षद्वीप, पाण्डीचेरी, मिजोराम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी न करने अथवा आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियमों के अन्तर्गत कोई नजरबन्दी न करने की सूचना दी गई है ।

शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) राज्य सरकारों को जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों की गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखने तथा जमा किये गये भन्डारों को निकालने और आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा जारी किये गये तत्संबंधी आदेशों के प्रयोग द्वारा अपराधियों को दण्ड देने की दृष्टि से विशेष कार्यवाही करने की भी सलाह दी गई है ।

पुराने आशय पत्रों को पुनः मान्य करार देना

566. डा० रानेन सेन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अवधि समाप्त आशय पत्रों को पुनः मान्यता देने का निर्णय किया है;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे अवधि समाप्त हुए आशय पत्रों को कितनी संख्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन किन उद्योगों के लिये आशय पत्र जारी किये गये थे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) जी, नहीं ।

(ख) जिन आशय पत्रों की अवधि व्यपगत हो गई है उनके संबंध में ठीक ठीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । सामान्यतः आशयपत्रों की अवधि समाप्त हो जाने के कारणों में निम्नलिखित व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के विलम्ब हैं :–

(i) विदेशी सहयोग और आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध होना;

(ii) संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों से भूमि, बिजली और पानी की सुविधायें प्राप्त करना ।

(ग) उन उद्योगों का विवरण, जिनको आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाते हैं, "वीक्ली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसज और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज' 'दी इण्डियन ट्रेड जरनल और दी जरनल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रचार का कार्यक्रम

567. डा० रानेन सेन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने, राष्ट्रीय एकता की भावना का विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से प्रचार करने के लिए कोई पग उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गत कुछ वर्षों से अपना ध्यान ऐसे अभियानों पर केन्द्रित किया हुआ है जिनका लक्ष्य एकता की शक्तियों को सुदृढ़ करना और एक देश तथा एक संस्कृति जैसे विचारों को प्रचारित करना और प्रादेशिकवाद, जातिवाद तथा भाषावाद जैसी फूट डालने वाली शक्तियों का प्रतिकार करना है । यही केन्द्रीय विषय रहा है और इसका प्रचार रेडियो, प्रैस और फिल्मों तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, आदि जैसे अन्य माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है ।

क्यूबा के प्रधान मंत्री की यात्रा के बारे में 'डर्टी गेम आफ ए० आई०.आर०' समाचार

568. डा० रानेन सेन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्यूबा के प्रधान मंत्री फाइडल कैस्ट्रो की यात्रा के बारे में रेडियो कमेंटी के संबंध में 16 सितम्बर, 1973 को "न्यू एज" में 'डर्टी गेम इन ए०आई०आर०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित टिप्पणी को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आलोचना अनुचित थी ।

उद्योगों में विदेशी सहयोग तथा विदशी निवेश के प्रति विरोध

569. डा० रानेन सेन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उद्योग में विदेशी सहयोग तथा विदेशी निवेश के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या बड़ी संख्या में संसद सदस्यों ने इस निर्णय के प्रति विरोध किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : सरकार का ध्यान विदेशी निवेश की भूमिका पर 11 संसद सदस्यों द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है । फिर भी, प्रौद्योगिकी का आयात करने में सरकार का दृष्टिकोण निरन्तर अत्यधिक चयनात्मक बन्द हुआ है । तथा विदेशी निवेश की अनुमति केवल उन्हीं उद्योग क्षेत्रों में दी जाती है जिनमें देश में जनाकारी उपलब्ध नहीं होती है । सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश संबंधी नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की घोषणा नहीं की है ।

पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिये परिव्यय

570. डा० रानेन सेन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में सरकारी क्षत्र क लिये प्रस्तावित परिव्यय में वृद्धि की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना नियतन को पुनः आवंटन करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप, जिसे बाद में सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया जायेगा, को अन्तिमरूप देने का काम कर रहा है । परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः सरकारी क्षेत्र के आवंटनों को अभी बताना संभव नहीं है ।

देश में रेडियो लाइसेंस

571. श्री ईरा सेझियान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 को रेडियो लाइसेंस की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनसे प्राप्त आय की राशि कितनी थी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) रेडियो लाइसेंस	1,28,94,535
टेलीविजन लाइसेंस	84,114
(ख) रेडियो	16,64,38,011.50 रुपये
टेलीविजन	17,02,706.00 रुपये

1973-74 के दौरान परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के परिव्ययों में कमी

572. **श्री ईरा सेझियान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 के लिये परिवार नियोजन के लिये निर्धारित योजना परिव्यय के 113 करोड़ रुपये के प्रारंभिक लक्ष्य को कम किया गया है, यदि हां, तो कम किया गया परिव्यय कितना है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से निर्धारित कार्यक्रम और लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कार्यकारी दल ने 1973–74 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 113 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी। संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1973–74 की पूरी वार्षिक योजना पर विचार करने के पश्चात् परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 54.85 करोड़ रुपये की धन-राशि आवंटित की गई थी। बाद में, बजट की स्थिति गंभीर होने के कारण व परिवार नियोजन की पुन: समीक्षा करने के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय में चालू वर्ष के बजट में कटौती कर दी थी और वित्त मंत्रालय द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए निर्धारित धन राशि में 16.48 करोड़ रुपये कम करने की सूचना दी गई थी। क्योंकि इस कटौती के फलस्वरूप परिवार नियोजन कर्मचारियों की काफी छटनी करनी पड़ती और कार्यक्रम पर भी इसका बुरा असर पड़ता, अत: इस मामले पर पुनर्विचार किया गया और कार्यक्रम में की गई कटौती को बड़ी सीमा तक बहाल किया गया था। इस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये निर्धारित कुल धनराशि 53.45 करोड़ रु० है।

(ख) भवन निर्माण कार्य और व्यापक शिक्षा के कुछ घटकों को छोड़कर किसी भी स्कीम/परियोजना को स्थगित नहीं किया गया है। लूप नसबन्दी तथा निरोध का उपयोग करने के, पूर्व प्रस्तावित तथा इस समय संशोधित लक्ष्य निम्न प्रकार से है :–

(लाखों में)

	पूर्व प्रस्तावित लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य
लूप	10.00	6.69
नसबन्दी	60.00	22.68
निरोध का उपयोग करने वाले	100.00	43.03

(टिप्पणी:–लक्ष्यों में इस लिये संशोधन किया गया, क्योंकि व्यापक नसबन्दी कैम्पों का आयोजन करने में अधिक मुआवजा देने की नीति को छोड़ दिया गया)।

पोरबन्दर जिला में टेलीफोन कनेक्शन

573. **श्री बेकारिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के पोरबन्दर जिले में टेलीफोन कनैक्शन कितने हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1973 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थना पत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) 31–3–73 को 1044

(ख) 54

पांचवीं योजना के लिए राज्य की मांगों के बारे में योजना आयोग तथा गुजरात के बीच चर्चा

574. **श्री प्रभुदास पटेल**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा गुजरात सरकार के बीच सितम्बर में फिर से चर्चा हुई थी और यह निर्णय हुआ था कि राज्य की पांचवीं योजना के परिव्यय में वृद्धि की जाये:

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिव्यय अब भी राज्य की मांगों के मुकाबले कम हैं;

(ग) राज्य की मांग तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि में कितना अन्तर है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने शेष मांगों के बारे में फिर से विचार करना स्वीकार किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):(क) से (घ) गुजरात सरकार ने 1100 करोड़ रुपये की राशि के पांचवीं योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे । इन पर योजना आयोग में विचार-विमर्श हो चुका है । गुजरात सहित राज्यों की योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा छटे वित्त आयोग की रिपोर्ट पर लिये गये निर्णय के आधार पर किया जायेगा और उनसे विचार-विमर्श कर योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही राज्यों के संसाधनों का पुनर्विश्लेषण किया जायेगा ।

गुजरात में एक ग्रह-शाला की स्थापना

575. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ौदा के स्थान पर पूरी तरह से कम्प्यूटर-संचालित तथा आधुनिकतम साज-सामान से लैस एक ग्रह-शाला स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना की स्थापना जर्मन जनवादी गणतंत्र की सरकार के सहयोग से की जायेगी;

(ग) जर्मन जनवादी लोकतंत्र द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी; और

(घ) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा इससे भारत को कितना लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नरौली स्थित सरदार सिंह इन्टर कालेज के अनुसूचित जातियों के तथा हरिजन छात्रों पर अत्याचार

577. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरौली, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित सरदार सिंह इन्टर कालेज के एक छात्र से इस कालेज के प्रिन्सिपल तथा कुछ अध्यापकों के विरुद्ध पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों के तथा हरिजन छात्रों पर सितम्बर, 1973 में किये गये अत्याचारों के बारे में प्रधान मंत्री को एक पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित बातों का विवरण क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुरादाबाद जिले के नरौली गांव के श्री राम दयाल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से एक पत्र जिसमें जाटव समुदाय के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें थीं, प्रधान मंत्री सचिवालय में प्राप्त हुआ, और 9 अक्तूबर, 1973 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को उपयुक्त कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया था ।

बिहार के पूर्णिया जिले में हरिजनों का जिंदा जलाया जाना

578. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1973 के "पैट्रियट" में प्रकाशित कथित समाचार "कि पूर्णिया जिला में दो हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सौंपेगी और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार ने 22 अक्तूबर, 1973 के "पैट्रियट" में प्रकाशित संबद्ध समाचार देखा है । उसमें कहा गया था कि पूर्णिया जिले में सदर पुलिस थाना के अंतर्गत रामपुर बेल्वा गांव में 20 अक्तूबर, 1973 को दो हरिजनों को जला दिया गया था । बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुर्णिया सदर पुलिस थाने में उक्त गांव में किसी हरिजन को न तो मारा गया और न जिन्दा जलाया गया था । किन्तु एक घटना हुई थी जिसमें एक मकान जलाया गया था । इस घटना पर पूर्णिया सदर पुलिस थाने मे एक मुकदमा चलाया गया है और तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं । अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसीजांच का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र

579. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में एक अस्थायी व तदर्थ टेलीविजन स्टूडियो और एक स्थायी स्टूडियो की स्थापना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थापना-स्थलों तथा इमारतों के निरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के जो दल कलकत्ता गये थे उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों और कमियों के कारण दोनों दोनों स्थापना - स्थल नामंजूर कर दिये हैं और उन्होंने सिफारिश की है कि कि कलकत्ता में किसी भी टेलीविजन केन्द्र के निर्माण के प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये;

(ख) क्या निरीक्षण के परिणाम पश्चिम बंगाल सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं और क्या उन्हें वैकल्पिक स्थापना-स्थलों का सुझाव देने को कहा गया है; और

(ग) क्या कलकत्ता में 1974 तक टेलीविजन केन्द्र खोलने का विचार पूर्णतया त्याग दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को स्थिति से सूचित कर दिया गया है । ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थानों का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । उम्मीद है अन्तरिम व्यवस्था 1974 की समाप्ति से पूर्व हो जायेगी ।

हाल ही में सीमेंन्ट निर्माता कम्पनियों को जारी किए गए अप्रयुक्त लाइसेंस

580. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालहीमें सीमेंट का उत्पादन करने तथा क्षमता बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किये गये लाइसेंस मुख्यतः अप्रयुक्त हो रहे हैं और अब ये बड़े औद्योगिक गृह सीमेंट का उत्पादन करने के इच्छुक नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जारी किये गये लाइसेंसों का प्रयोग न किये जाने के कारण का पता लगाने के लिये इस मामले में कोई जांच की है; और

(ग) सीमेंट के उत्पादन को तेज करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि सीमेंट की सप्लाई में भारी कमी को पूरा किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को कठिनाइयों से राहत दिलाई जा सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) बड़े औद्योगिक गृहों की 5 पार्टियों को 1971 और 1972 की अवधि में काम चालू रखने के लाइसेंस जारी किये गये थे । इनमें से 3 पार्टियों ने सराहनीय प्रगति की है । तथा 1974 तक इन में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है । किन्तु 2 पार्टियां कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिक प्रगति नहीं कर सकी हैं । विभिन्न पार्टियों को हाल ही में जुलाई, 1973 और उसके बाद आशय-पत्र जारी किये गये हैं तथा इन पार्टियों द्वारा की गई प्रगति को अभी आंकना समय पूर्व होगा । लाइसेंस और आशय पत्र धारियों को लाइसेंसों और आशय-पत्रों के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है । जिनकी जांच की जाती है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है । लाइसेंस और आशय-पत्र धारियों के साथ उनकी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके समाधान में सहायता करने के लिये समय समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं ।

(ग) सीमेंट की प्रत्याशित मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 130 लाख मी० टन से अधिक की अतिरिक्त क्षमता के लिये स्वीकृति दे दी गई है । आशा की जाती है कि छठी योजना के अंत तक भारतीय सीमेंट निगम द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में तथा राज्य सरकारी क्षेत्र में क्रमश: करीब 30.00 लाख मी० टन तथा 30.00 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की जा सकेगी । शेष क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए प्रक्रिया

581. श्री त्रिदिव चौधरी
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों तथा परियोजना की मंजूरी के लिये नई प्रक्रिया चालू करने तथा संबंधित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक संयुक्त परियोजना मंजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) योजना की रूप रेखा क्या है और नई प्रक्रिया, इस समय चल रही प्रक्रिया से किस किस रूप में भिन्न होगी; और

(ग) बोर्ड का गठन कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) औद्योगिक स्वीकृतियों के हेतु सरकार ने 1 नवम्बर, 1973 से एक नया औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय औद्योगिक विकास मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में गठित किया है ।

2. नयी योजना के अधीन विभिन्न स्तरों की अनापत्तियों के हेतु समय निर्धारित किया गया है । औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में मंजूरी दिये जाने के मामलों का केन्द्रीकरण है जिसमें लाइसेंस के आवेदन पत्र प्राप्त होने से मंजूरी पत्र जारी होने तक का कार्य निहित है ।

3. एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पर विचार करने हेतु एक लाइसेंसिंग समिति-सह-एकाधिकार प्रतिबन्ध व्यापार प्रक्रिया समिति का गठन किया गया है ।

4. औद्योगिक अनुमोदन की नयी योजना के कार्यान्वयन के कार्य का पर्यवेक्षण सचिवों की एक अत: सचिवीय समिति अर्थात् प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा किया जायेगा । सरकार के दिनांक 30 अक्तूबर, 1973 के संकल्प के अधीन बोर्ड का गठन किया गया है । मिले जुले आवेदन पत्रों के लिये बोर्ड अनुमोदन समिति का कार्य करेगा नीति से संबंधित अधिकांश आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु यह एक उच्चस्तरीय मंच होगा जहां संदिग्ध नीति-मार्गदर्शन वाले विलम्ब के मामले सफलता से सुलझाये जा सकेंगे ।

केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना परिव्यय

582. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल के लिये 590 करोड़ रुपये की राशि योजना परिव्यय के रूप में निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे आम पिछड़े हुए राज्यों के लिये कितना-कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) केरल सरकार ने 748 करोड़ रुपये की राशि के पांचवीं योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । जिन पर योजना आयोग में विचार विमर्श किया जा चुका है । केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित, राज्यों की योजनाओं के आकार के बारे में अन्तिम निर्णय, भारत सरकार द्वारा छटे वित्त आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लेने और योजना आयोग द्वारा राज्यों के संसाधनों का पुनर्विश्लेषण करने के बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर किया जायेगा ।

आकाशवाणी से वाणिज्यक विज्ञापनों के कारण संगीत तथा गानों के प्रसारण में कमी

583. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किये जा रहे 'विविध भारती' कार्यक्रम द्वारा अपना अधिकतर समय वाणिज्यिक विज्ञापनों पर ही व्यय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापनों के परिणामस्वरूप संगीत तथा गानों को बीच में ही काटना पड़ता है;

(ग) क्या गानों को इस तरह बीच में ही काट देने से सुनने वालों को खीज होती है; और

(घ) यदि हां, तो गानों की संख्या को कम करने अथवा विज्ञापनों की संख्या घटाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि सुनने वालों को इस मानसिक यंत्रणा से बचाया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं। "विविध भारती" कार्यक्रमों की कुल अवधि का केवल 10 प्रतिशत समय विज्ञापनों के लिये उपयोग किया जाता है।

(ख) से (घ) रिकार्डों की ध्वनि बीच में क्षीण होने के कुछ प्रकरणों की ओर सरकार का ध्यान खींचा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, कड़े अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, कटक में स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त हुए पद

584. श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्याग पत्र देने, सेवा-निवृत्ति हो जाने तथा मृत्यु के कारण आकाशवाणी केन्द्र, कटक में स्टाफ आर्टिस्टों के कितने पद रिक्त हुए हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) छः वर्ष 1970, 1971, 1972, और 1973 (जनवरी से अक्तूबर तक) के दौरान।

(ख) स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 4 पद अधिक थे। बाकी 2 मामलों में, रिक्तियों को भरने के लिये कार्रवाई शुरू की जा रही है।

अमरीकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा उड़ीसा का दौरा

585. श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित अमरीकी महावाणिज्य दूत, उप महा-वाणिज्य दूत और अमरीकी वाणिज्य दूत के राजनैतिक सलाहकार ने मार्च, 1973 से अब तक उड़ीसा का कितनी बार दौरा किया है; और

(ख) उनकी इस राज्य की यात्रा के उद्देश्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1973 से अमरीकी महावाणिज्य दूत ने एक बार, उप महावाणिज्य दूत ने तीन बार तथा राजनैतिक अधिकारी ने दो बार उड़ीसा का दौरा किया।

(ख) उड़ीसा राज्य कलकत्ता में अमरीकी महा वाणिज्य दूत के अधिकार क्षेत्र में है और यह समझा जाता है कि ये दौरे उनके कौन्सुली कार्यों के संबंध में किये गये थे।

ओरियेन्ट पेपर मिल में बांस की कमी

586. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस की कमी से देश में कागज के उत्पादन को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओरियन्ट पेपर मिल्स की अमलाल डिवीजन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 15 नवम्बर तक मिल की बांसों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती तो मिल को बन्द करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में बांस के जंगल का राष्ट्रीयकरण कर लिये जाने से ओरियन्ट पेपर मिल के अमलाई डिवीजन सहित कुछ अन्य कागज मिलों को गलत फहमी हुई है । राज्य सरकार ने यह विश्वास दिलाया है कि इन मिलों के कागज उत्पादन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विद्युत अनुसंधान तथा विकास के लिए परिव्यय का बढ़ाया जाना

587. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यकारी दल ने विद्युत अनुसंधान तथा विकास के लिये अधिक परिव्यय का सुझाव दिया है; और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अनुसंधान तथा विकास संबंधी अभियान दल (टास्क फोर्स) ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान बिजली अनुसंधान और विकास पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की है । ब्यौरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपये)
1. 500 मैगावाट उत्पादन संयंत्र का विकास	80
2. नई अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना तथा वर्तमान सुविधाओं का विस्तार	15
3. सामग्री विकास कार्यक्रम	15
4. अनुसंधान और उत्पादन विकास कार्यक्रम	19
5. उत्पादन, पारषण और वितरण प्रणालियों की अनुसंधान तथा विकास परियोजनायें	15
6. अनुसंधान और विकास के लिय शैक्षणिक संस्थानों, लघु उद्योग केन्द्रों को तथा बिजली प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के खर्च के लिये अनुदान	6
जोड़	150

(ख) पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

भारतीय साम्यवादी दल की कृष्णा जिला परिषद् के सचिव की आंध्र प्रदेश के नाडाकुंडुअ में हत्या

588. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साम्यवादी दल की कृष्णा जिला परिषद् के सचिव श्री बालभाष्कर राव की आंध्र प्रदेश के डिवीजनल तालुक नाडाकुडुअ में रास्ते में रोक कर हत्या की गई है;

(ख) क्या इस राजनैतिक हत्या के संबंध में पुलिस ने किसी अपराधी को गिरफ्तार किया है; और

(ग) ऐसी राजनैतिक हत्यायें रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग), सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गांवपुरितिगडा में 9-9-1973 को भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की कृष्णा जिला परिषद् के सचिव श्री बाल भाष्कर राव को छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी । इस संबंध में पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 व 302 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । अपराध में अन्तर्गस्त होने में संदिग्ध 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । मामले की जांच पड़ताल हो रही है और आगे सूचना राज्य सरकार से प्रत्याशित है ।

राज्यों को अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन

589. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने राज्यों को अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये इस्पात औद्योगिक विकास तथा रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कुछ समय पहले असम के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि स्थिति की समीक्षा और असम की अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिये उपाय सुझाने के वास्ते योजना आयोग के तत्वावधान में एक समिति गठित की जाये जिसमें इस्पात, औद्योगिक विकास, रेलवे मंत्रालयों तथा असम सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों।

(ख) तथा (ग) समिति गठित करने की अपेक्षा यह उचित समझा गया कि जब भी कोई विशेष समस्या सामने आये उस पर संबद्ध मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है।

भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रमों के लिये रूसी सहायता का उपलब्ध न होना

590. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री वी० मायावन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत सरकार को सूचित किया है कि भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रमों के लिये रूस से कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊजा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यय में मितव्ययता बरतने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों को निदेश

591. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री वी० मायावन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को मितव्ययता बरतने तथा मितव्ययता का वातावरण उत्पन्न करने में सहायता देने के लिये आठ सूत्री निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रियों द्वारा इस संहिता को कठोरता से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या विदेश यात्राओं में कमी नहीं की गई है और सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1973 में विदेशों के दौरों पर बहुत धन व्यय किया गया; और

(घ) उनके द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि मंत्रियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा इस संहिता का कठोरता से पालन किया जाये ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं । संहिता को लागू करने के लिये मंत्रीगण यथा उपयुक्त सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

593. श्री शंकर राव सावंत

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को तुरन्त निपटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे हैं ;

(ग) समाधान को एक वर्ष से दूसरे वर्ष के लिये टालने के क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : (क) से (घ) 3 नवम्बर, 1973 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर विचार विमर्श किया । मुख्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से पूर्व इस विवाद को हल किया जाना चाहिये । प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया कि इस विवाद का एक ऐसा संतोषजनक हल ढूंढना होगा कि भविष्य में कटुता अथवा मत भेद के लिये कोई स्थान न हो और बंगला देश संघर्ष और गत वर्ष सूखा के कारण इस समस्या का विचार कुछ समय के लिये छोड़ना पड़ा ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशी साम्य पूंजी का सरकारीकरण

594. श्री आर० के० सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशी साम्य पूंजी के सरकारीकरण का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया हैं; और

(ग) इन विदेशी कम्पनियों को सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी जानी है और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशी साम्य पूंजी का सरकारीकरण कब तक किया जाना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री :(श्री राज बहादुर) :(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

योजना आयोग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति

595. श्री आर० के० सिन्हा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में अनुश्रवण मूल्यांकन तथा उद्योग और खनिज के क्षेत्रों संबंधी परामर्शदाताओं के पांच नियमित पदों की नियुक्तियां कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उन्हें किस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) अब तक परामर्श दाताओं के दो नियमित पदों और मुख्य परामर्शदाता के एक नियमित पद पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं । जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य नियुक्तियां की जायेंगी ।

(ख) 3500 रुपये प्रति माह पर श्री वी०जी० राजाध्यक्ष को मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है तथा श्री वी० आर० सुले व डा० एच० सी० बीजावाट को 3250 रुपये प्रति माह पर परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया है ।

जिन क्षेत्रों में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की है उनका उल्लेख प्रत्येक के आगे किया गया है :-

नाम	पदनाम	विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्र
श्री वी० जी० राजाध्यक्ष	मुख्य परामर्शदाता	रसायन, इंजीनियरी, परियोजना व उत्पादन प्रबन्ध तथा नियंत्रण प्रबन्ध, चुनाव प्रशिक्षण और विकास
श्री बी० आर० सुले	परामर्शदाता	मकैनिकल इंजीनियरी, स्वचालित टकनालाजी, परियोजना व उत्पादन प्रबन्ध तथा नियंत्रण ।
डा० एच० सी० बीजावाट	परामर्शदाता	रसायन इंजीनियरी, तेल और तेल रसायन तकनालाजी, परियोजनाव उत्पादन तथा प्रबन्ध व नियंत्रण ।

'नो फण्डस—ए पावर स्टेशनस सफर' शीर्षक से समाचार

526. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त 1973 के 'इकनामिक टाइम्स' में 'नो फण्डस्—ए पावर स्टेशन्स सफर' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों को पूरा करने के लिये योजना आयोग से मंजूरी लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 28 अगस्त, 1973 के इकनामिक टाइम्स में 'नो फण्डस—ए पावर स्टेशन" शीर्षक के अन्तर्गत यह समाचार प्रकाशित हुआ था न कि 30 अगस्त, 1973 के

(ख) निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों को पूरा करने के लिये अपेक्षित कोष की व्यवस्था पांचवीं पंचवर्षीय योजना में करने का सुझाव दिया जा चुका है ।

Murder of a Trainee of Border Security Force in Chhatarpur District, M.P.

597. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a case of murder of a trainee of Border Security Force in Chhatarpur District of Madhya Pradesh has come to the notice of Government; and

(b) if so, the facts of this incident and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Number of Temporary Employees in the Ministry of Information and Broadcasting

598. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number of temporary employees in his Ministry, who have rendered more than five years of service but have not been confirmed so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Payment of Overtime Allowance in the Department of Space

599. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Space be pleased to state :

(a) whether overtime allowance of the employees of the Department of Space has registered heavy increase in 1972-73 as compared to 1970-71 and 1971-72.

(b) whether Government propose to impose any cut on the estimated amount to be spent on overtime allowance during 1973-74, in view of the present economic crisis; and

(c) if so, the future policy of the Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Does not arise since the Department of Space was created only in June, 1972.

(b) Yes, Sir.

(c) Expenditure on overtime will be kept down to the essential minimum.

Temporary Employees in the Ministry of Communications

600. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

the number of temporary employees in his Ministry at present who have completed more than five years service ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

भारतीय फिल्मों के निर्यात आय में कमी

601. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में 14 प्रतिशत कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जुलाई, 1972 से मई, 1973 तक की अवधि के दौरान भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले में थोड़ी कमी हुई है जो 5.7 प्रतिशत है

(ख) इस थोड़ी कमी का कोई विशेष कारण नहीं है ।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

602. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को किसी प्रयोक्ता अथवा किसी अन्य संस्था से इस आशय की शिकायत मिली है कि कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण विशेषकर एक्सचेंज संख्या 24, 41, तथा 57 में और दिल्ली तथा कलकत्ता के मध्य ट्रंक लाइन पर संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मंत्रालय कलकत्ता टेलीफोन विभाग के स्वचालित (आटो-मैनुअल) तथा ट्रंक एक्सचेंज को नियमित गतिविधियों की जांच करने को तैयार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । जब भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच की गई है और उन्हें दूर करने के लिये आवश्यक कदम

उठाये गये हैं । विभाग स्वयं भी लगातार कलकत्ता की टेलीफोन सेवा के स्तर का जायजा लेता रहता है और सेवा में सुधार लाने के लिये लम्बे अर्से और थोड़े अर्से के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन चल रहा है । चूंकि टेलीफोन सेवा पर बराबर निगरानी रखी जाती है, इसलिये जैसा कि सुझाव दिया गया है इस मामले की विशे तफतीश करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

दिनांक 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर को शुद्धि करने वाला विवरण
Correcting Statement to U.S.Q. No. 590 dated 25-7-1973

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 25 जुलाई, 1973 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 590 के भाग (क) के दिये गये उत्तर में, यह कहा गया था कि सरकार के पास 10 जून, 1973 की घटना के संबंध में जिसका प्रश्न में उल्लेखकिया गया था, कोई सूचना नहीं है । बाद में त्रिपुरा सरकार ने सूचना भेजी है कि 10 जून, 1973 को उत्तरी त्रिपुरा में कंचनपुर थाने के अन्तगर्त तीन सशस्त्र मिजो के एक गिरोह ने टिटाहजयापारा पर हमला किया थातथा ठेकेदारों के दो श्रमिक केम्पों से लगभग 52 रुपये (केवल बावन रुपये) के मूल्य की वस्तुयें लूटी थीं और यह सिद्ध नहीं हुआ कि स्थानीय शिक्षित युवक इसमें अन्तर्ग्रस्त था ।

2. त्रिपुरा सरकार से अपेक्षित सूचना अगस्त, 1973 के अन्तिम सप्ताह में ही प्राप्त हुई थी इसीलिये वक्तव्य के शुद्धिकरण में विलम्ब हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इंडियन एयर लाईन्स की सेवाओं के अस्त व्यस्त होने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I call the attention of the Minister of Tourism and Civil Aviation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"The reported dislocation of Indian Airlines services due to the employees' resistance to the new shift system."

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे 12 नवम्बर, 1973 की प्रातः से इण्डियन एयरलाइन्स में चालू की गयी संशोधित शिफट प्रणाली के बारे में स्थिति के विषय में सदन को सूचना प्रदान करने का अवसर दिया है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी है कि इस के कई विभागों को चौबीसों घण्टे कार्य करना पड़ता है । परन्तु कार्य के भार का परिमाण परिचालनों के स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न होता है । 12 नवम्बर, से पहले इण्डियन एयरलाइन्स में 'शिफ्टें' अधिकांशतया 'समतुलन' के ढांचे पर आधारित होती थीं, जिसके अनुसार सुबह, शाम और रात की शिफ्टों में बराबर बराबर कर्मचारी काम पर लगाये जाते थे, यद्यपि कार्याभार का परिमाण हर शिफ्ट में अलग अलग होता था । इसके परिणामस्वरूप उस समय जब कार्य का भार अधिक होता था कर्मचारियों की एक कृत्रिम न्यूनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तथा और समय में अनेक कर्मचारी बगैर काम के बैठे रहते थे । इसलिये कर्मचारियों का न्यून कार्य-भार वाली शिफ्टों से अधिक कार्यभार वाली शिफ्टों में रोके रखना अनिवार्य हो जाता था । इससे न केवल अकारण एवं अनियंत्रण की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी अपितु इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था । इसके अलावा पुरानी पद्धति के परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुचित समयोपरि-भत्ता भी देना पड़ता था । कर्मचारियों की कृत्रिम न्यूनता समयोपरि-कार्य के लिये ऐवजी छुट्टी देने के कारण और अधिक बढ़ जाती थी और यह स्थिति उन उदार छुट्टी नियमों के कारण और भी अधिक विषम हो जाती थी जिनके

कारण कर्मचारी लगातार एक या दो दिन तक बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रह सकते थे। सरकारी उद्यमों के बारे में बनाई गई समिति ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यचालन के संबंध में इस चिन्ताजनक स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उपचारी कार्यवाही की सिफारिश की है।

शिफ्ट प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने के लिये तथा अपव्ययी प्रथाओं का यथासंभव निवारण करने के लिये एयरलाइन्स के अध्यक्ष ने कर्मचारी संघों के साथ हुए समझौते की विशिष्ट शर्तों के अनुसार 15 अक्तूबर को एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन, 16 अक्तूबर को इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसिएशन, तथा 26 अक्तूबर को आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इन्जीनियर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। शिफ्ट प्रणाली के प्रस्तावित संशोनों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श की समय-तालिका के बारे में सहमति हुई। तदनुसार इण्डियन एयरलाइन्स के चारों क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों ने स्थानीय यूनियन प्रतिनिधियों को परामर्श और विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया और उन्हें शिफ्ट प्रणाली में संशोधन के बारे में प्रबंधक वर्ग के प्रस्तावों से अवगत कराया। क्योंकि कोई समझौता नहीं हो सका अतः कर्मचारी संघों के साथ हस्ताक्षारित समझौतों के अनुसार प्रस्ताव इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसियेशन और आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन के मामले में क्षेत्रीय निदेशकों को, तथा एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन के मामले में सहायक प्रबंध निदेशक को सुपुर्द किये गये। सहायक प्रबंध निदेशक ने एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन के केन्द्रीय कार्यालय को 8 नवम्बर को परामर्श के लिये आमंत्रित किया। इस बैठक में दुर्भाग्यवश यूनियन प्रतिनिधियों ने नकारात्मक रवैया अपनाया और ऐसे प्रकरणों को उठाया जिनसे यह आभास होता था कि वे संशोधित शिफ्ट प्रणाली को अनिश्चित काल के लिये टाल देना चाहते हैं। सहायक प्रबंध निदेशक ने सारे मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया और 9 नवम्बर को शिफ्ट प्रणाली के संशोधन के बारे में क्षेत्रों के प्रस्तावों के अनुमोदन का निर्णय दे दिया। निर्णय से एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन को विधिवत् अवगत करा दिया गया। इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसियेशन और ऑल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के साथ यथोचित परामर्श के उपरान्त क्षेत्रीय निदेशकों ने इनके कर्मचारी वर्ग को लागू होने वाली संशोधित शिफ्ट प्रणाली के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया।

इन निर्णयों के अनुपालनस्वरूप प्रबंधकवर्ग ने 10 नवम्बर को अधिसूचित किया कि संशोधित शिफ्ट प्रणाली 12 नवम्बर से लागू होगी। 10 नवम्बर के अपराह्ण में, केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त ने टेलीफोन पर इण्डियन एयरलाईंस को सूचित किया कि उसे एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन से 25 नवम्बर से होने वाली हड़ताल के नोटिस की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि शिफ्ट प्रणाली के संशोधन के लिये संघों के साथ हुए समझौतों में विशिष्ट रूप से की गई शर्तों, तथा प्रबंधकवर्ग एवं संघों के बीच हुई विस्तारपूर्वक बातचीत के बावजूद, संबंधित संघ नवीन शिफ्ट प्रणाली को चालू किये जाने का विरोध कर रहे हैं : उन्होंने ऐसी कार्यवाही शुरू कर दी है जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं में विलम्ब एवं कटौती हो रही है जिससे यात्री जनता को अत्यन्त असुविधा तथा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने प्रबन्धक वर्ग पर दबाव डालने की दृष्टि से कलकत्ता में इण्डियन एयरलाइन्स के क्षेत्रीय निदेशक का घेराव भी किया।

चेयरमैन ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अनुभव के परिणामस्वरूप यदि नई शिफट प्रणाली में कोई संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो वे कर दिये जायेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह माननीय सदन यह आशा व्यक्त करने में मेरा साथ देगा कि संबंधित कर्मचारी यह महसूस करेंगे कि प्रबंधकवर्ग के न्यायोचित निर्णयों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have sympathy with Shri Raj Bahadur, who had to face this crisis immediately after taking over the charge of this Ministry. I want to know as to why such a system was adopted as a result of which so much over time had to be given to the employees.

The hon. Minister has referred to the public under takings Committee, which have given figures. The overtime allowance has been increase by 170 per cent during the last five years. The Committee has recommended that efforts should be made to decrease it after consulting the employees. The statement of the hon. Minister does not reveal the objections raised by the employees. But he has made the allegation against the employees that they want that the shift system should not be implemented. The House is eager to know the concrete points raised

by the employees. It is a separate question whether this system is correct or not. But if you want to inroduce a system by which overtime allowance already drawn by them is totally stopped, it should have been implemented after consulting them. I want to know from the hon. Minister whether he had any talks with the representatives of the employees in this connection. An integrated policy should be adopted in regard to overtime allowance. It has been argued that the new shift system must be accepted. It can be improved upon, if necessary. I think that the hon. Minister can solve this problem by having talks at his level with the employees, Unions. The House would fully support him, if he makes efforts in this direction.

Shri Raj Bahadur : I am thankful to the hon'able members for the sympathy they have expressed for me. I have always been in contact with the labour organisations. But I want to know from the hon'able members, that if there is any anomaly whether that should be removed or not ?

It is not the question of overtime allowance only. The question is that the staff should be posted equally for morning and evening services. An agreement was signed between the concerned Unions and the management. Talks were held accordingly on the whole system.

I had no intention to doubt the integrity of the hon. member. The information asked for by him was not available with us. I do not want to go into the details of all those things.

The chairman and Managing Director tried his level best to seek the cooperation of the employees and asked them to set things right.

The office bearers of the Union met me and I explained the whole position to them. I want that these issues must be best to the levels where they should be decided. I have never refused to meet them. The chairman has also announced that he was ready to bring changes if it was necessary. The stoppage of work is causing so many difficulties for employees and their families.

श्री वसंत साठे (अकोला) : इस बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों और प्रबन्ध के बीच अच्छे संबंध होने चाहियें । लेकिन यदि किसी सेक्टर के सभी कर्मचारी उच्च तकनीकी योग्यता के हों, तो उन्हें हम क्यों न विश्वास में लें । यह समस्या कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्पर्क की कमी के कारण पैदा हुई है ।

एक मजदूर नेता होने के नाते मुझे इस प्रकार के आन्दोलन से कोई हमदर्दी नहीं है । कर्मचारी निर्धारित 8 घंटे के समय से अधिक समय तक काम करने के लिये समयोपरि भत्ता चाहते हैं । इस मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता । ऐसे कर्मचारियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं हो सकती । शिफ्ट प्रणाली के विरोध का कारण यही बताया गया है कि अब उन्हें समयोपरि भत्ता कम मिलेगा ।

मैं कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे इस नीति को न अपनायें । विरोधी दल के नेताओं के भी इस प्रकार के रवैये का विरोध करना चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि आप सदन को इस बात की सूचना कब तक देंगे कि इन्डियन एयर लाइन्स में कर्मचारियों और प्रबन्धकों में पूरा तालमेल है ।

श्री राज बहादुर : जो कुछ श्री साठे ने कहा, मैं उसकी सराहना करता हूं । मैं सम्पर्क की कमी को अनुभव करता हूं । जैसे कि मैंने पहले कहा इंडियन एंयरलाईन्स जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपनी समस्याओं का समाधान वार्ता द्वारा करना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल (ढुढुका) सरकार ने शिफ्ट प्रणाली आरम्भ करने की आवश्यकता को अब क्यों अनुभव किया है । इनके उत्तर से मैं सहमत नहीं हूं । इस मामले में संपर्क की कमी नहीं थी । इस बात का कोई पता नहीं कि वार्ता क्यों बंद हुई । कहा जाता है कि वार्ता बंद होने का कारण यह था कि चेयरमैन ने संघ द्वारा मांगी गयी सूचना नहीं दी । शिफ्टों में कर्मचारियों की संख्या उस शिफ्ट में किये जाने वाले कार्यभार को ध्यान में रखते हुए रखी जानी चाहिये । अब तक ऐसा नहीं किया गया । अब संघ का कहना है कि इसे शिफ्टों में परिवर्तन करने के बारे आपत्ति नहीं थी लेकिन इसे बातचीत करने का अवसर नहीं दिया गया । कर्मचारियों की आपत्ति का कारण स्पष्ट है । समयोपरि भत्ते का वे लोग आखिर कैसे छोड़ सकते थे । इसलिये उनका आपत्ति करना स्वाभाविक ही है ।

समयोपरि भत्ता हर जगह एक घोटाला बन गया है । समयोपरि भत्ते के लिये बैंकों में दिन समाप्त होने के बाद काम शुरू किया जाता है जिससे सर्वसाधारण को बहुत असुविधा होती है ।

इस बात की आशा की जाती है कि देश की एक अनिवार्य सेवा के कर्मचारी पूरी रुचि के साथ काम करेंगे इसके विपरीत वे हड़तालें करके लोगों को असुविधा पहुंचाते हैं । क्या सरकार इस सदन को आश्वासन देगी कि इण्डियन एयर लाईन्स के कार्य में संतोषजनक सुधार लाने के लिये सुदृढ़ कदम उठाये जायेंगे । मेरे विचार में यदि आज कोई समझौता होता है तो उसका परिणाम यह होगा कि इंडियन एयरलाईन्स का कार्य शिथिल पड़ जायेगा । मेरे विचार में अब इस बात की घोषणा करने का समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के साथ साथ प्रबन्धकों तथा सर्वसाधारण के प्रति भी उचित रवैया अपनाना चाहती है । मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री राज बहादुर : श्री पटेल ने पुनः वही प्रश्न पूछा है कि इसे अब तक क्यों सहन किया जा रहा है ।

वास्तव में बात यह है कि विभिन्न संघों की मांगें जब इस सदन के सामने आयी तो हमने उनका समर्थन किया था या नहीं ? यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या मंत्री जनप्रिय हैं अथवा नहीं । यात्रा करने वाले लोगों को जो असुविधा हुई है, उसका हमें बहुत दुख है ।

इस मामले की चर्चा हर स्तर पर हो चुकी है । जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है हम उन पर विचार कर रहे हैं । 'संतुलन' के बारे में आपत्ति उठायी गयी है । हम यथार्थ संतुलन कायम रखना चाहते हैं । इस बारे में हमने किसी प्रकार की ढील से काम नहीं लिया है । प्रश्न नीति और कार्यवाही का है । जैसे कि मैं कह चुका हूं, शिफ्ट प्रणाली संबंधी निर्णय ओपरेटिंग स्तर पर लिये जाने चाहियें । काम करने वाले तथा काम देने वाले को मिलकर बात करनी चाहिये । तकनीशियनों तथा इंजीनियरों के बारे में अंतिम निर्णय रीजनल डायरेक्टर पर निर्भर करता हैं । कर्मचारी संघों के बारे में अंतिम निर्णय डायरेक्टर करेगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : समाचार पत्रों में हवाई जहाजों के नष्ट भ्रष्ट संबंधी समाचार प्रकाशित हुए हैं । आपको हवाई जहाजों की जांच तथा आवश्यक सर्विसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिये । और उचित जांच के बाद ही उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दी जानी चाहिये । यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस समस्या के संदर्भ में , मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान शिफ्ट प्रणाली में परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर विभिन्न कर्मचारी संघों तथा प्रबंधकों के बीच कोई मतभेद नहीं है । हां कर्मचारियों का यह विचार जरूर सही है कि जब वर्ष 1971–72 में हुए करार में कोई परिवर्तन करके नई शिफ्ट प्रणाली बनाई जाती है तो निश्चय ही कुछ बातें तो जरूर पैदा होंगी । प्रश्न उठता है कि जब इतने दिनों से समयोपरि कार्य हो रहा था, तो वह भी गलत हो रहा था तो फिर नई प्रणाली अचानक क्यों शुरु की गई ? विमान सेवा कर्मचारी संघ के सचिव ने कहा है कि इस पर उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है परन्तु उन्हें इस बारे में चर्चा के लिये उचित समय तो दिया जाना चाहिये था । दूसरे उन्हें समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते कि नई शिफ्ट प्रणाली सेवा का पहले किये गये करार में निहित पुनरीक्षण संबंधी सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? एयर मार्शल लाल ने यह स्वीकार किया है कि वह उन्हें समुचित डेटा नहीं दे सके क्योंकि उसको एकत्रित करनें में बहुत अधिक समय लगता । मगर यह समझ में नहीं आता कि समुचित डेटा के होने पर उन्होंने यह कैसे निष्कर्ष निकाल लिया कि नई शिफ्ट प्रणाली की आवश्यकता है । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । कर्मचारियों के इस आरोप का न तो एयर मार्शल ने ही उत्तर दिया है और न ही मंत्रालय ने । बिना डेटा दिये कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के बीच चर्चा किस आधार पर हो सकती है ?

मुझे खेद है कि एयर मार्शल लाल ने एक सैनिक चेयरमैन की भांति काम किया जैसाकि सैनिकों के मामले में किया जाता है । वह भूल गये कि ये कर्मचारी किसी नये ढंग के सैनिक हैं, फौज के सैनिकों जैसे नहीं हैं । एयर मार्शल लाल 26 तारीख को एक कर्मचारी संघ के नेताओं से कुछ चर्चा की तथा 9 तारीख को अर्थात् केवल दो सप्ताह के भीतर ही नई शिफ्ट प्रणाली को लागू कर दिया । उन्होंने यह सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया और इस समस्या को नीतिकुशलता के साथ हल करने का प्रयास नहीं किया ।

फिर उन्होंने मंत्रालय की सलाह भी नहीं ली । सोचा होगा कि मंत्रालय का मंत्री बदल रहा है और नया मंत्री भी केवल अस्थायी रूप से इस मंत्रालय के मामलों को देखेगा । और उन्होंने सोचा कि उनमें से कोई सा भी मंत्री इस समस्या के बारे में पूरी तरह ध्यान न दे सकेगा । इसलिये वर्षों से लटके आ रहे इस मामले को श्री लाल ने इतनी जल्दबाजी के साथ

निश्चित कर डाला । मेरे विचार से यदि एयर मार्शल लाल नीतिकशलता से कार्य करते तथा कुछ धैर्य से काम लेते तो अच्छा होता ।

समयोपार कार्य आज सामान्य आदमी के लिये एक समस्या बन गई है । केवल इण्डियन एयरलाइन्स में ही नहीं वरन् प्राय: सभी सरकारी विभागों में सामान्य कार्य घन्टों में कार्य न होकर समयोपरि घन्टों में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इस समयोपरि काम करने की प्रक्रिया को अधिकाधिक न्यायसंगत बनाया जाना चाहिये तथा इसमें कमी की जानी चाहिये ।

कर्मचारी संघ के सचिव ने कलकत्ता में यह भी कहा है कि समयोपरि भत्ते पर खर्च में 80 प्रतिशत की वृद्धि वेतन में वृद्धि तथा कर्मचारियों की कमी के कारण हुई है । सैनिक-चेयरमैन ने इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया है । कर्मचारियों का कहना है कि वे समयोपरि कार्य करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है तथा इसे बेशक बन्द कर दिया जाये परन्तु उन्हें निर्धारित समय से अधिक कार्य करने को भी विवश न किया जाये । अब आप एक नई शिफ्ट प्रणाली लागू कर रहे हैं ।

फिर मंत्री महोदय ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा हैं कि इण्डियन एयरलाइन्स को केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त ने टेलीफोन पर बताया था कि विमान सेवा कर्मचारी संघ ने हड़ताल का नोटिस दिया है . . . । श्री मजूमदार ने भी यह कहा था कि कर्मचारी लोकतांत्रिक आधार पर किये गये किसी भी निर्णय को मानने को राजी हैं तथा 1971–72 के करार पर वे दृढ़ हैं तथा आंतरिक रूप से किये गये करार को भी स्वीकार कर लेंगे ।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था करें कि प्रमुख श्रम आयुक्त द्वारा पंच निर्णय हो जाये कर्मचारियों के साथ न्यायोचित ढंग से बात-चीत हो जाये और उन्हें समुचित डेटा उपलब्ध कराया जाये ताकि उसके आधार पर कोई न्याय संगत फैसला हो सके ।

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है कि श्री समर गुह ने एयरमार्शल लाल को एक सैनिक-चेयरमैन कहा है, विशेषतया जबकि अन्य सदस्यों ने कहा है कि एयरमार्शल लाल ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमसब गर्व करते हैं । वह पांच साल तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक रहे हैं । पहले वह आई० ए० सी० के भी प्रबंध निदेशक थे अत: उन्हें सरकारी उपक्रमों में कार्य करने तथा श्रमिक विवादों को हल करने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है । अत: वह श्रम संबंधी मामलों में नये नहीं हैं । इस हेतु उन्हें सैनिक-चेयरमैन की संज्ञा देना उचित नहीं है ।

जहां तक करारों का संबंध है, कर्मचारी संघ तथा प्रबंधकों के मध्य 2–6–1971, 10–1–1972 तथा फिर 15–2–1972 को करार हुए थे जिनमें यह प्रावधान है कि निगम समय समय पर विभिन्न आधारों पर शिफ्ट प्रणालियों तथा उनके समयों में परिवर्तन कर सकेगा ताकि निगम के कार्य को उचित ढंग से निपटाया जा सके । इसमें रात्रि की शिफ्ट लगाना भी शामिल था । इस में यह भी व्यवस्था थी कि इस संबंध में कर्मचारियों के साथ बात-चीत करके दोनों पक्षों को मान्य कोई निर्णय करने का प्रयास किया जायेगा तथा विनति की सूरत में मामला सहायक महाप्रबंधक के पास अन्तिम निर्णय के लिये भेजा जायेगा । संभव है कि सभी विभागों में एक समान शिफ्ट प्रणाली न रह सके परन्तु व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी कर्मचारी को एक सप्ताह में 34 घण्टे से अधिक कार्य न करना पड़े तथा कुल मिलाकर भी उस अवधि से अधिक कार्य न करना पड़े । जो कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 में निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार करार तकनीशियनों तथा इंजीनियरों के साथ भी हुए हैं । पुनरीक्षण संबंधी सभी करारों का अनुसरण किया गया है तथा उन पर चर्चा की गयी थी । अत: यह कहना सही नहीं होगा कि कर्मचारियों को बताये बिना ही उन पर यह चीज थोप दी गई है ।

माननीय सदस्य ने स्वयं ही परस्पर विरोधी बातें कही हैं । एक ओर तो वह कहते हैं कि कर्मचारी समयोपरि कार्य करने में रूचि नहीं रखते तथा दूसरी ओर वह कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने का अनुरोध भी करते हैं । पहले तो हमें यह सोचना चाहिये कि क्या कार्य के भार के अनुरूप शिफ्ट प्रणाली की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये ? यदि हां, तो फिर इसका दायित्व भी प्रबंधकों पर ही होता है कि कैसे करें किससे करवायें । यह प्रश्न किसी पंचाट अथवा पंचनिर्णय के लिये नहीं सौंपा जाता । इसका निर्णय संचालकों को ही करना होता है और इससे कर्मचारियों की सेवा-शर्तों आदि पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । . . . . . **(व्यवधान)** समयोपरि भत्ता किसी का अधिकार नहीं है और कोई इसके लिये जोर नहीं डाल सकता पर हां, कोई सूत्र निकालते समय उन करारों का ध्यान रखा जाता है जिनका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In case the management wanted to it on their own, why did they connect the employees ? The hon. Minister has admitted that there was a meet to consult the employees and that they were consulted.

श्री राज बहादुर : ऐसे मामलों में विमति होने पर मामला अन्तिम निर्णय के लिये सहायक महाप्रबंधक के पास भेजा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नवल किशोर शर्मा ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dansa) : Such issues, which we are discussing here, are causing a state of disorder in the entire country. Strikes are common features today; the D.I.Rs. are being laughed away. Our friends opposite are alleging that Air Marshal P.C. Lal is a 'Soldier Chairman' and that the rights of the employees have been usurped. But they don't bother about how much hardship has been caused to the common people and the tax-payers. People are tired of strikes taking place everyday but still the opposition Members choose to side with the strikers.

It is very true and also essential that the rights of workers should be recognised and honoured but besides that this too has to be ensured that the public at large is not subjected to underhardships and sufferings today none knows which plane would leave and at what time, whether arrangements for proper food, water etc. have been made or not. Despite such a calouse attitude the opposition Members are supporting them.

I do want that all the problem should be sorted out and solved. In this context I congratulate Shri P.C. Lal for taking a form stand which was an ultimatum also. The Government behaved lenently last time and there were strikes everywhere in the country.

Now I would like to know from the hon. Minister whether Shri Mazumdar is true when he says that the Management have vidated the provisions of 1971, agreement ano they have attempted to change the shift pattern against that agreement ? If not, what steps are being taken to ensure proper facilities to the travelling pablic in this behalf ?

Also I would like to know the steps being taken to strengthen the hands of the management in running the services. I am sure the entire house would support you in taking an action which may be conducive in protecting the interest of our Common masses.

श्री राज बहादुर: मैं इन सब प्रश्नों का पहले ही उत्तर दे चुका हूं । मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इन दिनों में यात्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी । इस बारे में निश्चित नियम बनाये गये हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है । यदि वर्तमान परिस्थिति के कारण इन नियमों का पालन नहीं होता, तो हम विमानों की उड़ाने बन्द कर देंगे । यात्रियों की सुरक्षा के बारे में हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत परिसमापनाधीन कम्पनियों के औद्योगिक उपक्रमों की जांच (प्रकिया) नियम, 1973 की प्रति

औद्योगिक विकास और विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, परिसमापनाधीन कम्पनियों के औद्योगिक उपक्रमों की जांच (प्रक्रिया) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 915 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5681/73]**

आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत आयुध (दूसरा संशोधन) नियम और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 947 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5682/73] ।

(2) (एक) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन), आठवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 2015 में प्रकाशित हुए थे

(ख) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 390 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 858 में प्रकाशित हुए थे ।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1044 में प्रकाशित हुए थे ।

(ङ) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या 479 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5683/73] ।

(दो) उपर्युक्त (क) से (घ) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5684/73] ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा०आ० 526(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुआ है और जिसमें नारियल की भूसी से निकाले गये नारियल जटा रेशे को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है ।

(2) नारियल की भूसी नियंत्रण आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 527 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5685/73] ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You had just called Shri Mirdha to place papers on the table. But how can he be a Minister in the centre and also in Rajasthan. I want your directions in this regard.

Mr. Speaker : He has not gone there. How can you say like this ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It was published in Rajsthan Governments, Gazette that the was going to be appointed a Minister in Rajasthan Government.

अध्यक्ष महोदय : वह वहां के न तो सदस्य हैं और न मंत्री ही हैं । यदि वह कुछ समय तक दोनों स्थानों पर मंत्री भी रहते हैं तो भी कोई अनुचित नहीं होगा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक
Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) The permission to extend the time again and again should not be given.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I am also against extending the time. It was hoped that the committee would submit its reports at an early date. The Committee was appointed on an important matter and it should submit its report immediately.

अध्यक्ष महोदय : समिति की पहले ही 17 बैठकें हो चुकी हैं । इसकी नियुक्ति बहुत समय पूर्व की गई थी । विधेयक को 30 मई, 1972 को समिति को सौंपा गया था और यह निदेश दिया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 4 अगस्त, 1972 तक प्रस्तुत कर दे । समिति का समय पहले ही चार बार बढ़ाया जा चुका है । यह बहुत अनुचित बात है । समिति को अपना कार्य शीघ्र समाप्त करना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समिति ने आगामी बजट सत्र तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

अध्यक्ष महोदय : शायद मैं समिति के अध्यक्ष को इस बारे में राजी कर सकूं ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या : यह प्रश्न उठाया गया है कि समय बढ़ाने की अनुमति न दी जाये । इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि समिति की पिछली बैठक 22 अक्तूबर को हुई थी । सदस्य कार्य समाप्त करना चाहते थे अतः समिति की बैठक 23 और 24 तारीख को हुई लेकिन 22 तारीख की शाम को सरकारी संशोधन आ गये । अतः स्वभावतः सदस्य सरकारी संशोधनों के बारे में संशोधन देने के इच्छुक थे । इसलिये समय बढ़ाऐ जाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह गया ।

अध्यक्ष महोदय : समय चार बार बढ़ाया जा चुका है । आपके अनुरोध को स्वीकार करना बहुत कठिन है । यदि आप प्रतिवेदन बजट सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत कर दें तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा । मैं इस मामूली से संशोधन के साथ इस विषय पर विवाद समाप्त करता हूं कि समिति अपना प्रतिवेदन बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर देगी । मैं आशा करता हूं कि आप सब इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्स, पिलानी, में छात्रों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य

Statement Re: Student Strike in Birla Institute of Technology and Science, Pilani

अध्यक्ष महोदय : प्रो० यादव को बिरला इंस्टीट्यूट, पिलानी के बारे में एक वक्तव्य देना है । उक्त वक्तव्य बहुत लम्बा है । वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन, अधिनियम, 1958 के अधीन एक पंजीकृत संस्था है । यह एक 15–सदस्यीय शासी मण्डल के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में चलाई जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, बिरला शिक्षा न्यास, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । संस्थान के छात्र संघ ने 29 अक्तूबर, 1973 को 28 मांगों का एक घोषणापत्र (चार्टर) निदेशक को पेश किया था और 6 घंटों के अन्दर अन्दर उसके निश्चयात्मक उत्तर की मांग की थी । निदेशक ने मांगों पर विचार करने और उनके प्रति न्याय करने के लिये अधिक समय चाहा । इससे संतुष्ट न होकर, छात्र, उसी रात से अनिश्चित समय के लिऐ हड़ताल पर चले गऐ ।

छात्रों की मुख्य मांगों को निम्नलिखित मुख्य शीर्षकों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) संस्थान के सभी नीति निर्धारण निकायों में छात्रों द्वारा कारगर ढंग से भाग लिया जाना,

(2) अध्ययन पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, परीक्षा पद्धति और श्रेणीकरण की पद्धति में संशोधन करना,

(3) ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्कों में कमी, और

(4) विश्वविद्यालय वाह्य अतिरिक्त कार्यकलापों, खेल आदि सुविधाओं जैसी स्थानीय मांगे ।

संस्थान के प्राधिकारियों ने उपद्रव की आशंका को देखते हुए संस्थान को 30 अक्टूबर, 1973 की प्रातः से अनिश्चित काल तक के लिये बंद घोषित कर दिया तथा छात्रों से छात्रावास को खाली करके अपने अपने घरों को चले जाने के लिये कह दिया । उसी प्रातः निदेशक तथा स्टाफ के कुछ अन्य वरिष्ठ सदस्यों का घेराव किया गया और टेलीफोन के तारों, एवं पानी तथा बिजली की लाईनें काट दी गयी । वहां पर भारी पथराव किया गया तथा संपत्ति को भी कुछ क्षति पहुंचायी गयी । स्टाफ के कुछ सदस्यों को मामूली चोटें भी आईं । प्रांगण में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये संस्थान के प्राधिकारियों ने पुलिस की सहायता मांगी । राज्य के प्राधिकारियों ने इसकी व्यवस्था की ।

अगले दिन 31अक्टूबर, 1973 को छात्र प्रतिनिधियों तथा निदेशक के बीच जब बैठक हुई, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक भी एक प्रेषक के रूप में उपस्थित थे, वहां छात्रों ने आठ मांगों का एक नया ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया । मोटे तौर पर इस ज्ञापन में (क)पहले की 28 मांगों को मंजूर करना(ख)छात्रावासों को खाली करने के नोटिस को वापिस लेना(ग) किसी को दंडित अथवा उस पर अनुचित अभियोग न चलाना (घ) छात्रों के संकायावाद द्वारा छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों के नाम लिखे इस आशय के पत्र को वापस लेना कि वे (अभिभावक) इस प्रकार का आश्वासन दें कि भविष्य में छात्रों की कोई हड़ताल नहीं होगी । (ङ) संस्थान के प्रांगण से पुलिस का हटा लेना आदि मांगें शामिल थीं । छात्र इन नई मांगों को शीघ्र मनवाना चाहते थे, अन्यथा उन्होंने भूख हड़ताल करने की धमकी दी । इन मांगों को न माने जाने पर कुछ छात्रों ने 31, अक्टूबर 1973 की संध्या से भूख हड़ताल कर रखी है । फिर भी, प्रांगण में स्थिति शांत है तथा तब से उपद्रव का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग के एक अधिकारी ने इस संस्थान का 7 नवम्बर, 1973 को दौरा किया और निदेशक तथा छात्र नेताओं से काफी समय तक चर्चा की ताकि उनके बीच कोई बातचीत हो सके । विद्यार्थियों के इस आग्रह के कारण कि पूर्व शर्त के रूप मे उनकी मांगें पहले स्वीकृत की जायें , यह प्रयास सफल नहीं हो सका । छात्रों का एक दल शिक्षा मंत्री से कल दोपहर मिला और छात्रों ने बिना पूर्व शर्तों के संस्थान के प्राधिकारियों से बातचीत करने की तैयारी दिखाई । बातचीत के लिये दोनों पक्षकारों की सहायता के लिये इस मंत्रालय का एक अधिकारी आज फिर संस्थान में जा रहा हैं । ताकि उनके बीच कोई मैत्रीपूर्ण समझौता हो सके ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Government should also be asked o make statement on Shriram Institute.

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : यह संस्थान दिल्ली में स्थित है तथा इसे बन्द हुए लगभग 60 दिन हो गये ।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन के बारे में समायाचिका पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं सभा का ध्यान उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा उड़ीसा के राज्यपाल श्री बी० डी० जट्टी के आचरण के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर दिलाना चाहता हूं । उड़ीसा की भंग विधान सभा के 74 विधायकों ने लेख याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को चुनौती दी गई थी ।

उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि विपक्ष के नेता का दावा है कि उसके साथ बहुमत है तथा इस दावे की पुष्टि राज्यपाल के इस कथन से भी होती है कि विपक्ष के नेता के साथ 70 विधायक हैं । राज्यपाल यदि चाहता तो सदन में विपक्षी नेता के समर्थकों की संख्या मालूम कर सकता था । फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य पाल का इस बात से कोई संबंध नहीं कि भविष्य में सरकारें स्थाई होगी अथवा नहीं ।

ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रक्रिया लागू है उसके अनुसार सरकार उसी पार्टी की होती है जिसका बहुमत हो। किसी सरकार के गिरने के समय सबसे पहले विपक्षी दल को ही सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है। किन्तु राज्यपाल ने इन प्रक्रियों का अनुकरण नहीं किया कि :

(1) श्रीमती नन्दिनी सत्पथी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद राज्यपाल को विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये था।

(2) राज्यपाल इस बात की जांच कर सकता था कि क्या प्रगति पार्टी का बहुमत है अथवा नहीं।

(3) सरकार के स्थाई होने की जांच पार्टी के आचरण आदि को देखकर नहीं उसके सदस्यों की संख्या गिनकर करनी चाहिये।

(4) यदि प्रगति पार्टी अपना बहुमत स्थापित करने में विफल रहती तो उसकी सरकार स्वयं गिर जाती और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था।

अत: उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि उड़ीसा के राज्यपाल ने अपने उन दायित्वों एवं कृत्यों का पालन नहीं किया जो उन्हें संविधान के अन्तर्गत सौंपे गये हैं। इस प्रकार राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं उन्होंने जानबूझ कर संविधान का उल्लंघन किया है तथा राज्य को वैकल्पिक सरकार बनाने के अधिकार से वंचित किया है।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को पदच्युत कर दें।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उच्च न्यायालय के फैसले के दो भाग हैं। फैसले में कहा गया है कि राज्यपाल ने सही कदम उठाया है तथा यह कि यह कार्यवाही उसके अधिकार में थी। अत: है माननीय सदस्य ने उसका गलत अर्थ लगाया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं न्यायालय के पूरे फैसले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ फैसला कर सकता हूं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : ये टिप्पणियां न्यायाधीशों की हैं (**व्यवधान**) वे हमेशा सरकार का विरोध करते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Judgment of the High Court cantained two parts. According to one part the Report of the Governor is not justiceable, that means no action can be taken against him in the court of law. According to the second part of the judgement, the proclamation of President's Rule is also not justiceable. During the course of the judgement certain observation have been made regarding the attitude and the conducts of the Governor and it is called *obiter*.

श्री श्याम नदन मिश्र : फैसले में कहा गया है कि राज्यपाल ने परीपाटी का उल्लंघन किया है।

Shri Madhu Limaye : As I have said, certain observations called as *obiter*, were made in the court. The obiter has its own importance.

Mr. Speaker : *Obiter* means out of the way observation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the case of Dr. Sanjiwa Reddy, the then Chief Minister of Andhra Pradesh, certain structure were passed after the judgment as a result of which he had to resign.

Shri Madhu Limaye : According to the judgments of the High Court the action of the Governor and the proclamation of President's Rule are not justiceable. But at the same time High Court has passed structures against the attitude and the conduct of the Governor.

In view of these structures passed by High Court, we demand that the Present Governor of Orissa, Shri Jotti, Should be dismissed immediately to honour the constitutional conventions. It is within the rights of the President. If it is done, no Governor would take much drastic steps in future.

I would like to invite the attention of the House to the statement of the President of the Presiding Officer's conference held in 1968 to the effect that "It is not the Governor also should decide from day to day whether or not a party or a coalition of parties has a majority in the Assembly, particularly when defections are unhappily the order of the day. The proper place to decide the issue in the floor of the House."

In this context, I would like to say that Mr. Jatti was not entitled to take any decision.

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पैंतालिस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sbha then adjourned for lunch till forty-five minutes past fourteen of the clock)

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 47 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fortyseven minutes past fourteen of the clock)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker IN THE CHAIR]

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक
DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

श्री बसंत साठे (अकोला) : इस विधेयक का उद्देश्य देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है किन्तु जिस प्रकार से इस विधेयक को तैयार किया गया है उससे यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। एक ओर तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है तथा क्षेत्रीय विकास में समानता लाये जाने की बात कही जाती है किन्तु दूसरी ओर बड़े उद्योग गृहों तथा एकाधिकार गृहों को कर में छूट दिये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यदि हम यह स्वीकार करें कि हमारे देश में मिलीजुली अर्थव्यवस्था रहे तो हमें पूंजीवादी वर्ग को सहन करना पड़ेगा।

इस विधेयक की प्रस्तावित धारा 80 एच० एच० के अनुसार सरकार का विचार है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों की आय और लाभ का निर्धारण करते समय वास्तविक लाभ में से 20 प्रतिशत कम करके उस पर कर का निर्धारण किया जाये।

विधान बनाये जाते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि जो भी कानून बनाया जाये वह मूल धारा में निहित होना चाहिये ताकि परन्तुक लगाकर उसकी व्यवस्था की जाये। आजकल बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों में उद्योग केन्द्रित होते जा रहे हैं जिसके कारण इन महानगरों में अन्य अनेक समस्यायें उत्पन्न होती जा रही हैं। इसी धारा की उप-धारा (2) में निहित उपबन्धों के अनुसार किसी भी उद्योग को पिछड़े क्षेत्र में स्थानांतरित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। कोई भी उद्योगपति अपने उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिये तैयार नहीं होगा। इसका कारण यह है कि विधेयक दोषपूर्ण है। इस प्रकार सरकार देश की जनता को अंधकार में रखे हुए है कि वह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अनेक उपाय कर रही है।

अब मैं आठवीं अनुसूची का उल्लेख करना चाहता हूं। इस अनुसूची में पिछड़े क्षेत्रों के नाम हैं तथा वित्त मंत्री ने बताया था कि इनका चयन योजना आयोग के निर्णय के आधार पर किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों को विभिन्न कसौटी के आधार पर सुविधायें देने का निर्णय किया था क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यक ढांचा हो सकता है और अन्यों में नहीं। यदि सभी प्रकार के क्षेत्रों को समान प्रकार की सुविधायें दी गईं तो कई क्षेत्रों को दी गई बहुत सी सुविधायें इसलिये अनुपयोगी होंगी कि वहां की समस्याएं तथा स्थितियां भिन्न हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस आठवीं अनुसूची को पूर्ण रूप से बदला जाये क्योंकि इस प्रकार से कोई विकास नहीं किया जा सकता।

जहां तक नौवीं अनुसूची का संबंध है इसमें जिन उद्योगों के नाम हैं वे लोहे, इस्पात आदि से संबंधित हैं अथवा इसी प्रकार के उपकरणों के उत्पादन से संबंधित हैं जो सही अर्थों में एकाधिकार गृहों के उद्योग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार लघु उद्योगों को क्या और किस प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहती है?

मेरा अनुरोध है कि इस अनुसूची में पूरी तरह संशोधन किया जाना चाहिये । श्री साल्वे की यह मांग न्यायसंगत है । कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये । इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

मंत्री महोदय को इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । वित्त मंत्री ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के कदम को क्रांतिकारी कदम बताया था । हम भी चाहते हैं कि इस कदम के वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके । यह दलगत समस्या नहीं है । अतः सरकार को इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणक) : गत 21 वर्षों में पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि सभा में इतनीशीघ्र दो बार कर संबंधी कानूनों पर चर्चा की गई हो । कर संबंधी कानून बड़े जटिल हो गये हैं तथा भ्रामक हैं । मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं फिर भी मैं विशेषज्ञों की राय का उल्लेख करना चाहता हूं । विधि आयोग ने अपने 12वें प्रतिवेदन में कहा है कि भारतीय कानूनों में कर संबंधी कानूनों को छोड़कर अन्य कोई कानून इतना जटिल नहीं है । आयोग ने यह भी टिप्पणी की है कि कानून में जल्दी-जल्दी संशोधन किया जाना अहितकर है । सदन को ज्ञात होगा कि उस विधेयक को श्री एस० सी० सीतलवाद, श्री एम० सी० चागला और श्री वांचू जैसे कई विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था । विधेयक के प्रारूप को प्रवर समिति को भी सौंपा गया था । तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि इस कानून में आगामी पांच वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा । अतः 1961 के अधिनियम के बारे में यह धारणा उत्पन्न की गई थी । इस अधिनियम को अन्य देशों के लिये माडल अधिनियम बताया गया था किन्तु स्वयं हमारे देश में 1967 तक 400 संशोधनों को पुरःस्थापित किया गया है । श्री साल्वे ने कल बताया कि 900 संशोधन लाये जा चुके हैं । मूल अधिनियम में धारा 80 अकेली थी किन्तु अब उसके साथ 80क, 80 ख, 80ग, 80घ, 80ङ जोड़ दी गई हैं । इसी प्रकार 280 धारा है । इस अधिनियम में इतने संशोधन किये जा चुके हैं कि उसे पहचाना ही नहीं जाता ।

मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया था । मैं अब भी चाहता हूं कि इस विधेयक को उसी प्रवर समिति को सौंपा जाये जो कराधान कानून (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही है । मैं अन्य दलों के सदस्यों को भी इस समिति में सम्मिलित करना चाहता हूं किन्तु मैंने उनके नामों का इसलिये उल्लेख नहीं किया था कि उन्हें पहले अपने नेताओं से अनुमति लेनी होगी । कल वित्त मंत्री ने इस ओर संकेत किया था कि यदि विधेयक को जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया, प्रवर समिति को सौंपा गया होता तो भी उसमें कोई अन्तर नहीं आता । मेरा निवेदन है कि यदि सरकार को ऐसी धारणा है कि प्रवर समिति से कोई सहायता नहीं मिलती तो भविष्य में सरकार कोई प्रवर समिति नियुक्त न करे ।

सरकार के पास बहुमत है तथा यदि वह चाहे तो मतदान लेकर किसी भी कानून को पारित करा सकती है । मूल बात यह है कि तीन घंटे में सभी बातों पर विचार नहीं किया जा सकता ।

प्रशासनिक सुधार आयोग का कहना है कि यदि सरकार भविष्य में आयकर अधिनियम में कोई संशोधन करना चाहे तो उसे पहले संशोधन करने की आवश्यकता तथा उसके पूर्ण प्रभाव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये । केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बचने के लिये ही संशोधन नहीं किये जाने चाहियें । जब सरकार इसके उपबन्धों को, जो कुछ रियायत देने के बारे में है पहली अप्रैल 1974 से लागू करना चाहती है तो वह कुछ दिन प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकती ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण 'पेनेल्टी' के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के बारे में वित्त मंत्री का कथन सही है । किन्तु प्रश्न यह है कि उक्त निर्णय 29 जनवरी 1973 में दिया गया । कराधान कानून (संशोधन) विधेयक मई, 1973 में पुरःस्थापित किया गया । यदि विभाग इस समस्या को इतनी अविलम्बनीय समझता था तो उसने मई में लाये गये विधेयक में इस उपबन्ध को सम्मिलित क्यों नहीं किया । उसने अगस्त तक क्यों प्रतीक्षा की ?

यह विभाग उपबन्धों को अधिक से अधिक भ्रामक बनाता जा रहा है । वित्त मंत्री ने अपने लिखित वक्तव्य में जो तर्क दिया है वह तर्क उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया ।

उनका बयान गलत तरह से तैयार किया गया है । सभा में जो व्याख्या दी जा रही है यह उच्चतम न्यायालय की व्याख्या से भिन्न है । अतः यह विधान जल्दबाजी से पारित किया जा रहा है ।

धारा 21 के अनुसार अदायगी तीन किस्तों में की जा सकती है और डिमांड नोटिस 1 जून से पहले भेजा जाना चाहिये । अतः यदि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाये तो इससे स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा ।

विकास छूट की व्याख्या आयकर अधिनियम की धारा 33 में की गयी है। 1971 में श्री चव्हाण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 31 मई, 1974 के बाद अर्जित जहाजों अथवा लगायी जाने वाली मशीनरियों पर कोई विकास छूट नहीं दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्तव्य के बाद सरकार ने इस दिशा में क्या किया।

नवीं अनुसूचि में सामान्य रूप से वस्तुओं का उल्लेख करने से बड़े उद्योगपति हमारी कल्पना से कहीं अधिक छूट प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान अनुसूचि में दर्ज "औद्योगिक और कृषि मशीनों" में सब प्रकार की औद्योगिक मशीनें आ जायेंगी। परन्तु पांचवीं अनुसूची में औद्योगिक मशीनों समेत बहुत अन्य वस्तुओं की व्याख्या की गयी है। इसलिय अब भी यदि सरकार इसे प्रवर समिति को सौंप दे तो अच्छा है।

श्री एस एम० पटेल (ढ़ढुका) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत कम खंड होने पर भी उनका प्रभाव बड़ा गहरा है और उससे कराधान विधि संशोधन विधेयक संबंधी प्रवर समिति के कार्य में रुकावट आती है जो एक बड़ा व्यापक विधेयक है, ऐसी दशा में इस समय एक विधेयक लाना तभी न्यायोचित हो सकता है जबकि इसके लिये पर्याप्त प्रमाण हो कि यदि यह लागू नहीं किया गया तो सरकार को अत्यधिक हानि होगी। इस प्रकार के विचार के लिये कोई आधार नहीं है। कर संबंधी मामलों में कम समय लेने के बजाये अधिक समय लगाना अच्छा है। ऐसे मामले हर हालत में प्रवर समिति को सौंपे जाने चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक धारा पर पूरा पूरा विचार किया जायेगा। प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने के पश्चात आने वाला विधेयक निश्चय ही सुधरा हुआ विधेयक होगा।

विधेयक के खंड भी दोषपूर्ण हैं। यदि इन पर शीघ्रता से विचार किया गया तो इसमें निकट भविष्य में ही संशोधन करना अनिवार्य हो जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सराहनीय है पर लागू की जाने वाली धाराओं से उतना लाभ नहीं होगा जिस के लिये उन्हें लाया गया है। एक कराधान विधेयक संबंधी प्रवर समिति में काम करने के पश्चात मेरा यह विचार बना है कि भारत की कराधान विधियां अत्यन्त पेचीदा हैं। सामर्थ्य वाले लोग तो इस विधान के उपबन्धों से बचने के लिये रास्ते ढूंढ निकालेंगे पर कुछ लोगों पर अनजाने में ही इनका प्रभाव होगा।

खंड 13 का उपबंध त्रुटिपूर्ण है। बिना किसी अपवाद के इसे बीत चुकी तिथि से लागू किया जाना चाहिये। यह पता नहीं चलता कि इस छूट से किन लोगों को लाभ होगा। एक व्यापक विधेयक के बजाय सरकार इस लघु विधेयक को क्यों ला रही है

इस विधेयक के खंड 3 और 4 में 20 प्रतिशत मूल्य ह्रास भत्ता देने के बारे में हैं। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि यदि पहले वर्ष में उद्योग को हानि होती है और दूसरे वर्ष और उसके बाद लाभ होता है तो उसे मूल्य ह्रास भत्ता दिया जायेगा। यदि यह हानि दो वर्ष तक लगातार होती है तो क्या उसे तीसरे वर्ष के लाभ में से 20 प्रतिशत घटाने की अनुमति होगी ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

नवीं अनुसूचि में कुछ उद्योगों को शामिल किया गया है। क्या वास्तव में उन उद्योगों को मूल्य ह्रास की भत्ते की आवश्यकता है ? क्या जैन, भरत राम, टाटा, लालचन्द किलाचन्द आदि बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस भत्ते की आवश्यकता है ? यह पता नहीं कि उद्योगों की इस सूची का क्या आधार है। ये उद्योग एकाधिकारी उद्योग हैं और यदि ऐसा है तो उन्हें मूल्य ह्रास की छूट क्यों दी जा रही है। अतः नवीं अनुसूची को हटा दिया जाये। यह छूट ऐसे उद्योगों को मिलनी चाहिये जो देश के पिछड़े क्षेत्रों में जा कर उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार हों।

पिछड़े क्षेत्रों संबंधी खंड में दी गई सूची बड़ी दोषपूर्ण है। इस पूरी सूची का संशोधन किया जाना चाहिये क्योंकि उसमें वर्णित जिले वास्तव में है ही नहीं।

फिर लाभ में से 20 प्रतिशत की कमी की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की कटौती का निर्णय पांच वर्ष तक उनकी मदद करने के लिये किस आधार पर किया है। यह सुविधा तभी मिलनी चाहिये यदि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगान के लिये तैयार हों।

अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना आवश्यक है।

इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये। प्रस्तावित विधेयक के खण्डों और संशोधनों से उसके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति के पास इस विधेयक को भेजते समय यह प्रयत्न किया जाये कि विधेयक को व्यापक और कर संबंधी विधान को सरल बना कर सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये।

श्री एस० आर० रामाणी (शोलापुर) : मेरे कई मित्रों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इस से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी । उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये, ताकि खण्डों में आवश्यक संशोधन किया जा सके जिससे सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाये । मैं भी इस बात से सहमत हूं तथा सरकार से इसे प्रवर समिति के पास भेजने की प्रार्थना करता हूं ।

वित्त मंत्री का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि चुने हुए तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये । इस विधेयक का यह भी उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के विचार से अनुसंधान तथा विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाये । ये सब बड़े ही सराहनीय उद्देश्य हैं । ऐसी रियायतें बहुत पहले से दी जा रही थी । इस विधेयक में एक और रियायत मूल्य ह्रास की दी जा रही है, किन्तु अब तक यह कर संबंधी रियायत विकास छूट के रूप में उपलब्ध है । इस विकास छूट ने देश में उद्योगों की स्थापना में सहायता की है इसलिये इन सभी रियायतों का स्वागत है ।

दुर्भाग्यवश हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ नहीं रहा है । इसके फलस्वरूप अनेक वस्तुओं की कमी हो गयी है । (व्यवधान) हमें यह देखना होगा कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये क्या किया जाना चाहिये । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि उस के खण्डों में उपयुक्त संशोधन किये जा सकें । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रियायतों से औद्योगिक गतिविधि में कुछ सुधार होगा । यद्यपि यह रियायतें गत अनेक वर्षों से लागू हैं तथापि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं । केवल रियायतें ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु, सुविधायें भी समानरूप से महत्वपूर्ण हैं । बिना उचित संचार व्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग कैसे स्थापित हो सकते हैं । जब तक इसके लिये मूलभूत ढ़ांचा स्थापित नहीं किया जाता, तब तक ये रियायतें केवल कागज पर ही रहेंगी ।

हमारी वित्तीय संस्थाओं के ऋण देने संबंधी नियम भी बहुत कड़े हैं । उनसे ऋण प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है । एक सामान्य तथा मध्यम आकार के उद्यमी द्वारा ऋण प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो गया है । इनके नियमों को उदार बनाया जाना चाहिये ताकि उद्योगों को स्थापित करने के सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके । और सभी प्रकार के उद्योगों द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं का लाभ उठाया जा सके ।

श्री आर० एन० गोयन्का :(निदिशा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जुर्माना उस राशि पर लगेगा जो देय होगी न कि निर्धारित की गयी राशि पर । परन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत तो निर्धारित राशि पर ही दंड देना पड़ेगा न कि देय राशि पर । सरकार न केवल समूची राशि पर दण्ड लगाने का अपितु, इसे 1962 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का भी प्रयास कर रही है । निर्धारित राशि पर कर लगाने और इसे 1962 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का क्या औचित्य है ? इसके साथ तीसरी बात यह भी है कि खण्ड 22 में व्यवस्था की गयी है कि यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो न्यायालय में जायेगा क्योंकि जहां तक करदाता को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल जाती है, तो उसे विधेयक के बदल जाने पर भी यह धनराशि देने के लिये नहीं कहा जायेगा । मैं यह कहता हूं कि इस संबंध में 'करदाता' शब्द की परिधि का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि उच्चतम न्यायालय में जाने वालों को भी उसके अन्तर्गत ले लिया जाये । उन्हें बाहर रखने का कोई भी औचित्य नहीं है ।

ऐसे व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये जो यह राशि पहले ही दे चुका हो, परन्तु आय संबंध विवरण प्रस्तुत नहीं किया हो । वित्त मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाये ।

Shri Madhu Limaya (Banka) : This Bill has got no limited time. I agree that no decision should be taken in haste in this regard.

After nationalisation of Banks, it has become a usual practice that nothing is referred to the select committee. If the main purpose of the Bill is to accelerate the industrial development of backward areas, it is not going to be achieved through this Bill. I would strongly urge upon the Government to refer this Bill to a Select Committee.

I want to draw your attention to the list of backward districts which has been appended to this Bill. Colaba district of Maharashtra is also included in the list of backward districts. Although major part of Colaba district is backward but a part of this district comes under twin city project. It would mean that most of the industries would be attracted towards that area and the land there would be sold to the industrialists at very high prices. In the selling of this land, so many unfair methods would be adopted. Therefore, I have got serious doubt as to the intentives of this Bill. Hence I suggest that the list of the backward district should be revised.

Under the provisions of the Bill, the Board has been empowered to frame rules which would have retrospective effect. On the one hand it is said that it would not go against any assessee, but on the other hand the rules, which would be framed, would go against him. So, such kind of change should not be there.

To day conditions are such that nothing is done without adopting credit and fiscal measures. Therefore, I do not believe that mere credit and fiscal measures would not have any impact on the industrial climate of the country. The infrastructure should be provided in the backward areas.

I would request the hon. Minister to reconsider it and agree to it as it is the opinion of the whole House.

श्री वयालार रवि (चिरायेंकील): मैं वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजें

इस विधेयक के अन्तर्गत न केवल भारतीय एकाधिकारियों को ही अपितु विदेशी तकनीशनों को भी खुला निमंत्रण दिया गया है और इसके साथ ही विदेशी सहयोगियों को भी बड़ी रियायतें दी गयी हैं। इस प्रकार यहां विदेशी कम्पनियों में कार्य कर रहे तथा विदेशी धन को भारत लाने वाले लोगों को बड़ी रियायतें तथा सुविधायें दी जा रही हैं। मुझे भय है कि इस से बड़ी विदेशी कम्पनियों को खुला निमंत्रण मिल जायेगा।

उत्पादन के संबंध में वित्त मंत्री महोदय मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि केवल उत्पादन से ही न तो मूल्य कम होंगे और न ही मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोका जा सकेगा। इन समस्याओं को सुलझाने के लिये कोई अधिक वैज्ञानिक आयोजन और दृष्टिकोण अपनाना होगा।

9वीं अनुसूची में उर्वरक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। इसे इसमें शामिल किया जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री महोदय को इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का अपील करता हूं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै): मैं भी वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। आठवीं अनुसूची के बारे में पूनर्विचार किया जाना चाहिये। 9वीं अनुसूची में हमें निश्चित रूप से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगों को शामिल करना चाहिये जिस से हमारे देश के गरीब लोगों को लाभ पहुंच सके।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मेरा सुझाव है कि न केवल इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये अपितु कराधान के समूचे उद्देश्य की जो सरकार के विचाराधीन है, सावधानीपूर्वक तथा पूरी तरह जांच की जाये।

पता नहीं क्यों इस विधेयक को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक से पृथक कर दिया गया है। यदि इसका केवल मात्र कारण यह है कि वित्त मंत्री महोदय चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को स्थापित किया जाये, तो इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्र काफी समय से पिछड़े रहे हैं। यदि सरकार ने इस विशेष विधेयक को समूचे कराधान विधेयक के साथ जोड़ा होता, तो कोई भी हानि न हुई होती।

वांचू समिति ने बहुत ही कुशलता से इस मामले पर विचार किया था। यदि आप एक जटिल स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक मामलों का समाधान चाहते हैं तो कराधान संबंधी कानून को बहुत सरल बनाने की आशा नहीं की जा सकती।

इन उपबन्धों को वांचू समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं किया गया है। इनके द्वारा हमें आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों को, जिनको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इसलिये इतने महत्वपूर्ण विधेयक का, जो करों संबंधी कानूनों के आधारभूत प्रश्नों से संबंधित है निपटान इतनी शीघ्रता से इस संक्षिप्त वाद-विवाद के द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

पिछड़े जिलों की समस्याओं के संबंध में मुझे आश्चर्य है कि इस सूची को कैसे तैयार किया गया। संभवत: मंत्री महोदय कह सकते हैं कि योजना आयोग ने यह सूची दी है। किन्तु ऐसी सूची योजना आयोग कैसे बना सकता है। ऐसा लगता हैं कि इस सूची को आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित न करके राजनीतिक तथा निर्वाचन क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखकर तैयार किया गया है

9वीं अनुसूची में वस्तुओं की एक लम्बी सूची दी गयी है। उदाहरणार्थ विधेयक में लोहा, इस्पात, तापीय एवं जलविद्युत बिजली उत्पादन के उपकरणों, मशीनी औजारों, विमानों, टायरों और ट्यूबों का उल्लेख किया गया है।

पिछड़े जिलों में पोत तथा विमान संबंधी उद्योगों का क्या काम है ? ऐसा लगता है एक बड़े क्षेत्र के अन्तर्गत सब कुछ जोड़ दिया गया है ।

इस विधेयक के गलत मसौदे के कारण इसके पीछे गलत आर्थिक विचारों के कारण मसौदे की अनावश्यक जटिलताओं के कारण और इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि कराधान कानून (संशोधन) विधेयक पहले ही प्रवर समिति के सम्मुख है इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये । प्रवर समिति का प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात हमें इस बात का मूल्यांकन करने का बेहतर अवसर मिलेगा कि क्या इन बातों से वास्तव में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय हो पायेगा ।

वित्त मंत्री महोदय इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें ताकि यह विधान यथासंभव कम जटिल हो जाये ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण): मैं इस वाद विवाद का विस्तृत उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव को स्वीकार कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दियां जाये ।

अतः मैं एक प्रस्ताव कर रहा हूं कि 'प्रत्यक्ष कर (संशोधन)' विधेयक, 1973, पर और आगे वाद-विवाद को आगामी सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाये ।

मैं इसलिये इस बात पर जोर दे रहा था कि इस विधेयक को इस सत्र के दौरान पारित कर दिया जाये ताकि इस के कुछ उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1974 से लागू किया जा सके । क्योंकि बजट सत्र में विधायी कार्य के लिये समय निकालना कठिन होता है ।

मैं यह मानकर चल रहा हूं कि सदन इस बात से सहमत होगा कि विधेयक अगले सत्र के पहले सप्ताह में पारित किया जाये । सदन प्रवर समिति से इस बात का अनुरोध करेगा कि अगले सत्र के आरम्भ होने से पहले रिपोर्ट पेश कर दी जाये ।

मैं यह विधेयक प्रवर समिति को भेजने के लिये इसलिये सहमत नहीं हुआ हूं कि अधिकांश आलोचना से मैं सहमत हूं । अगर सदन इस पर फिर से विचार करना चाहेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

यह आलोचना की गई है कि यह एकाधिकार गृहों के लिये है । उद्योग प्रारम्भ करने की मंजूरी तो सरकार एकाधिकार आयोग की सलाह पर देती है । उद्योग की स्थापना हो जाने के बाद ही उसे इस विधेयक के अनुसार सुविधायें प्राप्त होंगी । वह एकाधिकार गृह है अथवा नहीं, यह तो बिल्कुल अलग बात है ।

पिछड़े क्षेत्रों के बारे में एक वाजिव आलोचना की गई है । श्री लिमये ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । पिछड़े जिलों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया गया है । योजना आयोग ने कहा है कि अमुक क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । इसी आधार पर वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर ऋण सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं ।

श्री वसन्त साठे : यहां हम केवल औद्योगिक विकास के बारे में विचार कर रहे हैं और जब तक मूल ढांचे संबंधी सुविधायें ही नहीं होंगी, उद्योगों का विकास कैसे हो सकता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं । पिछड़े क्षेत्रों की विचारधारा का विकास इसलिये किया गया है कि उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये कुछ विशेष रियायतें और सुविधायें प्रदान की जायें पिछड़े क्षेत्रों की विचार धारा योजना के लिये बनाई गई है और इसलिये यह सभी प्रयोजनों के लिये लागू होती है ।

पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करते समय क्षेत्र का शहरीकरण, क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार, मूल सुविधाओं और संचार संबंधी सभी बातों को योजना आयोग ध्यान में रखता है । प्रवर समिति योजना आयोग की इस मामले में सलाह ले सकती है ।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये तैयार हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अधिकांश आलोचनात्मक टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है । मैं सभी विचारों को सुनने के लिये तैयार हूं । मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1973 पर और आगे वाद-विवाद अगले सप्ताह तक के लिये स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन विधेयक
THE FOREIGN AWARDS (RECOGNITION AND ENFORCEMENT) AMENDMENT BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना है ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि हमारा यह इरादा है कि विदेशी विवाचन पंचाट, 1958 की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद 2 को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये ।

विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 संसद द्वारा इसलिये अधिनियमित किया गया था कि विदेशी विवाचन पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी 10 जून, 1958 को हुए अभिसमय के कार्यों को प्रभावी रूप दिया जा सके । इसका उद्देश्य यह था कि स्वेच्छा से किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिलसिले में उत्पन्न विवादों को शीघ्र निपटाया जा सके ।

अनुच्छेद 2 के पैरा 3 से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के लिये सौंपा जा सकने वाला यदि कोई मामला अनुबन्धित राज्य के न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो वह अनुबन्धित दलों के मामले को मध्यस्थता के लिये सौंप देगा । भारत सरकार ने अभिसमय की पूरी तरह पुष्टि करके अभिसमय के अनुच्छेद 2 एवं अन्य अनुच्छेदों को प्रभावी रूप देने के लिये 1961 का अधिनियम लागू कर दिया । मगर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि अधिनियम की धारा 3 द्वारा अभिसमय के अनुच्छेद 2 को प्रभावी रूप दिया भी जा सका है या नहीं । यह विवाद इसलिये पैदा हुआ है कि इस धारा 3 में "सब-मिशन" शब्द का प्रयोग हुआ है । उच्चतम न्यायालय ने धारा 3 की यह व्याख्या की कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामले को लाते जाते समय यदि मामला मध्यस्थता के लिये रखा हुआ हो तो न्यायालय की कार्यवाही रुक सकती है । उच्चतम-न्यायालय ने विवाचन संबंधी खण्ड को समझौते में शामिल किये जाने को इस बात के लिये पर्याप्त नहीं समझा कि न्यायालय की कार्यवाही रोकी जाये ।

मगर यह एक विचारणीय बात है कि न्यायालय के बहुमत-निर्णय ने भी इस बारे में कोई शंका नहीं उठाई है कि न्यूयार्क में 10 जून, 1958 को विदेशी विवाचन पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी हुए अभिसमय को प्रभावी रूप देने के लिये 1961 का अधिनियम लागू किया गया ।

वर्तमान संशोधन का प्रभाव यह होगा कि मध्यस्थता संबंधी समझौता होने मात्र से न्यायालय की कार्यवाही रुक सकेगी । यह संशोधन सभी कानूनी कार्यवाहियों पर लागू होगा जो अब चलायी जायेंगी (इसमें वे मामले भी शामिल होंगे जिनके बारे में कोई विवाद न उठा हो और वे भी, जिनके बारे में कानूनी कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है, यद्यपि विवाद उत्पन्न हो गया है) चाहे संशोधन के पूर्व भी इन कार्यवाहियों को आरम्भ करने के लिये आरम्भ रहा हो अथवा मध्यस्थता के खण्ड सहित समझौता संशोधन की तारीख से पहले या बाद में किया गया हो ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : इस विधेयक में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है । यह अभिसयम कभी-कभी हमारे देश की जनता के हितों के विरुद्ध भी जा सकता है और इससे हमारे देश की जनता के हित कमजोर पड़ सकते हैं । ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जबकि विकसित देशों के लोगों ने इस प्रकार के अभिसमयों से अधिक लाभ उठाया है । इन उपायों को अमल में लाने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस अभिसमय को स्वीकार कर लेने के बाद भारत के किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचने पाये । इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : विदेशी विवाचन पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी अभिसमय 1958 में पारित हुआ था, जिसे न्यूयार्क अभिसमय के नाम से जाना जाता है । अभिसमय के अनुच्छेदों को लागू करने के लिये 1961 में संसद द्वारा अधिनियम लागू किया गया ।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मंत्री महोदय के कथन के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा "सबमिशन" शब्द की भिन्न व्याख्या करने के कारण यह संशोधन विधेयक पेश करने की आवश्यकता पड़ी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कब अपना निर्णय दिया गया और यह विधेयक कब पेश किया गया और अगर इसमें विलम्ब हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं ?

हमारे देश के अनेक संगठन और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कारखाने मशीनों और फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिये पश्चिमी देशों की संस्थाओं से वाणिज्यिक करार करते हैं। उन देशों की संस्थाओं द्वारा सप्लाई की गई कुछ मशीनें दोषपूर्ण पाई गईं और उन्हें सप्लाई आर्डर में निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुरूप नहीं पाया गया। इस प्रकार की स्थितियों ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों के समक्ष कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि सरकारी क्षेत्र के एककों ने विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम का लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन के लिये एक जर्मन फर्म द्वारा घटिया किस्म के बायलर और फालतू पुर्जों की सप्लाई की गई। इसी प्रकार रूरकेला इस्पात संयंत्र आर्थिक रूप से सदैव संकट ग्रस्त रहा है। माडर्न बेकरीज को इटली की एक फर्म द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी भी विशिष्ट विवरणों के अनुरूप नहीं थी। खेद की बात है कि इन मामलों में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम से भारतीय पार्टियां लाभ उठायें और विदेशी एकाधिकारी कम्पनियां करार में उल्लिखित विशिष्ट विवरणों का उल्लंघन करके घटिया किस्म की मशीनरी सप्लाई करके बचने न पायें।

Shri Huckam Chand Kachwai (Morena) : I welcome the Bill brought forward by the honourable Minister.

The people in our country import certain machinery from foreign countries, but they have many defects. The machinery is not supplied according to the specifications. These matters remain pending for quite a long time. We should certainly take steps to get compensation.

Sometimes the prices of the machinery is increased and as a result, we have to spend more foreign exchange. We should take steps to avert such eventualities.

This Bill should have been brought farward long ago. I do not know why the Government has taken so much time to introduce this Bill.

I do not know if any body would be opposed to this Bill. I support the Bill.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक छोटा सा विधायी उपाय है परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन विश्वव्यापी प्रभाव रखता है। जब तक मूल अधिनियम के उपबन्धों को अच्छी तरह समझकर लागू नहीं किया जाता तब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद और सफल उपक्रम नहीं बनाया जा सकता।

यह संदेहास्पद ही है कि हमारे देश के सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को इस बात की जानकारी भी है कि 1958 में हुए विदेशी पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी न्यूयार्क अभिसमय इस अभिसमय को मंजूर करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम और जब विदेशी फर्में संविदा संबंधी अपने दायित्वों को पूरा न करें तब इस अधिनियम के उपबन्धों का किस प्रकार प्रयोग करें। इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनाश की ओर अग्रसर होते रहेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस अधिनियम को पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाये ताकि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हित सुरक्षित रहें। पूंजीवादी धनी देशों के विदेशी संभरणकर्ताओं को हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का शोषण नहीं करने दिया जाना चाहिये। सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट न दिखाये।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री के० नारायण राव (बोबिली): मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि जैनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 की विषय-वस्तु और उसके अर्थ के बारे में समझौता करने वालों का क्या विचार था। यदि यह संशोधन अन्य पक्षों की सहमति के अनुरूप होता है, तब तो ठीक है, अन्यथा यह कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अनुरूप नहीं होगा।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा): काफी समय से हमारी सरकार का अन्य सरकारों से और हमारे देश की प्राइवेट पार्टियों का अन्य देशों की प्राइवेट पार्टियों के साथ करार होते रहे हैं। कभी कभी इस बारे में विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। भारतीय न्यायालयों अथवा देश के बाहर के न्यायालयों में इस बारे में निर्णय भी दिये जाते हैं। प्रत्येक देश के अपने अलग कानून होते है। कभी कभी इस बात पर विवाद छिड़ जाता है कि करार किस देश के कानूनों पर आधारित हों।

विधेयक का स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान्य और स्वीकृत मानकों को अधिनियमित करना क्या देश के बेहतर हितों में नहीं होगा। आज समाजवादी और पूंजीवादी देशों में माल, सेवाओं का काफी आदान-प्रदान होता है और कुछ परियोजनाओं में सहयोग भी होता है। इस बारे में हमने एक अच्छी शुरूआत की है। जिस प्रकार के विकास की गति का विकास हम करना चाहते हैं, उसमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने के इस प्रकार के पुराने तरीकों के लिये कोई स्थान नहीं है। न्यायालयों द्वारा जो पंचाट घोषित किये जाते हैं, उन्हें लागू करने में परस्परता का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिये।

व्यक्तियों और निगमों के बीच तकनीकी सेवायें प्राप्त करने के बारे में सदैव यह विवाद उत्पन्न हो जाता है कि उन करारों के बारे में भारत सरकार के कानून लागू होंगे अथवा उन देशों के कानून लागू होंगे जहां के वे व्यक्ति अथवा निगम हैं। इस प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिये समान प्रथायें अपनाई जानी चाहियें।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित सा है। आज के संसार में हमें अन्य देशों के साथ समझौते करने ही पड़ते हैं। अभिसमय की धारा 3 अथवा अनुच्छेद 2 में व्यवस्था है कि जब भी एक देश का कोई व्यक्ति, कम्पनी अथवा निगम किसी अन्य देश के किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा निगम के साथ समझौता करेगा तो यह अभिसमय लागू होगा। यह भी निश्चित है कि यदि कोई मामला विशिष्ट पंचाट को सौंपने योग्य हो तो इसे किसी विशेष न्यायालय में नहीं ले जाया जाना चाहिये।

अब विवाद यह है कि किसी विशिष्ट मामले को किस देश के न्यायालय में ले जाया जाये। यदि इस बारे में हम उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानते हैं तो यह अभिसमय लागू नहीं होता। अतः हमारे सामने कुछ परिहार्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इन कठिनाइयों से बचने के लिये यह संशोधन अधिनियम सदन के समक्ष लाया गया है।

सदस्यों ने आयातित अथवा निर्यातित माल के स्तर के संबंध में कहा है कि ये निर्धारित स्तर का होना चाहिये इन सुझावों पर विचार किया जायेगा। कुछ अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत इस बात पर पहले ही विचार किया जाता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खंड 2, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिने गए :

Clause 2, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

स्टेट बैंक विधि (संशोधन) विधेयक
STATE BANK LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इसके सहायक बैंकों का प्रबंध करने वाले दो अधिनियमों के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिये लाया गया है ।

हमने 14 राष्ट्रीकृत बैंकों में प्रत्येक के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों को, एक कर्मचारियों में से और दूसरा अधिकारियों में से, नियुक्त किया है । हमारा विचार स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और इसके सात समनुषंगी बैंकों के निदेशक मंडल में भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व देने का है । इन कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति के लिये भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारी निदेशक नियुक्त किये गये थे । स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके सहायक बैंकों के नियमों में उक्त प्रक्रिया को स्थान देने के लिये हमारा विचार अधिनियम में संशोधन करने का है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन स्टेट बैंक आफ इंडिया के कार्य पर लगाये गये सांविधीक प्रतिबन्धों को समाप्त करने के बारे में है । इम्पीरियल बैंक का उत्तराधिकारी होने के नाते स्टेट बैंक पर ये प्रतिबन्ध लगाये गये थे । देश के वाणीज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इन प्रतिबन्धों में छूट देने की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी बैंकिग आयोग ने सिफारिश की है कि स्टेट बैंक को भी वे सभी कार्य करने का अधिकार होना चाहिये जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों स्टेट बैंक के सहायक बकों और देश के अन्य वाणीज्यिक बैंकों को है । तदनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 33 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रक्रिया संबंधी मामली संशोधन हैं जिनका ब्यौरा खण्डों की टिप्पणियों में दिया गया है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : From to-day 90 per cent farmers of the country have to take loans from money lenders, with the result that they are not able to pay full attention towards Agriculture. It has been established in reports that villages are getting 3.5 per cent of loans where as 14 cities have got 60 per cent loans from figures about the working of the State Bank of India reveal that 36 per cent of the total loans have gone to the Farmers. But this two has gone to big formers and not to marginal formers or Agricultural labour.

A number of new Branches have been opened after the Nationalistion of Banks. But work in these Banks is deteriorating day by day. Corruption is rampant in the Banks and farmers are not getting loans on time. Banks have become properly of the society but their policies have not changed. These policies still favour the capitalist class. In fact it has become more difficult for a farmer to obtain loan after Nationalisation of Banks.

These are seven subsidiary Banks of State Bank, which has a strict control over their activities, with the result that their progress has been blocked.

It had been mentioned by the Government that representation would be given to workers and officers in the Board of Management. But no such Law has so far been made. Persons who have been taken in the Management cannot be true representatives of workers. Recognised Employees unions of these Banks should be asked to elect their representatives to represent them in the Management.

There should be chartered Accountants in the State Bank to audit the Accounts. So that there could be improvement in its working. Moreover, the functioning and policies of the Banks should be much as to fulfill the expectations aroused by the Nationalisation of Banks, Weeker Sections of the society, Marginal farmers and small farmers should get loans on easy terms. If much improvements are not brought about, we would not be able to achieve improvements in the field of Agriculture.

Shri R.V. Bade (Khargond) : I welcome the Bill. It is good that representation is being given to workers and officers in the Management. My suggestion is that these two directors should be elected representatives and not nominated ones.

Nationalisation of Banks has not served the masses and they have remained class Banks. as before. Sanctioning of loans takes long time and it creates a lot of difficulties for farmers. Banks should provide information to farmers about availability of implements.

Banks should give loans to Agricultural sector as well as small industries. Today merely 2.3 per cent loans are being provided to Agricultural sector. Procedure for taking loans should be simplified. Some time limit should be prescribed for the disposal of loan applications. Banks can be of use to the masses only when they provide loans to farmers and small scale industrialists.

With these words, I support the Bill.

Shri Mool Chand Daga (Pali) : I welcome this Bill. This is good that representation is provided to the workers in the management but powers of the Directors should also have been defined. Unless this is done, mere appointment would not serve any purpose.

Nationalisation of Banks has not served its purpose. There is a lot of corruption in the Banks. Expenditure on pay and allowances is increasing whereas their efficiency is on the decline.

I would like to know how many poor people scheduled castes people have been given loans during the last two years ? How many educated unemployed have got loans ? I would also like to know the powers proposed to be given to there directors. The method of their selection, election or through nomination should also be defined.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि): इस विधेयक के द्वारा सरकार को स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके सहायक बैंकों के प्रबन्ध मंडल में कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। यह एक सराहनीय प्रयास है। परन्तु मेरा मत है कि इन निदेशकों को प्रभावी रूप में कार्य करने के लिये पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहियें। उनके विचारों एवं सुझावों का प्रबन्धक मंडल को आर्डर करना चाहिये। जिससे कि यह प्रबन्ध कर्मचारियों के साथ कोरी सहानुभूति मात्र का ही प्रतीक न रहे।

चार वर्ष पूर्व 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक धनराशियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और निजी क्षेत्र के लाभ के लिये न हो पाये। यह आशा की गई थी कि ये बैंक देश के जनसाधारण के हितों की रक्षा करेंगे। परन्तु सरकार अभी तक इन बैंकों के संबंध में स्थायी प्रशासकीय प्रबंध नहीं कर सकी। ये अभी तक पूर्वकालीन महाप्रबन्धकों के अधीन हैं। वे व्यक्ति पूंजीपतियों के हाथों के खिलौने थे और आज भी बैंक उनके अधीन हैं। जब तक इन व्यक्तियों को उन पदों से नहीं हटाया जाता तब तक जनसाधारण की आशाएं फलीभूत नहीं हो सकती।

---

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*The summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण चुनाव के एक दम निकट किया था और अब शायद स्थायी प्रशासकीय प्रबंध भी 1976 के चुनाव के समय किये जायेंगे । यह विलम्ब उचित नहीं । अतः सत्ताधारी दल को आम चुनावों से पहले ही कुछ न कुछ करना चाहिये ।

देश में आज बैंक डकैतियों की संख्या बढ़ रही है । सरकार को इस दृष्टि से भी सोचना चाहिये कि कहीं इस का कारण स्थायी प्रशासकीय प्रबन्धों का न होना तो नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया एक प्रमुख संस्था है और सारे देश में इसकी शाखायें हैं । अतः स्टेट बैंकों को किसानों और छोटे उद्योगपतियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करने चाहियें । ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के कारण इसकी मंजूरी में विलम्ब होता है । जब तक ऋण स्वीकृत होता है तब तक वह काम पूरा हो चुका होता है जिसके लिये ऋण मांगा गया था । अतः सरकार को इस दिशा में सुधार करना चाहिये । सरकार को स्टेट बैंक आफ इंडिया और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के समस्त ढ़ांचे का समुचित पुनर्गठन करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये । जिससे किये बैंक देश के जन साधारण के हितों की सेवा कर सकें ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : This step of the Government does not appear to be in right directions. Merely giving representation to the workers in the Management Board will not serve any useful purpose. It would rather create difficulties in the working of the Banks. I would therefore request that this Bill should be withdrawn.

Shri Hukam Chand Kechhawi (Ujjain) : I welcome this Bill. Its purpose is very commendable.

Small farmers and small industrialists have not been able to get loans from Banks. The reason for this is the procedure involved in the sanctioning of loans. This should therefore be simplified . These Banks should benefit the common people and not a select few.

There is vide spread corruption in the Banks. People go to Banks so that they may get loans on easy terms and easily. But to-day the Managers or Agents have become owners of the Banks. People feel that he is a money lender and if he is served they may get loan.

The managers should be elected and not appointed through nomination. There functions should be specified. It appears that they would get only allowance. I feel there when their work load is being increased, they should also be paid adequately.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In view of the onerous nature of duties the post of Managing Director should be whole time one.

Poor farmers and agricultural labour should be asked to furnish guarantees for getting Law labour is represented in the Board of Directors but not so in the case of Management Committees, which are there in many banks. Labour representatives should be included in these Committees and such policies should be adopted as may provide loans to the Common man in preference to capitalists, profiteers and monopolists.

Smt. Sushila Rohatgi (Bilhaur) : Sir, I am thankful to all hon. Members who took part in this discussion and supported this Bill and gave valuable suggestions.

According the functions of the Board of Directors, I may say that it function collectively and gives expert views and its advice affects policy-making process considerably. They are effectively influencing their policy as a whole as was hoped by hon. Members when the Bill regarding nationalisation of major banks was brought here.

There cannot be any question of giving any salary to Directors.

Some hon. Members have stated that 36 per cent loans were being extended to those whose needs are not so urgent, but figures speak otherwise. Till December last, out of total advances of 1237 crores by the State Bank, 111.5 crores were given to agriculturists 197 crores to small scale industry and 331 crores to transport operators, retail traders and small businessmen and professional and self employed persons. The last category represents only 26.7 per cent of the total advances. This is by no means adequate but it is also not proper to say that loans are being extended only to the richer Sections (*Interuptions*)

Regarding provision of loans to farmers, out of 190,374 accounts opened in the State Bank, 58,974 accounts were opened by small farmers, 34,895 by medium ones and 22,535 by big farmers. I, therefore, want that such impression should not be borne that poorer Sections are not getting adequate assistance.

Differential rate of interest scheme has been further improved to cover institutions of physically handicapped children and widows, persons having annual income of 3,000 rupees in cities and 2,000 rupees in villages. The number of branches at which the scheme is working has gone up from 1970 in December, 1972 to 4604 in June, 1973, and the number of Borrowers accounts from 26208 to 1,08,178 in the same period. It clearly shows that such help goes to the poorest section among the poor class of population.

Regarding availability of loans to big industries, I may submit that now they will find it difficult to get loans. Shri Vajpayee is surprised at that but it is a fact.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I was wondering whether she is aware of the fact that in the rural branches of Banks, only one employee is there to handle the entire work resulting in non-availability of loans ?

Smt. Sushila Rohtagi : If he can give specific instances, we would try to post more trained personnel there.

Lastly, I want to clarify that we have provided for two representatives of employees in the Board of Directors in nationalised Banks. It is possible that in some of them only the officers representative might have been included so far but as and when vacancies arise, they would be filled up.

I would now request that the Bill be taken into consideration.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

सभापति महोदय : खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है । मैं सभी खण्डों को सभा को मतदान के लिये रखता हूं । अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 35, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक् अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 2 से 35, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 35, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री धामनकर : क्या सरकार कर्मचारी प्रतिनिधि और अन्य प्रतिनिधियों की न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित करेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हम इस पर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 15 नवम्बर, 1973/24 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 15th November, 1973/Kartika 24, 1895 (Saka).

MGIPNLK—9, Lok Sabha/73—27-2-74—90 Copies.